

CHAPTER- 12- RIOT AND PUBLIC DISORDER

मॉड्यूल के अंतिम दो दिनों के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ (प्रेक्टिकल हैंड्स-ऑन सत्र)

- ◆ **नोट-1-** पूरी कक्षा को नौ समूहों में विभाजित करें। उन्हें छोटे समूहों में कार्य दिए जाने चाहिए, जो इस प्रकार हैं—
 - **प्रथम छोटा समूह-** अपराध स्थल की सुरक्षा करना — पेपर 5 (A)
 - **दूसरा छोटा समूह-** पीड़ित और शिकायतकर्ता के साथ बातचीत करना — पेपर 1 BNSS
 - **तीसरा छोटा समूह-** प्राथमिकी का प्रारूप तैयार करना — पेपर 2 BNS
 - **चौथा छोटा समूह-** आरोपी की गिरफ्तारी — पेपर 2 BNS
 - **पांचवां छोटा समूह-** गवाह से बातचीत करना और बयान लिखना — पेपर 2 BNS
 - **छठा छोटा समूह-** घटना स्थल का पंचनामा लिखना — पेपर 1 BNSS
 - **सातवां छोटा समूह-** पेपर 4 BSA
 - **आठवां छोटा समूह-** FSL, चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखना—पेपर 5 (A)
 - **नौवां छोटा समूह-** आरोप पत्र (अंतिम रिपोर्ट) का प्रारूप तैयार करना — पेपर 2 BNS
- ◆ **नोट-2-** व्यावहारिक सिमुलेशन के उपरोक्त कार्यों के अंत में, बाहरी प्रशिक्षण में मॉड ड्रिल की जानी चाहिए और क्या करें और क्या न करें के आधार पर समूह चर्चा की जानी चाहिए।
- हाइब्रिड मॉड्यूल क्रम संख्या 11— दंगे— इसे इनडोर व्यावहारिक सिमुलेशन के बाद किया जाना चाहिए।
- ◆ **नोट-3-** परीक्षा— व्यावहारिक सत्रों के अंतिम सत्र के दौरान A-11 से मौखिक या MCQ परीक्षा आयोजित की जानी है।
 - व्यावहारिक सिमुलेशन के दौरान, सभी प्रशिक्षुओं से पुलिस अधिकारी होने के नाते यह अपेक्षा की जाती है कि वे "RIOT" अध्याय में पढ़ाए गए दंगों के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करें।
 - राज्य विशिष्ट इनपुट के लिए आवंटित सत्रों का उपयोग प्रासंगिक राज्य पुलिस मैनुअल और स्थायी आदेशों के अतिरिक्त सत्रों के लिए किया जा सकता है, जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो।

Module- A- 11- RIOT (Day-14) (Session-84)

Paper- 11-A- (Session-03)

भीड़ की परिभाषा:-

भीड़ एक समूह होती है जिसमें कई लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं, लेकिन इस समूह के सदस्य किसी साझा उद्देश्य या दिशा में संगठित नहीं होते हैं। यह अस्थायी, अनियंत्रित और कभी-कभी उग्र हो सकती है। भीड़ विभिन्न कारणों से बन सकती है, जैसे कि किसी घटना को देखने, प्रदर्शन करने, किसी स्थान पर इकट्ठा होने या किसी समस्या का समाधान करने के लिए।

भीड़ के प्रकार

भीड़ को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे;

1. **सामाजिक भीड़:** जब लोग किसी सामाजिक गतिविधि के लिए इकट्ठा होते हैं, जैसे मेलों, सभाओं या उत्सवों में।
2. **आर्थिक भीड़:** जब लोग खरीदारी, रोजगार के लिए या किसी आर्थिक उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं।
3. **राजनीतिक भीड़:** जब लोग किसी राजनीतिक उद्देश्य, प्रदर्शन या आंदोलन में शामिल होते हैं।
4. **हिंसक भीड़:** जब भीड़ का उद्देश्य हिंसा, लूटपाट या अराजकता फैलाना होता है।

भीड़ को समझने में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह अपने सदस्यों द्वारा प्रेरित उद्देश्यों से अलग-अलग प्रतिक्रिया कर सकती है। कभी-कभी यह शांति से व्यवस्थित होती है, लेकिन कभी यह उग्र भी हो सकती है, जैसे दंगों या हिंसक प्रदर्शनों के दौरान।

भीड़ का मनोविज्ञान

भीड़ का मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि जब लोग एकत्रित होते हैं, तो उनके व्यक्तिगत व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं और समूह के प्रभाव में उनकी सोच, भावना और क्रियाएँ कैसे बदलती हैं। जब लोग एकत्रित होते हैं, तो उनका व्यक्तित्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि समूह के प्रभाव से प्रभावित होती है। इसे "भीड़ मानसिकता" (mob mentality) या "समूह मानसिकता" भी कहा जाता है।

लिस

भीड़ के मनोविज्ञान को समझने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांतों और कारकों को ध्यान में रखा जाता है:

1. व्यक्तिगत पहचान का लोप (Loss of Personal Identity):

जब लोग भीड़ में शामिल होते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत पहचान कम हो जाती है। वे समूह का हिस्सा बन जाते हैं, और यह उनके व्यक्तित्व और आत्म-नियंत्रण को प्रभावित करता है। इस स्थिति में लोग अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं और भीड़ के फैसलों का अनुसरण करते हैं, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है।

2. समूह द्वारा प्रेरित व्यवहार (Group & Influenced Behavior):

समूह का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत मजबूत होता है। लोग अपने आसपास के लोगों के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होते हैं। अगर भीड़ हिंसक होती है, तो इसमें शामिल लोग भी हिंसक हो सकते हैं, जबकि यदि भीड़ शांतिपूर्ण होती है, तो लोग भी शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया करते हैं।

3. अनियंत्रित व्यवहार (Uncontrolled Behavior):

भीड़ में लोग अक्सर अपनी सामान्य नैतिकता और नियंत्रण को खो देते हैं। यह देखा गया है कि बड़े समूहों में व्यक्ति अपने सामान्य संवेदनाओं, जैसे शर्म या डर को खो देता है, और कभी-कभी वह असामान्य या हिंसक व्यवहार करने लगता है। भीड़ में शामिल लोग अक्सर समूह के दृष्टिकोण और उद्देश्यों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, न कि अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर।

4. सामूहिक उत्तेजना (Collective Excitement):

समूह में शामिल लोगों को एक प्रकार की सामूहिक उत्तेजना का अनुभव होता है, जिसे भीड़ की ऊर्जा कहा जा सकता है। यह उत्तेजना कुछ ऐसी भावना उत्पन्न करती है, जो एक व्यक्ति को दूसरे से प्रेरित करती है, और परिणामस्वरूप पूरा समूह एक ही दिशा में बढ़ता है। यह सामूहिक उत्तेजना कभी सकारात्मक हो सकती है (जैसे उत्सव में शामिल होने का जोश), लेकिन कभी नकारात्मक भी (जैसे दंगों या हिंसा में भाग लेना) हो सकती है।

5. भीड़ का नेतृत्व (Leadership in the Crowd):

कुछ स्थितियों में, एक नेता या प्रभावशाली व्यक्ति समूह के व्यवहार को दिशा दे सकता है। यह व्यक्ति भीड़ के मनोविज्ञान को समझकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, चाहे वह हिंसक आंदोलन के दौरान हो या शांतिपूर्ण प्रदर्शन में। कभी-कभी, किसी नेता के प्रभाव में भीड़ को किसी कार्य में शामिल किया जा सकता है, जो वे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं करते।

6. प्रतिक्रिया और अनुकरण (Imitation and Reaction):

भीड़ में लोग एक-दूसरे की प्रतिक्रियाओं को देखकर अनुकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति भीड़ में गुस्से या हिंसा को व्यक्त करता है, तो अन्य लोग उसे अनुकरण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि वे यह समझते हैं कि यह उनके समूह का सामान्य व्यवहार है। इस प्रकार, भीड़ में आम तौर पर सामूहिक प्रतिक्रियाओं का पालन होता है।

7. समूह के दबाव में निर्णय (Decision Making Under Group Pressure):

जब लोग समूह में होते हैं, तो वे व्यक्तिगत निर्णय लेने के बजाय समूह के फैसलों के आधार पर कार्य करते हैं। कभी-कभी यह दबाव गलत निर्णयों की ओर भी ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अकेले में हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन समूह के दबाव में वे हिंसक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

8. समूह विचार और समरूपता (Groupthink):

समूह विचार का सिद्धांत यह बताता है कि समूह के सदस्य अपनी व्यक्तिगत विचारधाराओं और दृष्टिकोणों को समूह की सामूहिक सोच के साथ मेल खाने के लिए बदल सकते हैं। यह अक्सर तब होता है जब समूह में सर्वसम्मति बनाने का दबाव होता है, और परिणामस्वरूप सदस्य अपने व्यक्तिगत विचारों को दबा देते हैं।

9. अज्ञातता और जिम्मेदारी का विघटन (Anonymity and Diffusion of Responsibility):

जब लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं, तो वे अपने व्यक्तिगत पहचान को खो देते हैं, जिससे उन्हें अज्ञातता का अनुभव होता है। यह अज्ञातता उनकी जिम्मेदारी को कम करती है और वे महसूस करते हैं कि उनके व्यक्तिगत कार्यों का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण से लोग अधिक साहसी और कभी-कभी अधिक हिंसक हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी व्यक्तिगत पहचान नहीं है।

मनोवैज्ञानिक आधार पर भीड़ का वर्गीकरण

मनोवैज्ञानिक आधार पर भीड़ का वर्गीकरण यह समझने के लिए किया जाता है कि जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो

उनके व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं और वे किस प्रकार की मानसिकता और प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भीड़ के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनकी पहचान उनके उद्देश्य, व्यवहार, और मानसिकता के आधार पर की जा सकती है।

यहां कुछ प्रमुख वर्गीकरण हैं:

1. सामाजिक भीड़ (Social Crowd):

- इस प्रकार की भीड़ में लोग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं, जैसे सामूहिक उत्सव, धार्मिक समारोह, या सामाजिक आयोजना यह भीड़ शांति से व्यवस्थित रहती है और इसका उद्देश्य

आनंद या मनोरंजन होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इस प्रकार की भीड़ में लोग एक-दूसरे से सकारात्मक रूप से प्रेरित होते हैं।

विशेषताएँ:

- यह आमतौर पर सकारात्मक, शांति से भरी होती है।
- लोग स्वेच्छा से इसमें शामिल होते हैं।
- यहाँ पर कोई हिंसा या नकारात्मकता नहीं होती।

2. आकस्मिक भीड़ (Casual Crowd):

आकस्मिक भीड़ उस स्थिति को कहा जाता है जब लोग बिना किसी पूर्व योजना या उद्देश्य के किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं। यह आमतौर पर संयोगवश होती है और इसमें शामिल लोग किसी विशेष उद्देश्य या साझा उद्देश्य से प्रेरित नहीं होते। जैसे, सड़क पर दुर्घटना के बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं।

विशेषताएँ:

- इसमें लोग केवल स्थिति के कारण इकट्ठा होते हैं।
- इस भीड़ में आमतौर पर कोई सामूहिक उद्देश्य नहीं होता।
- कोई साझा उद्देश्य नहीं होता, और लोग स्वाभाविक रूप से उस घटना में शामिल हो जाते हैं।

3. भावनात्मक भीड़ (Emotional Crowd):

भावनात्मक भीड़ उस स्थिति को कहा जाता है जब लोग एक सामान्य भावनात्मक स्थिति को साझा करते हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, या दुख। इस प्रकार की भीड़ में लोग सामूहिक रूप से एक ही भावना को महसूस करते हैं, जो अक्सर उन्हें उकसाती है और उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर प्रदर्शनों, उत्सवों या दुख के समय होती है।

विशेषताएँ:

यहाँ लोग किसी भावनात्मक स्थिति के कारण इकट्ठा होते हैं।
यह भीड़ उग्र या उन्नत भावना में हो सकती है।
लोग समान भावनात्मक उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, जैसे खुशी या गुस्सा।

4. उग्र या हिंसक भीड़ (Aggressive or Violent Crowd):

• इस प्रकार की भीड़ हिंसक और आक्रामक हो सकती है। इसमें लोग किसी समस्या या असंतोष को लेकर उग्र होते हैं और वे हिंसक कार्यों में भाग लेते हैं। यह भीड़ दंगों, लूटपाट, या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसी घटनाओं के दौरान होती है। यहाँ भीड़ का व्यवहार व्यक्तित्व और सामाजिक जिम्मेदारी से हटकर होता है।

विशेषताएँ:

- यह भीड़ हिंसा और आक्रामकता से प्रेरित होती है।
- लोग अपनी सामान्य नैतिकता को खो देते हैं।
- यह भीड़ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा सकती है या हिंसा कर सकती है।

5. संगठित भीड़ (Organized Crowd):

इस प्रकार की भीड़ एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ होती है और इसे किसी विशेष कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित किया जाता है। इसमें लोग एक योजना के तहत इकट्ठा होते हैं, जैसे प्रदर्शन, आंदोलन, या राजनीतिक सभा। यह भीड़ अनुशासित हो सकती है और इसकी कार्यवाही निर्देशित होती है।

विशेषताएँ:

- यह भीड़ किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए संगठित होती है।
- इसमें लोग किसी नेता या समूह के दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।
- यह आमतौर पर शांतिपूर्वक होती है, लेकिन कभी-कभी उग्र भी हो सकती है।

6. विवादात्मक भीड़ (Protesting Crowd):

इस प्रकार की भीड़ किसी विशेष मुद्दे या समस्या के विरोध में इकट्ठी होती है। यह भीड़ किसी नीतिगत निर्णय, शासन, या किसी समाजिक घटना का विरोध करने के लिए होती है। इस प्रकार की भीड़ में लोग अपने अधिकारों की रक्षा, सुधार की मांग, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भाग लेते हैं।

विशेषताएँ:

- यह भीड़ एक विशेष उद्देश्य या विरोध के लिए होती है।
- लोग अपने विचार व्यक्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं।
- इसे शांतिपूर्वक या हिंसक दोनों प्रकार से हो सकता है।

7. अन्यथा भीड़ (Mimic Crowd):

जब लोग बिना किसी विशेष उद्देश्य के किसी की नकल करते हुए एकत्रित होते हैं, तो इसे अन्यथा भीड़ कहा जाता है। इस प्रकार की भीड़ किसी व्यक्ति की नकल या फैशन के कारण बन सकती है। इसमें लोग केवल दूसरों की नकल करते हैं और इसका उद्देश्य किसी प्रकार का नया ट्रेंड या फैशन होता है।

विशेषताएँ:

- इसमें लोग अपनी इच्छाओं या प्रेरणा के बजाय दूसरों की नकल करते हैं।
- यह आमतौर पर संक्षिप्त और अस्थायी होती है।
- मनोवैज्ञानिक आधार पर भीड़ नियंत्रित किए जाने वाले उपाय:—
- यहाँ कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपाय दिए गए हैं जो भीड़ को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

1. सकारात्मक संवाद और मध्यस्थता:

सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है संवाद और मध्यस्थता। जब भीड़ में गुस्सा या आक्रोश होता है, तो उनसे शांति से संवाद करने और उनकी चिंताओं को सुनने से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो भीड़ के नेताओं के साथ संवाद करते हैं, उन्हें शांतिपूर्वक यह समझाना चाहिए कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होगा और वे अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक कर सकते हैं।

- **मनोवैज्ञानिक कारण:** संवाद से व्यक्ति को सुनने का एहसास होता है, जिससे वे खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं और उनका गुस्सा शांत हो सकता है।

2. समूह के विचार को प्रभावित करना (Groupthink):

अगर कोई भीड़ उग्र हो रही है, तो उसे शांत करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि समूह के भीतर से कुछ सकारात्मक विचारों को प्रवृत्त किया जाए। इसके लिए, एक प्रभावशाली व्यक्ति या नेता, जो समूह के विचारों को सकारात्मक दिशा दे सके, को सामने लाया जा सकता है। यह समूह में सामूहिक सोच (Groupthink) को बदलने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है।

- **मनोवैज्ञानिक कारण:** लोग समूह में होते हुए आसानी से किसी विचार को अपना लेते हैं, यदि उन्हें एक नेतृत्व मिल जाए जो उन्हें शांत रहने के लिए प्रेरित करता है।

3. अज्ञातता का लाभ उठाना (Exploiting Anonymity):

भीड़ में लोग अपनी पहचान खो देते हैं, और यह अज्ञातता उन्हें हिंसक और उग्र व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस स्थिति में, पुलिस या प्रशासन को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बचने के कारण हिंसा में भाग ले रहे हैं। इस पहचान को उजागर करने और व्यक्तिगत जवाबदेही की भावना को जागृत करने से भीड़ को शांत किया जा सकता है।

- **मनोवैज्ञानिक कारण:** अज्ञातता के कारण लोग ज्यादा उग्र हो सकते हैं, जबकि उनकी पहचान स्पष्ट होने से उनके व्यवहार में नियंत्रण आ सकता है।

4. प्रेरक संदेशों और संकेतों का उपयोग:

जब भीड़ उग्र हो, तो उन्हें शांत करने के लिए प्रेरक संदेशों और संकेतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस या प्रशासन को भीड़ को यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि हिंसा केवल उनकी समस्याओं को बढ़ाएगी और उन्हें दीर्घकालिक समाधान नहीं मिलेगा।

- **मनोवैज्ञानिक कारण:** सकारात्मक और प्रेरक संदेशों से व्यक्ति को अपनी स्थिति का समझ आता है और वे किसी कठिन निर्णय से बचते हैं।

5. भीड़ के उकसाने वाले तत्वों को पहचानना:

भीड़ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उसे उकसाने का काम करते हैं, जैसे हिंसा की ओर मार्गदर्शन करने वाले या भावनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाले। उन्हें पहचानकर या उन्हें अलग करके भीड़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। पदेश

- **मनोवैज्ञानिक कारण:** जब समूह के भीतर से कोई व्यक्ति उकसाता है, तो अन्य लोग भी उसकी नकल करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन उसे अलग कर देने से समूह का ध्यान भटकता है और स्थिति शांत हो सकती है।

6. सकारात्मक भावनाओं का प्रोत्साहन:

यदि भीड़ में सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित किया जाए, जैसे सहानुभूति, समझ, और शांति, तो वे हिंसा से बचने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। ऐसे आयोजनों में लोगों को सहिष्णुता और एकता के संदेश देना और उन्हें यह समझाना कि शांति से ज्यादा लाभकारी समाधान मिल सकता है, मदद कर सकता है।

- **मनोवैज्ञानिक कारण:** सकारात्मक भावनाएं व्यक्तियों को शांत करने में मदद करती हैं, और वे अपने आक्रामक विचारों को छोड़ सकते हैं।

7. शारीरिक उपाय (Physical Measure):

जब भीड़ अत्यधिक उग्र हो जाती है, तो शारीरिक उपायों जैसे बैरिकेड्स या आंसू गैस का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह उपाय उस स्थिति में किया जाता है जब अन्य सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। इसका उद्देश्य भीड़ के नियंत्रण को प्राप्त करना और हिंसा से बचना होता है।

मनोवैज्ञानिक कारण: शारीरिक उपायों से कभी-कभी डर और भय उत्पन्न होता है, जो भीड़ को शांति से तितर-बितर होने के लिए प्रेरित कर सकता है।

8. समय का प्रबंधन (Time Management):

कभी-कभी, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्थिति को बढ़ने से पहले सही समय पर हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। इस दौरान भीड़ की भावनाओं को शांत करने के लिए समय और स्थान का सही चयन किया जाता है।

मनोवैज्ञानिक कारण: जब समय पर हस्तक्षेप किया जाता है, तो भीड़ को अधिक उग्र होने से रोका जा सकता है और उन्हें अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने का मौका मिलता है।

9. नियंत्रण और अनुशासन:

प्रशासन या पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर पुलिस या प्रशासन के पास अच्छी योजना और नियंत्रण होता है, तो भीड़ की स्थिति को नियंत्रित करना आसान हो सकता है। यह नियंत्रण पूरी तरह से शांतिपूर्वक और बिना किसी आक्रामकता के किया जाना चाहिए।

- **मनोवैज्ञानिक कारण:** जब लोग देखते हैं कि प्रशासन या पुलिस शांतिपूर्वक और पूरी शक्ति के साथ स्थिति को संभाल रही है, तो उन्हें यह भरोसा होता है कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा, और वे शांत हो सकते हैं।

ii. उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करने की पुलिस की रणनीति

उत्तेजित भीड़ से पुलिस को व्यवहार करते समय बहुत सावधानी और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की भीड़ आमतौर पर गुस्से, आक्रोश, और उत्तेजना से भरी होती है, जिससे हिंसा और अराजकता फैलने की संभावना रहती है। पुलिस का उद्देश्य हमेशा स्थिति को शांत करना और शांति बनाए रखना होना चाहिए। उत्तेजित भीड़ से निपटने के लिए पुलिस को निम्नलिखित तरीकों से व्यवहार करना चाहिए

1. शांति और संयम बनाए रखना:

- पुलिस को अपनी भावना और गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब भीड़ उत्तेजित होती है, तो पुलिस का शांत और संयमित व्यवहार उस तनाव को कम कर सकता है। हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और भी बिगड़ सकती है।

- **व्यवहार:** बिना किसी उत्तेजना के शांतिपूर्वक स्थिति का विश्लेषण करें और अपनी टीम को निर्देश दें।

2. सकारात्मक संवाद स्थापित करना:

- पुलिस को सबसे पहले भीड़ के नेताओं या प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। उनसे शांतिपूर्वक बात करें और उनकी चिंताओं को सुनने का प्रयास करें। अगर उन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, तो वे हिंसा से बचने का प्रयास करेंगे।

- **व्यवहार:** “हम आपकी समस्याओं को समझते हैं और हम शांति से समाधान चाहते हैं।” इस तरह के संवाद से भीड़ को शांत किया जा सकता है।

3. दृढ़ता से लेकिन शांतिपूर्वक स्थिति को नियंत्रित करना:

- अगर भीड़ हिंसक हो जाए, तो पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि वे बिना अधिक उत्तेजना के, पेशेवर तरीके से कार्यवाही करें। जैसे, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए धीमे और दृढ़ कदम उठाना।

- **व्यवहार:** शांतिपूर्वक, मगर दृढ़ तरीके से आदेश देना जैसे “यह क्षेत्र अब खाली कर दिया जाए” या “वापस जाएं, यदि आप शांतिपूर्ण नहीं रहते हैं, तो आगे कार्यवाही की जाएगी।”

4. सामाजिक विश्वास और समर्थन का निर्माण:

- पुलिस को जनता से अच्छे संबंध बनाने चाहिए, ताकि जब भी कोई संकट या उत्तेजना की स्थिति हो, तो जनता पुलिस के निर्देशों का पालन करे। यदि जनता को पुलिस पर भरोसा होता है, तो वे हिंसा करने की बजाय पुलिस के साथ सहयोग करने की संभावना रखते हैं।

- **व्यवहार:** सकारात्मक और सहायक दृष्टिकोण अपनाते हुए जनता के बीच विश्वास का माहौल बनाएं।

5. मूल उद्देश्य और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना:

- पुलिस को यह समझना चाहिए कि भीड़ आमतौर पर अपनी समस्याओं या गुस्से को व्यक्त करने के लिए एकत्र होती है। इसलिए पुलिस का मुख्य उद्देश्य स्थिति को शांत करना और उस समाधान तक पहुँचने का प्रयास करना है जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। इस दौरान, किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है।

- **व्यवहार:** “हम आपकी समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन हमें शांति बनाए रखनी होगी।”

6. विकृत मानसिकता और उकसाने से बचना:

- पुलिस को उकसाने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार की तकरार या संघर्ष से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तेजित भीड़ अक्सर छोटी सी बात पर और उग्र हो सकती है, इसलिए पुलिस को अपनी प्रतिक्रिया में संयम बरतना चाहिए।

- **व्यवहार:** शांति और आत्म-नियंत्रण बनाए रखते हुए, उत्तेजित व्यक्तियों से उलझने से बचें।

7. आवश्यक बल का प्रयोग, लेकिन संयमित:

- यदि भीड़ हिंसा की ओर बढ़ रही है और शांति बनाए रखने के सभी उपाय विफल हो चुके हैं, तो पुलिस को न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिए। यह बल केवल तब उपयोगी होता है जब अन्य सभी प्रयास विफल हो जाते हैं और स्थिति को नियंत्रित करना अत्यावश्यक होता है।

- **व्यवहार:** बल का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि यह आवश्यक और उचित और नागरिकों के जीवन और संपत्ति को खतरे में न डाले।

8. प्रभावी संचार प्रणाली का उपयोग:

- पुलिस को एक प्रभावी संचार प्रणाली का उपयोग करना चाहिए ताकि वे भीड़ में मौजूद लोगों से संवाद कर सकें और उन्हें अपनी स्थिति समझा सकें। यह भीड़ को नियंत्रित करने का एक और प्रभावी तरीका है।
- **व्यवहार:** माइक्रोफोन या लाउडस्पीकर का उपयोग करके शांति बनाए रखने का संदेश दें और भीड़ से नियमों का पालन करने की अपील करें।

9. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तनाव कम करना:

- पुलिस को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझने की जरूरत होती है कि उत्तेजित भीड़ में लोग आमतौर पर अपनी व्यक्तिगत सोच खो देते हैं। उन्हें पुनः शांत करने के लिए उनके विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होता है।
- **व्यवहार:** “हम सभी के भले के लिए यह कदम उठा रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें” जैसे विचारों को प्रमुख बनाएं।

10. भविष्य के लिए निवारक उपाय:

- पुलिस को यह समझने की आवश्यकता है कि उत्तेजित भीड़ की स्थिति अक्सर एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का परिणाम होती है। भविष्य में इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए जनता के साथ संवाद बनाए रखना और उनके मुद्दों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
- **व्यवहार:** भविष्य में इसी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए नागरिकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें।

उत्तेजित भीड़ से निपटने के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय:-

उत्तेजित भीड़ से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन को कई महत्वपूर्ण उपायों को अपनाना पड़ता है ताकि स्थिति को शांत किया जा सके और हिंसा से बचा जा सके। यहां कुछ प्रमुख उपाय दिए गए हैं, जो उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी हो सकते हैं।

1. प्रारंभिक चेतावनी और स्थिति का आकलन:

- भीड़ की उत्तेजना को बढ़ने से पहले ही पहचानना महत्वपूर्ण है। पुलिस को भीड़ की आक्रामकता और आंदोलन के उद्देश्यों का आकलन करना चाहिए। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा हो, तो तुरंत उपाय किए जाने चाहिए।
- **उपाय:** स्थिति के अनुसार तुरंत तैनाती और तैयार रहना।

2. संयम और शांतिपूर्ण व्यवहार:

- पुलिस को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए संयमित रहना चाहिए। उत्तेजित भीड़ के सामने अगर पुलिस भी गुस्से में आती है, तो वह भीड़ की उत्तेजना को और बढ़ा सकती है। इसलिए पुलिस का शांति और संयम बनाए

उपाय: बिना उकसाए और शांतिपूर्वक लोगों से संवाद करना।

3. सकारात्मक संवाद और मध्यस्थता:

- पुलिस को सबसे पहले भीड़ के नेताओं या प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे यह भीड़ के सदस्य महसूस करेंगे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है।
- **उपाय:** नेताओं से बातचीत करके शांति बनाए रखने की अपील करना।

4. प्रेरक संदेशों का प्रसारण:

- पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर या अन्य संवादात्मक उपकरणों का उपयोग करके शांतिपूर्ण संदेश देने चाहिए। यह संदेश भीड़ को यह समझाने में मदद करता है कि हिंसा से कोई हल नहीं निकलेगा और समस्याओं का समाधान शांति से संभव है।

- **उपाय:** लाउडस्पीकर के माध्यम से शांति बनाए रखने का संदेश देना।

5. भीड़ के उकसाने वाले तत्वों की पहचान:

- भीड़ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उकसाने का काम करते हैं और हिंसा की ओर बढ़ाते हैं। पुलिस को इन तत्वों की पहचान करके उन्हें अलग करने की कोशिश करनी चाहिए।

उपाय: उकसाने वाले तत्वों को पहचानकर अलग करना और उनका प्रभाव खत्म करना।

6. शारीरिक उपायों का सावधानीपूर्वक उपयोग:

- अगर भीड़ हिंसक हो जाए और अन्य उपायों से नियंत्रण नहीं हो रहा हो, तो शारीरिक बल का प्रयोग एक विकल्प हो सकता है। हालांकि, इसे न्यूनतम और नियंत्रित तरीके से ही लागू किया जाना चाहिए।

- **उपाय:** आंसू गैस, पानी की बौछार (वॉटर कैनन), या रबर बुलेट्स का उपयोग करना, लेकिन हमेशा यह सुनिश्चित करना कि बल का प्रयोग अत्यधिक न हो।

7. सामूहिक नियंत्रण (Crowd Management):

- पुलिस को भीड़ को छोटे समूहों में विभाजित करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि नियंत्रण अधिक आसान हो। इस प्रकार, छोटी-छोटी भीड़ को अलग-अलग किया जा सकता है, जिससे उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है।

- **उपाय:** भीड़ को छोटे हिस्सों में विभाजित करना और हर हिस्से पर अलग-अलग ध्यान केंद्रित करना।

8. सामाजिक मीडिया का उपयोग:

- पुलिस और प्रशासन को सोशल मीडिया का सक्रिय उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया पर सही जानकारी साझा करके भीड़ को गलत सूचनाओं से बचाया जा सकता है और शांति बनाए रखने के संदेश दिए जा सकते हैं।

- **उपाय:** सोशल मीडिया के माध्यम से शांतिपूर्ण संदेश फैलाना और भीड़ को संयमित करने के लिए अपील करना।

9. प्रेरक तत्वों का प्रोत्साहन:

- जब पुलिस को भीड़ के भीतर सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों को प्रोत्साहित करने का अवसर मिलता है, तो उन्हें यह प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ शांतिपूर्ण नेताओं या व्यक्तियों को सामने लाकर उनकी बातों को भीड़ तक पहुंचाया जा सकता है।

- **उपाय:** शांति और सकारात्मकता के प्रतीकों और विचारों का प्रचार करना।

10. बैकअप और अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था:

- यदि स्थिति बिगड़ने की संभावना हो, तो पुलिस को तुरंत अतिरिक्त बल की तैनाती करनी चाहिए। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयारी जरूरी है।

- **उपाय:** सुदृढ़ पुलिस बल या अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात करना और बैकअप तैयार रखना।

11. सभी नजदीकी रास्तों की निगरानी:

- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का भागने या हिंसा फैलाने का रास्ता भीड़ के पास न हो। अगर स्थिति खराब हो, तो पुलिस को तुरंत मार्ग बंद करके भीड़ के बाहर जाने के रास्ते रोकने चाहिए।

- **उपाय:** मार्गों को अवरुद्ध करना और भीड़ को बिना हिंसा के नियंत्रित करना।

12. विचलन और गुमराह करने की रणनीति:

- स्थिति में, भीड़ को विचलित करना और उसका कभी-कभी, किसी घटना के कारण भीड़ उत्तेजित होती है। ऐसी स्थिति ध्यान किसी अन्य सकारात्मक दिशा में लगाना एक प्रभावी उपाय हो सकता है।

- **उपाय:** पुलिस द्वारा कोई सकारात्मक कार्य या सहायता प्रस्तुत करना, जैसे कि किसी अन्य प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन।

उत्तेजित भीड़ को तीतर बितर करने के उपरांत पुलिस की भूमिका

उत्तेजित भीड़ को तीतर-बितर करने के बाद पुलिस की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है,

1. स्थिति का मूल्यांकन करना:

- पुलिस को सबसे पहले यह मूल्यांकन करना चाहिए कि भीड़ का क्या आकार और स्थिति थी, क्या कोई गंभीर घटना हुई है और क्या भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह आकलन पुलिस को आगे की रणनीति तय करने में मदद करता है।

- **उपाय:** पुलिस की उच्च अधिकारियों द्वारा स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण और नियंत्रण रणनीति तैयार करना।

2. कानूनी कार्यवाही का प्रारंभ:

- पुलिस को तीतर-बितर होने के बाद उन व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए जो हिंसा में शामिल थे या कानून तोड़ा था। इसके बाद कानूनी कार्यवाही की शुरुआत की जानी चाहिए।

- **उपाय:** अपराधियों की पहचान करना और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करना।

3. पुलिस बल का पुनर्गठन:

- स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद, पुलिस को अपनी तैनाती और बल को पुनर्गठित करना चाहिए ताकि किसी भी पुनः उकसावे या हिंसा की स्थिति से निपटा जा सके।

- **उपाय:** पुलिस बल की पुनः तैनाती, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखना।

4. भीड़ को तितर-बितर करने के कारणों की जांच:

- पुलिस को यह जांचना चाहिए कि भीड़ किस कारण से उग्र हुई थी। यह जांच सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, ताकि भविष्य में ऐसे मुद्दों का समाधान किया जा सके।

- **उपाय:** भीड़ की गतिविधियों का रिकार्ड रखना और कारणों की जांच करना।

5. सार्वजनिक संदेश देना:

- स्थिति के शांत होने के बाद, पुलिस को जनता के बीच यह संदेश फैलाना चाहिए कि स्थिति अब नियंत्रित है और हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह संदेश शांति बनाए रखने में मदद करता है।

- **उपाय:** सार्वजनिक सूचना के माध्यम से शांतिपूर्ण संदेश देना, जैसे लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को चेतावनी देना।

6. सामाजिक नेताओं और प्रतिनिधियों से संवाद:

- पुलिस को स्थानीय नेताओं, समुदायिक प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से संवाद करना चाहिए, ताकि वे स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद कर सकें। यह उपाय सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सहायक हो सकता है।

- **उपाय:** स्थानीय नेताओं से संवाद स्थापित करना और शांति बनाए रखने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना।

7. विज्ञान और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल:

- पुलिस को स्थिति की निगरानी के लिए तकनीकी उपकरणों जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करना चाहिए। यह आगे आने वाली किसी भी हिंसक गतिविधि को रोकने में मदद कर सकता है।

- **उपाय:** सुरक्षा कैमरों और ड्रोन के माध्यम से स्थिति की निरंतर निगरानी करना।

8. सामाजिक माहौल को सामान्य करना:

- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता में विश्वास बना रहे और तनावपूर्ण माहौल को समाप्त किया जाए। इसके लिए पुलिस को जनसंपर्क कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए।

- **उपाय:** सामाजिक समरसता और विश्वास को बहाल करने के लिए पुलिस के जनसंपर्क अभियान चलाना।

9. समाज के साथ पुनः संवाद स्थापित करना:

- स्थिति के शांत हो जाने के बाद, पुलिस को जनसंपर्क बढ़ाना चाहिए और स्थानीय समुदायों से संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि वे पुलिस पर भरोसा करें और भविष्य में इस तरह के उत्पात से बचा जा सकें।

- **उपाय:** खुला संवाद आयोजित करना और समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेना।

10. प्रशासनिक स्तर पर सुधारात्मक कदम:

- पुलिस को प्रशासनिक कदम उठाने चाहिए जैसे कि आम जनता के मुद्दों का हल निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ काम करना, ताकि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जो भीड़ को फिर से उकसाए।

- **उपाय:** प्रशासनिक सुधारों और जनहित योजनाओं के तहत भीड़ के कारणों को हल करना।

भीड़ नियंत्रण में अभिसूचना संकलन

भीड़ नियंत्रण में अभिसूचना संकलन (intelligence gathering) एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि यह पुलिस और सुरक्षा बलों को स्थिति की तात्कालिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे प्रभावी कदम उठा सकते हैं और किसी भी अप्रत्याशित घटना से बच सकते हैं। जब भीड़ बड़ी होती है और उत्तेजित होती है, तो सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करना पुलिस के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है ताकि वे परिस्थिति को शांतिपूर्वक और नियंत्रित तरीके से संभाल सकें।

भीड़ नियंत्रण में अभिसूचना संकलन की आवश्यकता

1. स्थिति का सही आकलन: अभिसूचना संकलन से पुलिस को भीड़ के आकार, उसकी गतिविधियों, और उनके इरादों का तात्कालिक आकलन होता है। यह जानकारी पुलिस को यह निर्णय लेने में मदद करती है कि क्या स्थिति में अधिक बल की आवश्यकता है या क्या शांति से समाधान निकाला जा सकता है।

उपाय: मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की निगरानी, और सीसीटीवी कैमरे के जरिए स्थिति का रियल-टाइम अपडेट।

2. भीड़ में उकसाने वाले तत्वों की पहचान:

भीड़ में अक्सर कुछ ऐसे उकसाने वाले तत्व होते हैं जो हिंसा की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी सूचना संकलन के माध्यम से पुलिस इन तत्वों की पहचान कर सकती है और उन्हें नियंत्रण में लाने के उपाय कर सकती है।

उपाय: पुलिस द्वारा स्नैचिंग, शारीरिक हिंसा या अपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की पहचान करना।

3. संचार व्यवस्था का प्रबंधन:

- अभी सूचना संकलन के माध्यम से पुलिस के पास तात्कालिक जानकारी होती है, जिससे वे अपने बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर संचार कर सकती हैं। यह पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपायों को त्वरित और प्रभावी रूप से लागू करने में मदद करता है।

- **उपाय:** रेडियो, मोबाइल नेटवर्क, ड्रोन के माध्यम से जानकारी साझा करना, ताकि पुलिस बल के विभिन्न विभाग एकजुट होकर काम कर सकें।

4. भीड़ की दिशा और मार्ग पर निगरानी:

- सूचना संकलन से पुलिस यह जान सकती है कि भीड़ किस दिशा में जा रही है और वह किस स्थान पर एकत्रित हो सकती है। इससे पुलिस को उन स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात करने का मौका मिलता है।

- **उपाय:** ड्रोन या हेलीकॉप्टर से निगरानी रखना, जिससे भीड़ के आंदोलन का ट्रैक किया जा सके।

5. स्मार्ट निर्णय लेने में मदद:

- सूचना संकलन के माध्यम से पुलिस को वास्तविक समय की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वे सही और त्वरित निर्णय ले सकती हैं। यह निर्णय भीड़ को नियंत्रित करने, शांतिपूर्वक तितर-बितर करने, या अन्य आवश्यक कदम उठाने के बारे में हो सकते हैं।

- **उपाय:** डेटा विश्लेषण और रणनीतिक निर्णयों के लिए अधिकारियों को तत्काल सूचित करना।

6. सामाजिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी:

- आजकल सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भीड़ की गतिविधियों से संबंधित जानकारी त्वरित रूप से फैल सकती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट, वीडियो, और अपडेट से पुलिस को यह पता चलता है कि क्या कोई हिंसक घटना हो रही है या फिर भीड़ किस दिशा में जा रही है।

- **उपाय:** सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की निगरानी करना, ताकि किसी भी अफवाह या उकसावे से बचा जा सके।

7. संसाधनों का सही इस्तेमाल:

- भीड़ नियंत्रण में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करने के लिए अभी सूचना संकलन आवश्यक है। जैसे कि कितने पुलिसकर्मी की तैनाती करनी है, कब बल का प्रयोग करना है, या किन-किन रास्तों को ब्लॉक करना है, इस बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है।

- **उपाय:** रियल-टाइम डेटा के आधार पर संसाधनों का उचित वितरण करना और आवश्यकता के अनुसार बल तैनात करना।

सूचना संकलन के उपाय:

1. सीसीटीवी और निगरानी कैमरे:

पुलिस को अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे और निगरानी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ताकि वे भीड़ की गतिविधियों को लगातार ट्रैक कर सकें।

2. स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप्स:

पुलिस को मोबाइल ऐप्स और अन्य स्मार्टफोन आधारित टूल्स का उपयोग करना चाहिए, जो तात्कालिक सूचना को एकत्रित करने में मदद करें।

3. ड्रोन और हवाई निगरानी:

ड्रोन का उपयोग करके पुलिस ऊंचाई से भीड़ पर निगरानी रख सकती है। यह भीड़ की दिशा और आकार का सही आंकलन करने में मदद करता है।

4. सामाजिक मीडिया निगरानी:

पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सक्रिय निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर अपनी गतिविधियों या स्थान की जानकारी वहां साझा करते हैं, जो पुलिस को त्वरित निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

5. सार्वजनिक सूचना प्रणाली:

सार्वजनिक सूचना प्रणाली का उपयोग करके पुलिस भीड़ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकती है और उन्हें शांतिपूर्वक लौटने की अपील कर सकती है।

अभिसूचना संकलन के स्रोत

अभिसूचना संकलन (Intelligence gathering) के स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जो पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों या अन्य प्रशासनिक संगठनों को तात्कालिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं। इन स्रोतों का सही तरीके से उपयोग करने से स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और प्रतिक्रिया की योजना बनाई जा सकती है।

अभिसूचना संकलन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:

1. मानव स्रोत (Human Sources):

- मानव स्रोत, जिसे **अन्तर्दृष्टि** (अन्तर्दृष्टि पदजमससपहमदबम) भी कहा जाता है, वह व्यक्ति होते हैं जो किसी विशेष स्थिति या घटना से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। ये व्यक्ति सामान्य नागरिक, गवाह, या अन्य पेशेवर हो सकते हैं जो किसी घटना के बारे में जानकारी रखते हैं।

- **उदाहरण:** गुप्त सूचना देने वाले सूत्र, स्थानीय निवासी, कर्मचारियों से बातचीत, संदिग्ध गतिविधियों पर जानकारी प्राप्त करना।

2. सामाजिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म:

- सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम), व्हाट्सएप ग्रुप्स, और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भीड़ की गतिविधियों से संबंधित जानकारी काफी तेजी से फैल सकती है। इन प्लेटफॉर्मों का विश्लेषण करके पुलिस को तात्कालिक सूचनाएं मिल सकती हैं।

- **उदाहरण:** सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियो, टिप्पणियां, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड्स आदि।

3. तकनीकी स्रोत (Technical Sources):

- यह स्रोत अत्यधिक तकनीकी होते हैं, जिनका उपयोग किसी घटनास्थल या संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। इसमें मोबाइल फोन ट्रैकिंग, इंटरनेट डेटा, सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन से प्राप्त आंकड़े शामिल हैं।

- **उदाहरण:** सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी, जियो-लोकेशन ट्रैकिंग, रडार और अन्य निगरानी उपकरण।

4. सार्वजनिक सूचना और रिपोर्ट्स:

- पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को विभिन्न सरकारी रिपोर्ट्स, समाचार पत्रों, और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से भी अभिसूचना मिल सकती है। यह सूचना आमतौर पर किसी मुद्दे के सार्वजनिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है।

- **उदाहरण:** समाचार चैनल, समाचार पत्र, सरकारी बयान, जॉइंट ऑपरेशंस रिपोर्ट्स आदि।

5. विशेषज्ञ स्रोत (Expert Sources):

- ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव होता है, जैसे कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, और अन्य पेशेवर जो विशेष प्रकार के घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

- **उदाहरण:** विशेषज्ञ और सलाहकारों से जानकारी, पुलिस अधिकारियों का स्थानीय जानकारी पर आधारित नेटवर्क।

6. स्वयं की निगरानी और अवलोकन (Surveillance):

- यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें पुलिस बल द्वारा खुद से जानकारी एकत्रित की जाती है। इसमें संदिग्ध स्थानों पर निगरानी रखना, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखना, और गुप्त रूप से निरीक्षण करना शामिल होता है।

- **उदाहरण:** गश्त, गुप्त रूप से सादा कपड़े पहनकर निगरानी करना, संदिग्ध क्षेत्रों पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग।

7. इंटरनेट और साइबर स्रोत (Cyber Sources):

- इंटरनेट पर हो रही गतिविधियों, साइबर स्पेस, और डार्क वेब पर चल रही जानकारी भी अभिसूचना संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। यहां पर कई तरह के संदिग्ध या अपराधिक गतिविधियां हो सकती हैं।

- **उदाहरण:** हैकिंग गतिविधियों की निगरानी, डार्क वेब पर जानकारी, ऑनलाइन संदिग्ध संदेशों की जांच।

8. प्रेरक और स्थानीय समुदाय स्रोत:

- कभी-कभी स्थानीय समुदाय के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति भी अभिसूचना प्रदान कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति स्थानीय घटनाओं, संघर्षों, और सामाजिक मुद्दों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं।

उदाहरण: स्थानीय धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक नेता से जानकारी, लोक संवाद और सामुदायिक बैठकों में योगदान

9. अन्य सरकारी एजेंसियां और सहयोगी संस्थाएं:

- अन्य सरकारी एजेंसियां और सुरक्षा बल जैसे भारतीय खुफिया विभाग (RAW), राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA), और सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा भी सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। इन स्रोतों का संयोजन पुलिस की जानकारी को और सशक्त बनाता है।

• **उदाहरण:** सीमा सुरक्षा बल, खुफिया विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (NIA) द्वारा साझा की गई जानकारी।

10. पुलिस द्वारा एकत्रित की गई रिपोर्ट्स:

- पुलिस अपने स्तर पर भी समय-समय पर रिपोर्ट एकत्रित करती है जो किसी विशिष्ट मामले, स्थान या संदिग्ध गतिविधियों के बारे में होती हैं। इन रिपोर्टों में अवलोकन और जांच के दौरान एकत्रित जानकारी शामिल होती है।

• **उदाहरण:** थाने में दर्ज शिकायतें, अपराध रिपोर्ट्स, स्थानीय पुलिस स्टेशनों से प्राप्त आंकड़े।

अभिसूचना संकलन का महत्व

अभिसूचना संकलन (Intelligence gathering) एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो पुलिस, सुरक्षा बलों, और सरकारी एजेंसियों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा स्थिति, संकट या खतरे से निपटने के लिए जानकारी प्रदान करती है। इसका उद्देश्य खतरे की पहचान करना, घटनाओं को पूर्वानुमान करना और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता करना है। यह सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों को अपराध, आतंकवाद, हिंसा, और अन्य सामाजिक असमंजस से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

अभिसूचना संकलन का महत्व:

1. खतरे की पूर्व पहचान और रोकथाम:

- अभिसूचना संकलन से सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी संभावित खतरे, अपराध या हिंसा की पहचान से जानकारी मिल जाती है। इससे वे समय रहते कदम उठा सकते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोक सकते हैं।

• **उदाहरण:** आतंकवादी हमलों की योजना के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करना और उसे नाकाम करना।

2. कानूनी कार्यवाही के लिए ठोस आधार:

- अभिसूचना से एकत्रित जानकारी पुलिस को कानूनी कार्यवाही में मदद करती है, जैसे कि गिरफ्तारी, एफआईआर दर्ज करना, साक्ष्य एकत्र करना, और संदिग्धों की पहचान करना।

• **उदाहरण:** अपराधियों की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त करना, जिससे जांच और कार्यवाही की जा सके।

3. सामाजिक और राजनीतिक संकटों के समाधान में मदद:

- अभिसूचना संकलन सामाजिक और राजनीतिक संकटों जैसे कि दंगे, विद्रोह या नागरिक अशांति के समाधान में मदद करता है। सही जानकारी से पुलिस को यह समझने में मदद मिलती है कि स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।

• **उदाहरण:** सांप्रदायिक दंगे भड़कने से पहले उनके संभावित कारणों का पता चलना और सरकार को स्थिति को संभालने के लिए समय से तैयार करना।

4. सुरक्षा और कानून—व्यवस्था बनाए रखना:

- अभिसूचना संकलन का उद्देश्य सुरक्षा बलों और पुलिस को समाज में कानून—व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करना है। सही जानकारी से पुलिस बल जल्दी और प्रभावी तरीके से कार्यवाही कर सकते हैं।

- **उदाहरण:** भीड़ नियंत्रण, अनियंत्रित प्रदर्शन या हड़ताल के दौरान तात्कालिक कदम उठाना।

5. संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और निगरानी:

- सुरक्षा बलों को संदिग्ध गतिविधियों, व्यक्तियों और समूहों के बारे में समय रहते जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वे उन पर निगरानी रख सकते हैं और जरूरी कार्यवाही कर सकते हैं।

- **उदाहरण:** आतंकवादी गतिविधियों या संगठनों की निगरानी, अपराधियों के समूह की पहचान।

6. सामरिक योजना और रणनीति बनाने में मदद:

- अभिसूचना संकलन से मिली जानकारी से सुरक्षा एजेंसियों को रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जैसे कि कब और कैसे ऑपरेशन करना है, या संदिग्ध क्षेत्र में क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

- **उदाहरण:** पुलिस या सेना के विशेष ऑपरेशनों की योजना बनाना, जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही या सीमा सुरक्षा।

7. समाज में विश्वास बनाए रखना:

- अभिसूचना संकलन से न केवल कानून—व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहती है, बल्कि समाज में सुरक्षा और शांति का माहौल भी बनता है। जब नागरिकों को यह विश्वास होता है कि सुरक्षा बलों के पास सही जानकारी है, तो वे कानून का पालन करने में अधिक प्रवृत्त होते हैं।

- **उदाहरण:** नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जानकारी के आधार पर पुलिस बल की तैनाती।

8. अपराधिक नेटवर्क का उन्मूलन:

- अभिसूचना संकलन से पुलिस को अपराधी नेटवर्क और संगठनों की गतिविधियों के बारे में पता चलता है, जिससे वे इन नेटवर्कों के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम होते हैं।

- **उदाहरण:** माफिया, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, और अन्य संगठित अपराधों के खिलाफ अभियान चलाना।

9. गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना:

- अभिसूचना संकलन से प्राप्त जानकारी को गोपनीय तरीके से संभालना और केवल आवश्यक व्यक्तियों तक पहुंचाना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी लीक न हो और मिशन को विफल न किया जा सके।

- **उदाहरण:** गुप्त अभियान, जैसे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन, जिसमें जानकारी का लीक होने से बचना महत्वपूर्ण होता है।

10. घटनाओं का समय पर समाधान:

- सही समय पर सूचना संकलन से पुलिस और सुरक्षा बलों को घटनाओं के समाधान में मदद मिलती है। यह उन्हें परिस्थितियों के अनुसार त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

- **उदाहरण:** किसी अपराध या आतंकी हमले के दौरान पुलिस को तात्कालिक कदम उठाने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करना।

भीड़ नियंत्रण में अभिसूचना संकलन का महत्व

भीड़ नियंत्रण में अभिसूचना संकलन का महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सुरक्षा बलों और पुलिस को वास्तविक समय में घटनाओं और संभावित खतरों की जानकारी प्रदान करता है। जब भीड़ नियंत्रण की बात आती है, तो यह सुनिश्चित करना कि पुलिस को पहले से सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त हो, आवश्यक है ताकि वे प्रभावी रूप से भीड़ को नियंत्रित कर सकें और किसी भी अप्रत्याशित हिंसा या नुकसान को रोक सकें।

भीड़ नियंत्रण में अभिसूचना संकलन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. भीड़ की संरचना और स्वभाव का समझना:

- अभिसूचना से यह पता चलता है कि भीड़ किस प्रकार की है क्या यह शांतिपूर्ण है, या इसके भीतर हिंसा और अशांति फैलने की संभावना है। इस जानकारी से पुलिस को यह समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार के उपायों की आवश्यकता है।

- **उदाहरण:** यदि अभिसूचना से यह पता चलता है कि भीड़ में कोई हिंसक तत्व शामिल हो सकते हैं, तो पुलिस पहले से तैयार हो सकती है।

2. भीड़ के नेताओं की पहचान:

- अभिसूचना संकलन से यह जानकारी प्राप्त होती है कि कौन लोग उस भीड़ के मुख्य उत्प्रेरक (instigators) हो सकते हैं। यह जानकारी पुलिस को उन व्यक्तियों पर नजर रखने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करती है, जो हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं।

- **उदाहरण:** यदि किसी नेता ने उग्र भाषण दिया है या हिंसा के लिए उकसाया है, तो उसे पहले से पहचाना जा सकता है और उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं।

3. भीड़ के आकार और गतिविधियों का अनुमान:

- अभिसूचना संकलन से पुलिस को भीड़ के आकार, उसके इरादों और संभावित गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। यह जानकारी पुलिस को तय करने में मदद करती है कि कितने बल की आवश्यकता होगी और किस रणनीति को अपनाना होगा।

- **उदाहरण:** यदि भीड़ का आकार बहुत बड़ा है और हिंसक गतिविधियों की संभावना है, तो पुलिस को पहले से उपयुक्त बल की तैनाती करनी होगी।

4. सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ:

- जब भीड़ किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर प्रदर्शन करती है, तो अभिसूचना से यह भी जानकारी मिलती है कि वह प्रदर्शन किस कारण से हो रहा है और उसमें कौन सी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। यह जानकारी पुलिस को स्थिति की गंभीरता को समझने में मदद करती है।

- **उदाहरण:** अगर यह विरोध प्रदर्शन किसी नीतिगत बदलाव या अन्य संवेदनशील मुद्दे से संबंधित है, तो पुलिस को स्थिति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना होगा।

5. भीड़ के उत्पन्न होने से पहले की स्थिति का पूर्वानुमान:

- अभिसूचना संकलन से यह समझने में मदद मिलती है कि क्या किसी बड़े सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित कोई भी घटना हो सकती है, जो एक हिंसक विरोध या प्रदर्शन का रूप ले सकती है। यह समय रहते पुलिस को उचित तैयारी करने का अवसर देता है।

- **उदाहरण:** अगर अभिसूचना से संकेत मिलता है कि कोई कानून या निर्णय भीड़ का कारण बन सकता है, तो पुलिस पहले से योजना बना सकती है और संवेदनशील स्थानों पर नजर रख सकती है।

6. भीड़ में घुसपैठ करने वालों का पता लगाना:

- कभी-कभी बाहरी तत्व या अलग-अलग समूह भीड़ में घुसकर उसे हिंसक बना सकते हैं। अभिसूचना संकलन से यह पता चलता है कि कौन लोग या समूह इसमें शामिल हो सकते हैं, और इस तरह के तत्वों को अलग करना या उन्हें नियंत्रित करना संभव होता है।

- **उदाहरण:** अभिसूचना से यह जानकारी मिल सकती है कि एक गुप्त समूह भीड़ में घुसकर उसे हिंसक बना सकता है। इस जानकारी से पुलिस समय रहते कार्यवाही कर सकती है।

7. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना:

- अभिसूचना संकलन से मिलने वाली जानकारी पुलिस को आपातकालीन स्थिति में त्वरित और उचित प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। अगर स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, तो पुलिस पहले से जान सकती है कि किस क्षेत्र में प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी, और किस प्रकार की कार्यवाही करनी होगी।

- **उदाहरण:** अभिसूचना के आधार पर, अगर किसी इलाके में हिंसा फैलने का खतरा हो, तो पुलिस उस इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर सकती है और रणनीतिक निर्णय ले सकती है।

8. भीड़ के मनोविज्ञान को समझना:

- अभिसूचना संकलन से यह भी पता चलता है कि भीड़ का मनोविज्ञान क्या हो सकता है—क्या यह सिर्फ एक शांतिपूर्ण विरोध है, या इसमें हिंसक तत्व घुस सकते हैं। यह जानकारी पुलिस को रणनीतिक रूप से अपने कदम उठाने में मदद करती है।

- **उदाहरण:** अगर अभिसूचना से पता चलता है कि भीड़ में उत्तेजना बढ़ रही है, तो पुलिस पहले से सख्त कदम उठा सकती है और हिंसा को बढ़ने से रोक सकती है।

9. संपर्क और संवाद:

- अभिसूचना संकलन से पुलिस को यह जानकारी मिल सकती है कि भीड़ के साथ संवाद करने का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा। यदि पुलिस को पता है कि भीड़ के नेता कौन हैं, तो उनके साथ संवाद स्थापित करके स्थिति को शांत किया जा सकता है।

- **उदाहरण:** पुलिस एक स्थानीय नेता के माध्यम से भीड़ से शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश कर सकती है, यदि यह अभिसूचना से पता चलता है कि यह नेता हिंसा को रोकने में मदद कर सकता है।

भीड़ नियंत्रण हेतु BNSS में वर्णित विधिक उपाय

विशेष रूप से सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। जब भीड़ उग्र हो जाती है या हिंसा की संभावना होती है, तो पुलिस को इन कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने का अधिकार होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं, जो पुलिस को कानून के दायरे में रहकर उचित कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

यहाँ पर ठेके के कुछ प्रमुख कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जो भीड़ नियंत्रण से संबंधित हैं:

1. धारा 163 BNSS – इक्कठा होने पर प्रतिबंध (Power to issue order in urgent cases of nuisance or danger):

यह धारा पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है, जब यह विश्वास हो कि उनका इकट्ठा होना सार्वजनिक शांति या सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

प्रावधान:

- जब पुलिस यह पाती है कि किसी स्थान पर भीड़ जमा हो सकती है या भीड़ के कारण हिंसा फैल सकती है, तो वे धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा सकती हैं।
- यह आदेश 2 या 3 दिन के लिए जारी किया जा सकता है, और इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

2. धारा 170 BNSS – गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने की रोकथाम (Arrest to prevent the commission of cognizable offence):

- यह धारा पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है यदि वे किसी गैरकानूनी कार्य में शामिल हो सकते हैं या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

प्रावधान:

- पुलिस को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है यदि वह किसी हिंसक प्रदर्शन या भीड़ का हिस्सा बनने वाला हो।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।

3. धारा 148 BNSS – दंगा रोकने के लिए पुलिस की कार्यवाही (Dispersal of unlawful assembly):

- जब कोई भीड़ गैरकानूनी रूप से इकट्ठा हो जाती है, तो पुलिस को इसे तीत तीतर-बितर करने का अधिकार होता है, ताकि हिंसा से बचा जा सके।

प्रावधान:

- यदि कोई भीड़ अवैध रूप से इकट्ठी हो जाती है, तो पुलिस उसे शांतिपूर्वक तीतर-बितर करने के लिए प्रयास करती है। यदि भीड़ नहीं जाती, तो पुलिस बल का उपयोग कर सकती है।
- अगर पुलिस के चेतावनी देने के बाद भी भीड़ नहीं तीतर-बितर होती है, तो उसे तीतर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह बल आवश्यक और उचित सीमा में होना चाहिए।

4. धारा 149 उछै दंगे के दौरान हथियार का इस्तेमाल (Use of force to disperse assembly):

- यह धारा पुलिस को यह अधिकार देती है कि वह जब भी कोई भीड़ हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करती है, तो उसे तीतर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है।

प्रावधान:

- अगर किसी भीड़ के खिलाफ तीतर-बितर करने के लिए सख्त कार्यवाही करनी हो, तो पुलिस को यह अधिकार होता है कि वह प्कानूनी बल का इस्तेमाल करें।
- पुलिस को आदेश देने के बाद, अगर भीड़ नहीं जाती है, तो इसे बल प्रयोग करके तीतर-बितर किया जा सकता है।

5. धारा 126 BNSS— शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा आवेदन (Security for keeping the peace):

- यह धारा पुलिस को किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार देती है, जब यह संदेह होता है कि वह व्यक्ति सार्वजनिक शांति में विघ्न डाल सकता है।

प्रावधान:

- यदि पुलिस को यह संदेह है कि कोई व्यक्ति किसी भीड़ का हिस्सा बनने वाला है या सार्वजनिक शांति में विघ्न डाल सकता है, तो उसे शांति बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा राशि जमा करने का आदेश दिया जा सकता है।

6. धारा 129 BNSS सार्वजनिक शांति में विघ्न डालने वालों पर कार्यवाही (Security for good behaviour from habitual offenders):

- यह धारा पुलिस को किसी व्यक्ति पर कार्यवाही करने का अधिकार देती है, यदि वह व्यक्ति लगातार सार्वजनिक शांति में विघ्न डालता है या भीड़ को हिंसक बनाता है।

प्रावधान:

- पुलिस इस धारा के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुरक्षा आदेश जारी कर सकती है, यदि वह व्यक्ति अतीत में सार्वजनिक शांति में विघ्न डालने में शामिल रहा हो।

7. धारा 170 BNSS गिरफ्तारी बिना वारंट (Arrest to prevent cognizable offence):

इस धारा के तहत, पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, अगर यह विश्वास होता है कि वह किसी अपराध को करने वाला है या किसी हिंसक भीड़ का हिस्सा बनने वाला है।

प्रावधान:

- यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का उचित कारण है, तो पुलिस बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकती है, ताकि अपराध को रोका जा सके।

8. धारा 175 BNSS – पुलिस द्वारा जांच (Police Officer's Power to Investigate):

- यदि भीड़ के कारण कोई अपराध हुआ है, तो पुलिस को जांच (Investigation) करने का अधिकार होता है।

प्रावधान:

- पुलिस किसी भी अपराध के संदिग्ध को जांचने और गिरफ्तारी करने के लिए स्वतंत्र होती है, और किसी भी प्रकार के अपराधिक गतिविधि को नियंत्रण में लाने के लिए कार्यवाही कर सकती है।

9. धारा 177 BNSS – अपराधी की गिरफ्तारियों की रिपोर्ट (Report of arrest):

- पुलिस को गिरफ्तारी के बारे में कोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई है।

प्रावधान:

- गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी समय पर अदालत को दी जाती है, ताकि उसकी कानूनी प्रक्रिया सही ढंग से आगे बढ़ सके।

भीड़ नियंत्रण हेतु BNSS के अतिरिक्त अन्य विधि प्रावधान:

भीड़ नियंत्रण के संदर्भ में BNSS के अतिरिक्त भी कई अन्य विधिक प्रावधान हैं जो पुलिस और सुरक्षा बलों को सही तरीके से और कानूनी रूप से कार्यवाही करने के अधिकार प्रदान करते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कानून, जैसे BNS, सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए अन्य विशेष कानून, और भारतीय संविधान के प्रावधान शामिल हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना, हिंसा को रोकना और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना है।

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) में वर्णित प्रावधान

BNS में कई धाराएँ हैं, जो भीड़ नियंत्रण और हिंसा से निपटने से संबंधित हैं:

धारा 189 (1) – अवैध जमाव (Unlawful Assembly):

- जब तीन या तीन से अधिक लोग किसी अवैध उद्देश्य से एकत्र होते हैं, तो इसे अवैध जमाव माना जाता है। पुलिस को इस स्थिति में कार्यवाही करने का अधिकार होता है। यदि यह जमाव हिंसक हो जाता है, तो पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है।

धारा 189 (2) – अवैध जमाव में भागीदारी (Joining unlawful assembly):

- अगर कोई व्यक्ति अवैध जमाव का हिस्सा बनता है, तो उसे अपराधी माना जाता है, और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

धारा 189 (2) – हिंसक जमाव (Rioting):

- यह धारा तब लागू होती है जब कोई अवैध जमाव हिंसक हो जाता है। इसमें जमाव में शामिल व्यक्तियों को दंगा करने के आरोप में सजा दी जा सकती है।

धारा 191 (2)– दंगा (Rioting):

- यदि भीड़ में हिंसा होती है और उसे दंगा माना जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों पर दंगे का आरोप लगाया जा सकता है। यह अपराध गैर-जमानती होता है और इसमें कठोर सजा हो सकती है।

धारा 190 – अवैध जमाव के सदस्य के रूप में अपराध करना (Every member of unlawful assembly guilty of an offence committed in prosecution of common object):

- यदि किसी अवैध जमाव में शामिल व्यक्ति किसी अपराध में शामिल होता है, तो सभी सदस्य उस अपराध के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से अपराध में शामिल हों या नहीं।

धारा 194 (2) – सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई-झगड़ा (Affray):

- यह धारा सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई-झगड़ा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार देती है। यदि भीड़ सार्वजनिक स्थान पर हिंसक झगड़ा करती है, तो पुलिस इस धारा के तहत कार्यवाही कर सकती है।

2. पुलिस एक्ट (Police Act) में वर्णित प्रावधान

- पुलिस एक्ट के तहत पुलिस को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग वे भीड़ नियंत्रण के दौरान कर सकते हैं।

प्रावधान:

- पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार होता है। वे किसी भी अवैध जमाव या हिंसा को रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

3. लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य विशेष कानून

आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (TADA):

- यदि कोई भीड़ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होती है, तो TADA जैसे विशेष कानूनों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। यह कानून पुलिस को आतंकवादियों और आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

नागरिक सुरक्षा कानून (National Security Act):

- यह कानून किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए हिरासत में रखने का अधिकार देता है यदि यह साबित हो कि वह सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। इस कानून का उपयोग उग्र भीड़ और हिंसक गतिविधियों को नियंत्रित करने में किया जा सकता है।

लोक सुरक्षा अधिनियम (Public Safety Act):

- इस कानून के तहत, सरकार को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है यदि यह लगता है कि वह सार्वजनिक शांति को खतरे में डाल सकता है। इस प्रकार, यह कानून भीड़ नियंत्रण में सहायक होता है।

4. भारत सरकार के आदेश और दिशानिर्देश (Government Orders and Directives)

- सरकार समय-समय पर विभिन्न प्रकार के आदेश और दिशानिर्देश जारी करती है जो भीड़ नियंत्रण के संदर्भ में पुलिस को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, भीड़ नियंत्रण में इस्तेमाल होने वाले बल का स्तर, आंसू गैस और पानी की बौछार जैसे उपकरणों का उपयोग, और हिंसक भीड़ से निपटने के लिए उपायों की व्याख्या की जाती है।

5. संविधान का प्रावधान

भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान भी भीड़ नियंत्रण से संबंधित हैं:

• ARTICLE 19(1)(इ) संगठित प्रदर्शन करने का अधिकार:

संविधान प्रत्येक नागरिक को शांति पूर्ण और संगठित रूप से प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार हिंसा या सार्वजनिक शांति के उल्लंघन की स्थिति में सीमित हो सकता है।

• ARTICLE 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:

यह अधिकार नागरिकों को सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन यह किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करने पर रुक सकता है। भीड़ नियंत्रण के दौरान यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो इसे न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है।

भीड़ नियंत्रण में परामर्श व परामर्शदाता की भूमिका

भीड़ नियंत्रण में परामर्श व परामर्शदाता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब कोई भीड़ नियंत्रण से बाहर हो जाती है या हिंसक होने की संभावना होती है, तो परामर्शदाता का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को संभालने, भीड़ के मनोविज्ञान को समझने, और पुलिस या सुरक्षा बलों के साथ समन्वय स्थापित करने का होता है। यह न केवल हिंसा को रोकने में मदद करता है, बल्कि जनसंहार या अन्य नकारात्मक घटनाओं से बचाव करने में भी महत्वपूर्ण होता है।

परामर्श व परामर्शदाता की भूमिका

1. भीड़ का मनोविज्ञान समझना:

• परामर्शदाता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भीड़ के मनोविज्ञान को समझना है। भीड़ में व्यक्तियों का व्यवहार सामूहिकता में बदल जाता है और यह समझना कि यह कैसे और क्यों बदलता है, परामर्शदाता के लिए आवश्यक होता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि भीड़ शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रही है या उसे हिंसक रूप में बदलने की संभावना है।

2. वास्तविक समय में परामर्श देना:

• जब भीड़ हिंसक हो या नियंत्रण से बाहर हो, तो परामर्शदाता पुलिस या अन्य सुरक्षा अधिकारियों को वास्तविक समय में रणनीतियों पर सलाह देता है। यह सलाह संयम बनाए रखने, उत्तेजना को शांत करने और भीड़ के मनोविज्ञान का सही तरीके से उपयोग करने के बारे में हो सकती है।

3. शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत करना:

• परामर्शदाता का कार्य होता है कि वह भीड़ को हिंसा से बचाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करे। वह भीड़ को समझाने, उनके मुद्दों को सुनने और संवाद के माध्यम से समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है। यह न केवल घटना को नियंत्रित करने में मदद करता है बल्कि यह लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का तरीका भी सुनिश्चित करता है।

4. सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना:

• परामर्शदाता पुलिस और भीड़ के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करता है। कभी-कभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की कमी के कारण हिंसा भड़क सकती है। परामर्शदाता इस संवाद को स्थापित करता है ताकि दोनों पक्ष अपनी समस्याओं को सही तरीके से साझा कर सकें और शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकें।

5. भीड़ के नेताओं से संपर्क करना:

• परामर्शदाता का एक कार्य यह भी होता है कि वह भीड़ के नेताओं से संपर्क कर, उन्हें समझाने की कोशिश करे। यह सुनिश्चित करता है कि प्रदर्शन शांति से हो और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचा जा सके। यदि नेताओं से अच्छा संवाद स्थापित होता है, तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

6. पुलिस के लिए सुझाव देना:

• परामर्शदाता पुलिस को भी यह सलाह देता है कि वे बल का प्रयोग तभी करें जब यह पूरी तरह से आवश्यक हो, और तब भी इसे न्यूनतम सीमा तक सीमित रखें। बल का अत्यधिक प्रयोग भीड़ को उत्तेजित कर सकता है, इसलिए परामर्शदाता स्थिति को ठीक से समझकर उचित समय पर बल प्रयोग के बारे में सुझाव देता है।

7. सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का ज्ञान:

• परामर्शदाता को स्थानीय समुदाय, उनके रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, और सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। इससे वह भीड़ की समस्याओं और आवश्यकताओं को सही तरीके से समझ सकता है और उनके साथ संवाद स्थापित कर सकता है। यह एक सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है, जिससे भीड़ के साथ बेहतर तरीके से बातचीत की जा सकती है।

8. जवाबदेही और रिपोर्टिंग:

• परामर्शदाता को भीड़ नियंत्रण के दौरान जो कुछ भी होता है, उसकी रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी होती है। यह रिपोर्ट पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को दी जाती है, ताकि भविष्य में होने वाली घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी की जा सके।

9. प्रशिक्षण और जागरूकता:

• परामर्शदाता पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के लिए भी प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर सकता है, ताकि वे भीड़ के मनोविज्ञान को समझ सकें और बिना हिंसा के परिस्थितियों को नियंत्रित करने के तरीकों को

जान सकें। यह पुलिस बल को स्थिति का सही आकलन करने और एक प्रभावी रणनीति अपनाने में मदद करता है।

भीड़ नियंत्रण में मध्यस्थ (Mediator) की भूमिका

• **भीड़ नियंत्रण में मध्यस्थ की भूमिका** अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब भीड़ उग्र हो जाती है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, तो एक प्रशिक्षित और अनुभवी मेडिएटर (मध्यस्थ) अपनी विशेष भूमिका निभा सकता है। वह भीड़ और पुलिस के बीच, या भीड़ के विभिन्न समूहों के बीच संवाद स्थापित करता है और शांतिपूर्ण समाधान की ओर मार्गदर्शन करता है। मेडिएटर का उद्देश्य हिंसा को रोकना, तनाव को कम करना और पक्षों के बीच सहमति स्थापित करना होता है।

भीड़ नियंत्रण में मध्यस्थ की भूमिका:

1. संवाद स्थापित करना:

• मेडिएटर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भीड़ और पुलिस के बीच संवाद स्थापित करना होता है। वह दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को समझता है और दोनों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह संवाद ही स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की दिशा में पहला कदम होता है।

2. भीड़ के साथ सहयोगपूर्ण रिश्ते बनाना:

• मेडिएटर का कार्य भीड़ से संवाद स्थापित करना और उनकी चिंताओं को समझना होता है। वह भीड़ के नेताओं और प्रतिनिधियों से संपर्क करता है, ताकि उनके विचारों और समस्याओं को सुना जा सके। इसके बाद, वह उन समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत और सहमति का रास्ता तलाशता है।

3. विश्वास का निर्माण:

• एक प्रभावी मेडिएटर का कार्य दोनों पक्षों (भीड़ और पुलिस) में विश्वास का निर्माण करना होता है। जब दोनों पक्षों को लगता है कि कोई तटस्थ और निष्पक्ष व्यक्ति उनकी बात सुन रहा है और समाधान की ओर बढ़ने में मदद कर रहा है, तो स्थिति में तनाव कम हो सकता है।

4. हिंसा को रोकना:

• मेडिएटर का कार्य हिंसा को रोकने के लिए एक शांतिपूर्ण उपाय खोजना होता है। यदि स्थिति अत्यधिक उत्तेजित हो और हिंसा की संभावना हो, तो वह भीड़ को शांत करने के लिए उपाय करता है, जैसे कि उनके मुद्दों पर चर्चा करना, उन्हें समझाना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील करना।

5. वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करना:

• मेडिएटर हिंसक स्थिति से बाहर आने के लिए वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करता है। वह पुलिस और भीड़ दोनों के लिए स्वीकार्य और संतुलित समाधान की दिशा में बातचीत करता है। कभी-कभी, यह समाधान बातचीत, समय की सीमा, या कुछ अन्य समझौतों के रूप में हो सकता है।

6. सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता:

• मेडिएटर को भीड़ के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का गहरा ज्ञान होना चाहिए। इसके द्वारा वह भीड़ के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ सकता है और उनका विश्वास प्राप्त कर सकता है। यह सांस्कृतिक संवेदनशीलता उसे शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में बेहतर मार्गदर्शन करने में मदद करती है।

7. दबाव की स्थिति में फैसले लेना:

• जब स्थिति तनावपूर्ण हो और भीड़ या पुलिस की ओर से कोई कठोर प्रतिक्रिया हो, तो मेडिएटर को निर्णय लेने की स्थिति में आना पड़ता है। उसे अपने अनुभव और समझदारी से यह तय करना होता है कि कब बातचीत जारी रखी जाए, कब बल का प्रयोग किया जाए और कब स्थिति को और बिगड़ने से रोका जाए।

8. समझौते का निर्माण:

• मेडिएटर कभी-कभी एक समझौते की दिशा में काम करता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच संतुलन और न्याय स्थापित हो सके। वह दोनों पक्षों के बीच असहमति को सुलझाता है और उन्हें एक सामान्य लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है।

9. कानूनी और मानवाधिकारों का पालन:

- मेडिएटर यह सुनिश्चित करता है कि जो समाधान भी प्रस्तुत किए जा रहे हों, वे कानूनी और मानवाधिकारों के तहत हों। वह यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पक्ष हिंसा, भेदभाव या उत्पीड़न का शिकार न हो।

10. सुरक्षा और शांति का संवर्धन:

- मेडिएटर का अंतिम उद्देश्य सुरक्षा और शांति की स्थिति को बहाल करना होता है। वह हर कदम पर यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों के बीच हिंसा, अव्यवस्था, या नफरत न बढ़े और एक स्थिर वातावरण बन सके।

भीड़ नियंत्रण के मध्यस्थ के क्या-क्या गुण होने चाहिए:

भीड़ नियंत्रण में मेडिएटर के लिए कुछ विशेष गुण और क्षमताएँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ताकि वह प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभा सके और स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझा सके। इन गुणों का होना न केवल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी होता है, बल्कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तालमेल और समझौता स्थापित करने में भी सहायक होता है।

1. संवेदनशीलता और सहानुभूति (Sensitivity and Empathy):

- मेडिएटर को भीड़ के सदस्यों के मुद्दों और भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। वह उनके विचारों, आस्थाओं और चिंता को गहराई से समझे बिना और उनके प्रति सहानुभूति दिखाए बिना प्रभावी संवाद स्थापित नहीं कर सकता।
- संवेदनशीलता से वह भीड़ के सदस्यों की समस्याओं को सुनने और उन्हें सम्मान देने की स्थिति में होता है, जिससे उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से बात करने का अवसर मिलता है।

2. शांतिपूर्ण संवाद की क्षमता (Effective Communication Skills):

- मेडिएटर को संवाद करने में निपुण होना चाहिए। उसे अपनी बातों को स्पष्ट, संक्षिप्त, और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए।
- उसे अच्छे श्रोता होने के साथ-साथ, भीड़ और पुलिस के बीच स्पष्टता और सहमति बनाने के लिए संचार कौशल का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए।

3. निष्पक्षता (Impartiality):

- एक मेडिएटर को दोनों पक्षों (भीड़ और पुलिस) के प्रति निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए। उसे बिना किसी पक्षपाती दृष्टिकोण के दोनों समूहों के विचारों और भावनाओं को समझते हुए, सुलह कराने की कोशिश करनी चाहिए।
- पक्षपाती होने की स्थिति में उसका प्रभाव कम हो सकता है और दोनों पक्षों का विश्वास खत्म हो सकता है।

4. धैर्य (Patience):

- भीड़ नियंत्रण में स्थितियाँ अक्सर तनावपूर्ण और उत्तेजित होती हैं। ऐसे में मेडिएटर को धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, ताकि वह शांति से दोनों पक्षों के विचार सुन सके और समस्या का समाधान कर सके।
- धैर्य से वह स्थितियों को जल्दी से बिगड़ने से रोक सकता है और प्रभावी समाधान के लिए समय ले सकता है।

5. निर्णय लेने की क्षमता (मनबपेपवद-उंपदह |इपसपजल):

- संकट की स्थिति में, मेडिएटर को जल्दी और सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसे स्थिति के विकास के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, जिससे तनाव और हिंसा को रोका जा सके।

- वह स्पष्ट रूप से समझता है कि कब एक सुझाव को लागू करना है, कब बातचीत जारी रखनी है, और कब उसे पुलिस कोरीव करने का सुझाव देना चाहिए।

6. सामाजिक और सांस्कृतिक समझ (Social and Cultural Awareness):

- मेडिएटर को उस समाज, संस्कृति और स्थानीय संदर्भ की समझ होनी चाहिए जिसमें वह काम कर रहा है। विभिन्न समुदायों की समस्याओं, उनके मूल्य, और उनके प्रदर्शन के तरीके को समझे बिना वह प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सकता।
- समाज की सामाजिक संरचनाओं, विश्वासों और संवेदनाओं को समझने से वह भीड़ के विचारों और व्यवहारों को सही तरीके से पहचान सकता है।

7. संभावित परिणामों का पूर्वानुमान (Ability to Anticipate Outcomes):

- एक अच्छा मेडिएटर स्थिति का पूर्वानुमान करने में सक्षम होता है। वह समझता है कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही या शब्दों से क्या परिणाम हो सकते हैं, और इस समझ से वह सही समय पर उचित प्रतिक्रिया देता है।
- वह स्थिति के आगे के विकास को भी समझता है और किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए प्रासंगिक कदम उठाता है।

8. मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता (Awareness of Human Rights):

- मध्यस्थ को मानवाधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन न हो, खासकर प्रदर्शनकारियों का, उसे जिम्मेदारी के साथ काम करने की शक्ति देता है।
- किसी भी तरह की जबरदस्ती या बल प्रयोग के खिलाफ वह हमेशा शांतिपूर्ण और कानूनी समाधान की दिशा में काम करता है।

9. समझदारी और विवेक (Wisdom and Discretion):

- स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, मेडिएटर को विवेकपूर्ण और समझदारी से काम करना चाहिए। वह कभी भी ऐसी कार्यवाही नहीं करता, जिससे स्थिति और बिगड़े या पुलिस की कार्यवाही से भीड़ उत्तेजित हो।
- विवेक से वह दोनों पक्षों के बीच सुलह स्थापित करने के लिए सही विकल्प चुनता है।

10. तनाव को कम करने की क्षमता (Ability to De&escalate Tension):

- मेडिएटर का एक प्रमुख गुण यह है कि वह तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्थिति को शांत करने की कला में माहिर होता है। वह उग्र या उत्तेजित भीड़ को शांत करने के लिए सही शब्दों और कार्यों का उपयोग करता है।
- तनाव को कम करने के लिए वह विनम्र, शांत और समझदार तरीके से अपनी बात रखता है, जिससे भीड़ के मनोबल पर असर न पड़े।

भीड़ नियंत्रण के समय पुलिस द्वारा की जाने वाली कारवाइयां:—

भीड़ नियंत्रण के समय पुलिस द्वारा की जाने वाली कारवाइयां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ताकि स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित किया जा सके और हिंसा से बचा जा सके। पुलिस की कार्यवाही का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना, सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना, और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नुकसान से बचना होता है।

भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली कारवाइ:

1. मौन निरीक्षण (Observation):

- पुलिस को सबसे पहले भीड़ की स्थिति का निरीक्षण करना होता है। वे यह आंकलन करते हैं कि भीड़ शांतिपूर्ण है या हिंसक हो सकती है। इसके अलावा, पुलिस यह भी पहचानती है कि भीड़ का आकार कितना बड़ा है और क्या उसमें कोई नेतृत्वकर्ता है, जो स्थिति को उकसा सकता है।

2. संवाद स्थापित करना (Establishing Communication):

- पुलिस को भीड़ के नेताओं या प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद के माध्यम से पुलिस उनके मुद्दों और चिंताओं को समझ सकती है, और शांति बनाए रखने की दिशा में बातचीत कर सकती है। यह शांति बनाए रखने में मदद करता है और पुलिस के साथ भीड़ का विश्वास स्थापित करता है।

3. भीड़ को चेतावनी देना (Warning the Crowd):

- यदि भीड़ नियंत्रण से बाहर होने की संभावना होती है, तो पुलिस पहले चेतावनी देती है। यह चेतावनी आमतौर पर सार्वजनिक रूप से दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर भीड़ ने अव्यवस्था या हिंसा शुरू की, तो बल का उपयोग किया जाएगा। यह चेतावनी लिखित या ध्वनि (लाउडस्पीकर) के माध्यम से दी जा सकती है।

4. दमनात्मक बल का उपयोग (Use of Force] if Necessary):

- जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाए और किसी प्रकार की हिंसा शुरू हो जाए, तो पुलिस को सीमित बल का प्रयोग करने की अनुमति होती है। यह बल गैर-घातक उपकरणों (जैसे पानी की बौछार, आंसू गैस, या रबर की गोलियाँ) के रूप में हो सकता है। पुलिस के पास यह अधिकार होता है कि वह स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करे, लेकिन यह बल न्यूनतम और उपयुक्त होना चाहिए।

5. टीमों और इकाइयों का गठन (Formation of Teams and Units):

- पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष टीमों का गठन करना पड़ता है। जैसे कि रैपिड एक्शन फोर्स (रे।थ) या विशेष बल। ये टीमें प्रशिक्षित होती हैं और जटिल परिस्थितियों में भीड़ को नियंत्रित करने में माहिर होती हैं। इन टीमों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जाता है, ताकि वे भीड़ के विभिन्न हिस्सों में हस्तक्षेप कर सकें।

6. भीड़ को तीतर-बीतर करना (Dispersing the Crowd):

- यदि स्थिति गंभीर हो जाए, तो पुलिस को भीड़ को तीतर-बीतर करने की आवश्यकता हो सकती है। पुलिस द्वारा विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आंसू गैस, पानी की बौछार, या लाउडस्पीकर से संदेश देना। पुलिस आमतौर पर एक चेतावनी देती है और फिर भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए कार्यवाही करती है। यह कार्य पूरी तरह से शांतिपूर्वक किया जाता है, ताकि किसी को भी हानि न पहुंचे।

7. सुरक्षा घेरे की स्थापना (Establishment of a Security Perimeter):

- पुलिस भीड़ को घेरने के लिए सुरक्षा घेरे बनाती है। यह सुरक्षा घेरा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक तरह का अवरोधक होता है, जो उन्हें एक निश्चित क्षेत्र में सीमित कर देता है। इसे फ्लोर्डन एंड सर्च के रूप में भी लागू किया जा सकता है, जहां पुलिस कोई संदिग्ध व्यक्ति या हथियारों के बारे में जांच करती है।

8. अवरोधक सामग्री का इस्तेमाल (Use of Barriers or Obstacle):

- भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अवरोधक (जैसे बैरिकेड्स) का उपयोग कर सकती है। यह बैरिकेड्स भीड़ को एक निश्चित स्थान तक सीमित रखने के लिए तैनात किए जाते हैं, ताकि वे बिखरे न जाएं या पुलिस और अन्य व्यक्तियों को खतरा न हो।

9. आंसू गैस और अन्य रासायनिक उपायों का प्रयोग (Use of Tear Gas and Chemical Measures):

- यदि भीड़ हिंसक हो जाए और पुलिस को बल प्रयोग की आवश्यकता हो, तो आंसू गैस जैसी रासायनिक गैसों का प्रयोग किया जा सकता है। यह गैस भीड़ को प्रभावित करती है और उन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए मजबूर करती है, जिससे भीड़ का नियंत्रण आसान हो जाता है।

10. कानूनी कार्यवाही (Legal Action):

- अगर किसी भीड़ ने हिंसा की या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो पुलिस के पास कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होता है। पुलिस दोषियों को गिरफ्तार कर सकती है और उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। यह कार्यवाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (ठछै) के तहत की जाती है, जैसे कि गिरफ्तारियां, मुकदमे, या अन्य कानूनी उपाय।

11. मीडिया और जनसंचार का इस्तेमाल (Use of Media and Public Communication):

- पुलिस अक्सर मीडिया और जनसंचार के माध्यम से भीड़ को सूचित करती है कि स्थिति पर नियंत्रण रखा गया है और यदि वे शांतिपूर्वक व्यवहार करें, तो हिंसा से बचा जा सकता है। यह पुलिस और भीड़ के बीच एक संवाद स्थापित करने का तरीका हो सकता है।

12. तत्काल रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण (Immediate Reporting and Documentation):

- पुलिस भीड़ नियंत्रण के दौरान हर कदम की रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण करती है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के कानूनी मामले या जांच के दौरान सहायता मिल सके। यह रिकॉर्डिंग पूरे ऑपरेशन की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

iii. भीड़ के साथ पुलिस का व्यवहार

भीड़ के साथ पुलिस का व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पुलिस का व्यवहार स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित करने में मदद करता है। उचित और संवेदनशील व्यवहार से हिंसा को बढ़ने से रोका जा सकता है, जबकि गलत या अत्यधिक बल प्रयोग से स्थिति और खराब हो सकती है। यहां कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं, जो पुलिस को भीड़ के साथ

व्यवहार करते समय ध्यान में रखने चाहिए:

1. शांत और संयमित व्यवहार:

- पुलिस को हमेशा शांत और संयमित रहकर व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में, यदि पुलिस अधिकारी गुस्से या उत्तेजना में आ जाते हैं, तो यह स्थिति को और बिगाड़ सकता है। एक शांतिपूर्ण और पेशेवर व्यवहार से भीड़ को नियंत्रित करने में आसानी होती है।

2. संवेदनशीलता और सम्मान:

- पुलिस को भीड़ के विभिन्न वर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस नागरिकों और उनके अधिकारों का सम्मान करे, ताकि वे पुलिस की कार्यवाही को समझ सकें और सहयोग करने के लिए प्रेरित हों।

3. संवाद और समझ:

- संवाद एक शक्तिशाली उपकरण है। पुलिस को पहले बातचीत का प्रयास करना चाहिए। यदि भीड़ के पास कोई शिकायत या मांग है, तो पुलिस को संवाद स्थापित कर उसे समझने की कोशिश करनी

चाहिए। इससे भीड़ का गुस्सा शांत हो सकता है और पुलिस को स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

4. सुनवाई और समझौता:

- अगर कोई नेतृत्वकर्ता या प्रतिनिधि है, तो पुलिस को उनसे मिलकर उनकी शिकायतों या चिंताओं को सुनना चाहिए। इससे यह विश्वास बढ़ता है कि पुलिस उनकी बात समझ रही है, और हिंसा से बचने के लिए समाधान निकाला जा सकता है।

5. समानता का भाव:

- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, या पृष्ठभूमि से आए हों। भेदभावपूर्ण या पक्षपाती व्यवहार से भीड़ में और ज्यादा आक्रोश पैदा हो सकता है।

6. बल प्रयोग से बचना (न्यूनतम बल का प्रयोग):

- पुलिस को किसी भी स्थिति में बल प्रयोग से बचना चाहिए, जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। अगर भीड़ हिंसक हो जाती है, तो पुलिस को न्यूनतम बल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बल से स्थिति और बिगड़ सकती है और यह मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है।

7. कानूनी दायित्व का पालन:

- पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान हमेशा कानून का पालन करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनकी कार्यवाही कानूनी रूप से सही हो और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो। पुलिस को यह याद रखना चाहिए कि उसका मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना है, न कि किसी को नुकसान पहुँचाना।

8. उत्तेजनाओं से बचना:

- पुलिस को किसी भी प्रकार की उत्तेजना को बढ़ाने से बचना चाहिए। यह जरूरी है कि पुलिस के शब्द, हाव-भाव और शारीरिक भाषा से कोई भी गलत संदेश न जाए। उत्तेजक शब्द या हरकतें स्थिति को और भड़का सकती हैं।

9. पारदर्शिता और रिपोर्टिंग:

- पुलिस को अपनी कार्यवाही में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और स्थिति के बारे में जनसंचार और मीडिया को सही जानकारी देनी चाहिए। इससे अफवाहों और गलतफहमियों का पता चलता है और जनता में विश्वास बना रहता है।

10. भीड़ के मनोविज्ञान को समझना:

- पुलिस को भीड़ के मनोविज्ञान को समझना चाहिए। जब लोग समूह में होते हैं, तो उनका व्यवहार अलग हो सकता है, और किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। पुलिस को यह समझना चाहिए कि भीड़ अक्सर उकसावे पर प्रतिक्रिया करती है, और यदि समय पर सही कदम उठाए जाएं, तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

11. मूल्यांकन और प्रतिक्रिया:

- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी कोई कार्यवाही की जाए, तो उसका प्रभाव ठीक से मूल्यांकित किया गया हो। यदि किसी कार्यवाही का प्रतिकूल परिणाम हो, तो पुलिस को तुरंत प्रतिक्रिया करनी चाहिए और स्थिति को फिर से संभालने के लिए उपाय करने चाहिए।

12. आक्रामकता और भय से बचना:

- पुलिस को भीड़ से डरने की बजाय अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करना चाहिए। भय और आक्रामकता से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति में और भी घबराहट पैदा हो सकती है और भीड़ की प्रतिक्रिया भी और बढ़ सकती है।

भीड़ नियंत्रण के पश्चात पुलिस द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

भीड़ नियंत्रण के पश्चात पुलिस द्वारा बढ़ने जाने वाली सावधानियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, ताकि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके और भविष्य में कोई अनहोनी न हो। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी कानूनी और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन न हो और हिंसा या अव्यवस्था का पुनरावृत्ति न हो। नीचे कुछ मुख्य सावधानियों का उल्लेख किया गया है;

1. स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन:

- पुलिस को भीड़ नियंत्रण के बाद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थिति पूरी तरह से शांत हो चुकी है और कहीं कोई छिपी हुई चुनौती तो नहीं है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई और उग्र प्रतिक्रिया न हो, और किसी अन्य स्थान पर उथल-पुथल का खतरा नहीं हो।

2. घायल व्यक्तियों का उपचार:

- भीड़ नियंत्रण के दौरान अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराए या अस्पताल भेजे। पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि घायल व्यक्तियों का मेडिकल उपचार उचित रूप से किया जाए।

3. विवादों और शिकायतों की सुनवाई:

- भीड़ के नियंत्रित होने के बाद पुलिस को किसी भी प्रकार की शिकायतों और आरोपों का समुचित समाधान करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यदि किसी ने हिंसा का आरोप लगाया है, तो उसे निष्पक्ष जांच मिल सके। पुलिस को विवादों और शिकायतों का सही तरीके से निपटारा करना चाहिए।

4. जनसंचार और मीडिया से संपर्क:

- पुलिस को घटना के बारे में मीडिया और जनता से उचित संवाद स्थापित करना चाहिए। मीडिया को स्पष्ट जानकारी देना जरूरी होता है ताकि अफवाहें न फैलें और स्थिति की सच्चाई सामने आ सके। इससे आम जनता को भी यह अहसास होता है कि पुलिस स्थिति पर नियंत्रण पा चुकी है और शांति बनाए रखी जा रही है।

5. सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन:

- भीड़ नियंत्रण के बाद पुलिस को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पुलिस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अनुसार कार्य करना चाहिए, और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या अन्याय से बचना चाहिए।

6. भीड़ के किसी सदस्य की गिरफ्तारी की स्थिति का पुनः मूल्यांकन:

- यदि किसी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी कानूनी है और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ अच्छे बर्ताव की आवश्यकता होती है और पुलिस को उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

7. भीड़ के आक्रोश के कारणों का विश्लेषण:

- पुलिस को भीड़ के आक्रोश के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इसके लिए, वह स्थानीय नेताओं, समुदायों और प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर सकती है और किसी प्रकार की असंतोषजनक स्थिति का समाधान करने का प्रयास कर सकती है।

8. सामाजिक संगठनों और समुदायों के साथ समन्वय:

- पुलिस को स्थानीय समुदायों और संगठनों के साथ समन्वय करना चाहिए, ताकि समाज में विश्वास और सहयोग बनाए रखा जा सके। यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए पुलिस को स्थानीय नेताओं और संगठनों से सहयोग मिल सकता है।

9. प्रोफेशनलिज्म और अनुशासन बनाए रखना:

- पुलिस अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने जो कदम उठाए हैं, वे सही थे और सभी ने अपनी भूमिका में पेशेवर तरीके से कार्य किया है। पुलिस की कार्यवाही में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता से बचने के लिए उनके अपने आचरण का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है।

10. भीड़ नियंत्रण के दौरान उपयोग किए गए उपकरणों का पुनः मूल्यांकन:

- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो उपकरण भीड़ नियंत्रण में इस्तेमाल किए गए थे, जैसे कि आंसू गैस, रबर बुलेट्स, पानी की बौछार आदि, उनका सही तरीके से प्रयोग हुआ है और उनका इस्तेमाल उचित था। यदि कोई विवाद खड़ा हुआ है तो उसे सुलझाया जाना चाहिए।

11. हिंसा से बचने के लिए आम नागरिकों को प्रेरित करना:

- भीड़ नियंत्रण के बाद पुलिस को समाज के अन्य नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए। यह सार्वजनिक जगहों पर शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने के लिए आवश्यक है। पुलिस को आम नागरिकों के बीच संवेदनशीलता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

12. बढ़ी हुई सतर्कता बनाए रखना:

- स्थिति को पूरी तरह से शांतिपूर्ण करने के बाद भी पुलिस को किसी नई समस्या के आने के लिए सतर्क रहना चाहिए। उसे सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, विशेषकर ऐसे स्थानों पर जहां तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। पुलिस की एक सतर्क नजर स्थिति को जल्द नियंत्रित करने में मदद करती है।

13. आधिकारिक रिपोर्ट और दस्तावेजीकरण:

- पुलिस को पूरी घटना का आधिकारिक रूप से दस्तावेजीकरण करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी मामले में या मामले की समीक्षा के समय यह जानकारी उपलब्ध हो। पुलिस को रिपोर्ट में घटना की पूरी जानकारी, इस्तेमाल किए गए उपाय, और किसी प्रकार की शिकायतों का भी उल्लेख करना चाहिए।

भीड़ नियंत्रण के दौरान भीड़ में शामिल उत्तेजित आक्रोशित महिलाओं के प्रति पुलिस व्यवहार व कर्तव्य

1. सम्मान और संवेदनशीलता:

- महिलाओं को हर हाल में सम्मान देना जरूरी है। पुलिस अधिकारियों को महिला प्रदर्शनकारियों और भीड़ के सदस्य के रूप में उनके अधिकारों का उल्लंघन किए बिना उचित व्यवहार करना चाहिए। उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और न ही कोई अपमानजनक या अपवित्र भाषा का उपयोग करना चाहिए।

2. कम बल का प्रयोग:

- महिलाओं के मामले में पुलिस को अधिक संवेदनशील और संयमित रहना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें न्यूनतम बल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। महिलाओं को सामान्यतः पुरुषों के मुकाबले कम बल से नियंत्रित किया जाना चाहिए, खासकर जब वे शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं।

3. शारीरिक सुरक्षा का ध्यान:

- महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस को उनका सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि स्थिति बहुत उत्तेजक है, तो महिलाओं को पुरुषों से अलग किया जा सकता है और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से संभालने का प्रयास किया जा सकता है।

4. मानवाधिकारों का सम्मान:

- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण का शिकार न हों। अगर भीड़ के दौरान किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे महिला पुलिस अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। यह महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने के लिए जरूरी है।

5. धैर्य और संवाद:

पुलिस को महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि महिलाएं कोई शिकायत या चिंता व्यक्त करती हैं, तो पुलिस को उस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तेजित भीड़ में महिलाएं अक्सर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित होती हैं, और उन्हें शांतिपूर्वक सुनना जरूरी है।

पुलिस के कर्तव्य:

1. कानूनी अधिकारों की रक्षा:

- पुलिस का कर्तव्य है कि वह महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा करे, जैसे कि उनके सम्मान और गरिमा का उल्लंघन न होने पाए। यदि पुलिस किसी महिला को गिरफ्तार करती है या उसे हिरासत में लेती है, तो उसे उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उपचार किया जाना चाहिए।

2. मानवाधिकारों का उल्लंघन न करना:

- महिलाओं के साथ कोई भी हिंसा या अत्याचार नहीं होना चाहिए। पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार नहीं हो, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या यौन उत्पीड़न हो।

3. महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती:

- जब भी महिलाओं के खिलाफ कार्यवाही की जा रही हो, तो पुलिस को महिला अधिकारियों की तैनाती करनी चाहिए। इससे महिलाओं को अधिक आराम और सुरक्षा का अहसास होता है। महिला पुलिस अधिकारियों को स्थिति को संभालने में सहूलियत होती है, और वे अधिक संवेदनशीलता से काम कर सकती हैं।

4. अत्यधिक बल प्रयोग से बचना:

- पुलिस को महिलाओं के खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग करने से बचना चाहिए, और अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो उन्हें बल प्रयोग को सीमित करने के लिए सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए। जरूरत के हिसाब से, पुलिस को बातचीत और संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए।

5. आंदोलन के उद्देश्यों को समझना और सम्मान देना:

- पुलिस को यह समझना चाहिए कि महिलाओं का आंदोलन या प्रदर्शन किसी वैध उद्देश्य के लिए हो सकता है। पुलिस को यह प्रयास करना चाहिए कि महिलाओं की आवाज को दबाने की बजाय, उसे शांति और समझ के साथ नियंत्रित किया जाए।

6. सतर्कता और मानवाधिकार प्रशिक्षण:

- पुलिस को महिलाओं के अधिकारों, विशेषकर भीड़ नियंत्रण के दौरान, के बारे में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यह प्रशिक्षण उन्हें महिलाओं से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर सही तरीके से काम करने के लिए तैयार करता है।

7. साथी पुलिसकर्मियों की भूमिका:

- पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके साथी अधिकारी भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील और पेशेवर व्यवहार करें। पूरी टीम को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।

भीड़ नियंत्रण के दौरान भीड़ में शामिल बच्चों के प्रति

पुलिस की संवेदनशीलता व व्यवहार

भीड़ नियंत्रण के दौरान बच्चों के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता और व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति वयस्कों से पूरी तरह अलग होती है। बच्चों के साथ उचित और संवेदनशील व्यवहार करना न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भी मदद करता है। पुलिस का कार्य है कि वह बच्चों को किसी भी

प्रकार के शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक नुकसान से बचाए और उनके साथ उचित पेशेवर व्यवहार करें।

बच्चों के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता और व्यवहार:

1. शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का ध्यान:

- बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हानि से बचाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भीड़ नियंत्रण के दौरान यदि बच्चे किसी खतरनाक स्थिति में हैं, तो पुलिस को उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने या उनके माता-पिता या अभिभावकों के पास भेजने का प्रयास करना चाहिए।

2. अत्यधिक बल का प्रयोग न करना:

- बच्चों के साथ अत्यधिक बल प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और उन्हें किसी प्रकार की चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है। पुलिस को बच्चों को शांतिपूर्वक और बिना किसी शारीरिक नुकसान के स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए।

3. संवेदनशीलता और समझ:

- पुलिस को बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की जरूरत होती है। बच्चों की प्रतिक्रिया वयस्कों से अलग हो सकती है, और वे डर, घबराहट या भ्रम में हो सकते हैं। पुलिस को बच्चों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और उन्हें आराम देने का प्रयास करना चाहिए।

4. माता-पिता या अभिभावकों से संपर्क करना:

- यदि पुलिस को यह महसूस होता है कि बच्चे किसी खतरनाक या असुरक्षित स्थिति में हैं, तो उन्हें तुरंत उनके माता-पिता या अभिभावकों से संपर्क करना चाहिए। बच्चों को उनके परिवार से अलग न किया जाए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें परिवार से पुनः मिलवाया जाए।

5. आवश्यक सहायता प्रदान करना:

- पुलिस को बच्चों को किसी प्रकार की चिकित्सा सहायता या मानसिक राहत की आवश्यकता हो सकती है, विशेष रूप से अगर वे घबराए हुए हैं या चौटिल हुए हैं। पुलिस को ऐसी सहायता प्रदान करनी चाहिए या अस्पताल में भेजने का उचित कदम उठाना चाहिए।

6. धैर्य और समझ:

- बच्चों के साथ संवाद करते समय पुलिस को धैर्य और समझ का परिचय देना चाहिए। उन्हें शांतिपूर्वक और अच्छे शब्दों में बात करनी चाहिए ताकि बच्चे डर से बाहर आ सकें और खुद को सुरक्षित महसूस करें। यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस बच्चे के दृष्टिकोण से स्थिति को समझे और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दे।

7. भय और घबराहट से बचना:

- पुलिस को बच्चों के बीच भय और घबराहट फैलाने से बचना चाहिए। बच्चों को शांत और संरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए पुलिस को अपनी भाषा और शारीरिक भाषा में कोमलता और धैर्य रखना चाहिए। डर और घबराहट को बढ़ावा देने से बच्चे मानसिक रूप से और कमजोर हो सकते हैं।

8. अत्यधिक प्रतिक्रिया से बचना:

- बच्चों की भावनात्मक स्थिति को समझते हुए पुलिस को उनकी ओर से किसी भी प्रकार की अधिक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। अगर बच्चे किसी प्रकार से विरोध कर रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस को इसे अधिक बढ़ावा देने के बजाय, उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए।

9. कानूनी प्रक्रियाओं के पालन में संवेदनशीलता:

- यदि बच्चों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, तो पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया का पालन सही तरीके से किया जा रहा है। बच्चों को उनके माता-पिता या

अभिभावकों के बिना हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए और उनके साथ पूरी मानवाधिकारों की रक्षा के तहत व्यवहार किया जाना चाहिए।

पुलिस के कर्तव्य:

1. बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन न करना:

- पुलिस का कर्तव्य है कि वह बच्चों के अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान करे। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्हें हर प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार से बचाना चाहिए।

2. प्राथमिक चिकित्सा सहायता:

- बच्चों को अगर कोई शारीरिक चोट लगती है या वे मानसिक तनाव में होते हैं, तो पुलिस को उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए या पास के स्वास्थ्य केंद्र भेजने का प्रयास करना चाहिए।

3. कानूनी प्रक्रियाओं का पालन:

- पुलिस को बच्चों के मामले में कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, और अगर बच्चों को किसी प्रकार की हिरासत में लिया जाता है, तो उन्हें उचित व्यवस्था और उपचार मिलना चाहिए।

4. संगठित और पेशेवर प्रतिक्रिया:

- पुलिस को किसी भी प्रकार की स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को संगठित और पेशेवर रखना चाहिए, ताकि बच्चों को मानसिक रूप से सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण मिले।

हर कदम पर बच्चों व महिलाओं से संवेदनशीलता, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए।

1.d पुलिस अनुक्रिया

शांति व्यवस्था क्या है?

शांति व्यवस्था का अर्थ है एक ऐसा समाजिक और कानूनी वातावरण जिसमें लोग एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हुए बिना किसी हिंसा, अशांति या व्यवधान के अपने-अपने कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। शांति व्यवस्था का उद्देश्य समाज में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक शांति का माहौल बनाना है, ताकि लोग सुरक्षित और संतुष्ट रूप से जीवन जी सकें। यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक तनाव, हिंसा, या अराजकता न हो।

शांति व्यवस्था निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित होती है:

1. कानूनी और न्यायिक व्यवस्था: शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजबूत और निष्पक्ष कानूनी और न्यायिक तंत्र होना चाहिए, जो नियमों का पालन करता है और किसी भी असामाजिक व्यवहार या अपराध को कड़ी सजा देता है।

2. सामाजिक सौहार्द और समरसता: समाज में विभिन्न जाति, धर्म, और समुदायों के बीच शांति और समरसता बनी रहनी चाहिए। विभिन्न समाजिक समूहों के बीच आपसी सहमति, समझ और आदान-प्रदान शांति व्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं।

3. सार्वजनिक सुरक्षा: शांति व्यवस्था के तहत पुलिस, सुरक्षा बल, और प्रशासन का कार्य है कि वे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की हिंसा या उपद्रव को रोकें।

4. संविधान और कानून का पालन: शांति व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ यह है कि सभी नागरिक संविधान और कानून का पालन करें। जब लोग नियमों का पालन करते हैं, तो समाज में शांति बनी रहती है।

5. आर्थिक स्थिरता: एक स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था भी शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक है। जब लोग आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, तो हिंसा और अपराधों का स्तर घटता है।

6. मनोरंजन और संस्कृति: सामाजिक गतिविधियाँ, खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षिक संस्थान भी शांति व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये समाज में सामंजस्य और मेलजोल को बढ़ावा देते हैं।

शांति व्यवस्था की महत्ता

सामाजिक समरसता: शांति व्यवस्था के कारण विभिन्न जाति, धर्म, और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं।

विकास और प्रगति: शांति व्यवस्था एक ऐसे वातावरण की नींव रखती है, जिसमें लोग अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करके विकास की दिशा में बढ़ सकते हैं।

सुरक्षा और कल्याण: शांति व्यवस्था में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे वे सुरक्षित महसूस करते हैं और उनका जीवन स्तर बेहतर होता है।

शांति व्यवस्था की प्रमुख घटक:-

शांति व्यवस्था की प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं;

1. कानूनी और न्यायिक व्यवस्था:

- शांति व्यवस्था की नींव कानून और न्याय के तंत्र पर आधारित होती है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कानून सब पर समान रूप से लागू हो और न्याय का निष्पक्ष वितरण हो। न्यायिक तंत्र को प्रभावी और स्वतंत्र होना चाहिए ताकि अपराधियों को सजा दी जा सके और नागरिकों को उनके अधिकार मिल सकें।

2. सार्वजनिक सुरक्षा:

- शांति व्यवस्था में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। पुलिस, सुरक्षा बलों और अन्य सरकारी एजेंसियों का कार्य है कि वे समाज में अपराध, हिंसा, उपद्रव और अशांति को रोकें और समाज को सुरक्षित बनाएं। इसके अंतर्गत आपातकालीन सेवाएं, पुलिस की उपस्थिति और समुचित कानून व्यवस्था शामिल हैं।

3. सामाजिक सौहार्द और समरसता:

- शांति व्यवस्था के लिए विभिन्न समुदायों, जातियों, धर्मों, और भाषाओं के बीच सौहार्द और समरसता आवश्यक है। जब समाज में विभिन्न समूहों के बीच आपसी विश्वास और समझ होती है, तो समाज में शांति बनाए रखना आसान हो जाता है। सांप्रदायिकता, जातिवाद और धर्मनिरपेक्षता से मुक्त एक सामंजस्यपूर्ण समाज की स्थापना शांति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

4. आर्थिक स्थिरता:

- समाज में शांति तब ही संभव है जब वहां आर्थिक स्थिरता हो। बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक विषमताएं हिंसा और अशांति को जन्म देती हैं। एक मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था शांति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि जब लोगों को उनके प्रयासों का उचित प्रतिफल मिलता है, तो वे शांति बनाए रखते हैं।

5. संविधान और कानून का पालन:

- शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नागरिकों को संविधान और कानून का पालन करना चाहिए। यदि लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, तो इससे अराजकता और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो सकता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे समाज के नियमों और कानूनों का पालन करें।

6. शिक्षा और जागरूकता:

- शिक्षा का समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा से लोगों में समझ और जागरूकता उत्पन्न होती है, जिससे वे कानून का पालन करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देते हैं और हिंसा से बचते हैं। इसके अलावा, शिक्षा समाज में मानसिकता और सोच को भी सकारात्मक दिशा में बदलती है।

7. सामाजिक सेवाएं और कल्याण योजनाएं:

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज में गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक सेवाएं और कल्याण योजनाएं जरूरी होती हैं। इससे लोगों को अवसर मिलते हैं, और वे समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह समाज में असंतोष और असमंजस को कम करता है।

8. राजनीतिक स्थिरता:

राजनीतिक स्थिरता शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक है। जब राजनीति में स्थिरता होती है, तो सरकारी नीतियां और योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो सकती हैं। अस्थिर राजनीतिक स्थिति से समाज में असुरक्षा और अशांति फैल सकती है।

9. मीडिया और सूचना का नियंत्रण:

मीडिया और सूचना का सकारात्मक उपयोग शांति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। मीडिया का काम है कि वह समाज में सच्ची और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाए, जिससे अफवाहों और हिंसा को बढ़ावा न मिले।

10. संवेदनशील और संवेदनशील प्रशासन:

एक प्रभावी प्रशासन का कार्य है कि वह नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करें और किसी भी प्रकार की हिंसा, उपद्रव या असहमति को शांतिपूर्वक सुलझाए। प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

शांति व्यवस्था की सभी घटक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारक सभी मिलकर समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखते हैं। इन घटकों का सही तरीके से पालन और कार्यान्वयन शांति व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

i. शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही का उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, अशांति, या अराजकता को उत्पन्न होने से पहले रोकना होता है। यह कार्यवाही परिस्थितियों को बिगड़ने से पहले ही रोकने के लिए की जाती है, ताकि समाज में शांति बनी रहे और कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो। निरोधात्मक कार्यवाही में पुलिस और प्रशासन द्वारा उन उपायों को लागू किया जाता है जो किसी संभावित संघर्ष, दंगा, या कानून-व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न होने से पहले ही खत्म कर सकें।

निरोधात्मक कार्यवाही के कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

1. धारा 163 लागू करना (BNSS के तहत):

BNSS की धारा-163 के तहत, पुलिस को यह अधिकार है कि वह किसी क्षेत्र में 4 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने को रोक सके, ताकि कोई हिंसा या अशांति न फैले। यह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक प्रमुख निरोधात्मक उपाय है। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

2. लाठीचार्ज और बल प्रयोग:

जब कोई विरोध प्रदर्शन या भीड़ हिंसक रूप लेती है और शांति व्यवस्था को खतरे में डालती है, तो पुलिस को विवश होकर बल का प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि, पुलिस को हमेशा इस बल का प्रयोग विवेक और न्यूनतम स्तर पर करना चाहिए, ताकि किसी भी नागरिक को अधिक नुकसान न हो।

3. अस्थायी कर्फ्यू लागू करना:

कर्फ्यू तब लगाया जाता है जब कोई क्षेत्र हिंसा या अराजकता की स्थिति में हो और इसमें नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो। कर्फ्यू में नागरिकों को निर्धारित समय के बाद घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध होता है। यह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक प्रभावी निरोधात्मक उपाय है।

4. अवैध जमाव को रोकना:

किसी भी क्षेत्र में अवैध या विधिविरुद्ध जमाव को रोकने के लिए पुलिस त्वरित कार्यवाही करती है। यह भीड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली हिंसा या संघर्ष को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

5. अग्रिम सूचना और निगरानी:

पुलिस और प्रशासन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे शांति व्यवस्था से संबंधित संभावित खतरों के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए अभिसूचना संकलन और निगरानी व्यवस्था का गठन किया जाता है, जिससे समय से पहले ऐसे आंदोलनों या दंगों को नियंत्रित किया जा सके।

6. लाउडस्पीकर और सार्वजनिक घोषणा:

जब भी कोई भीड़ उत्पन्न होती है, तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह लाउडस्पीकर का उपयोग करके सार्वजनिक रूप से लोगों को स्थिति की गंभीरता के बारे में चेतावनी दे। पुलिस आमतौर पर यह भी सूचित करती है कि यदि लोग शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यह एक निरोधात्मक कदम है, जो हिंसा को रोकने में मदद करता है।

7. पुलिस बल की तैनाती:

संभावित हिंसा और अशांति के क्षेत्रों में पुलिस बल की त्वरित तैनाती भी शांति व्यवस्था बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की अधिक संख्या भेजी जाती है ताकि किसी प्रकार की हिंसा को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

8. प्रदर्शनकारियों से बातचीत और समझौता:

जब विरोध प्रदर्शन या हड़ताल की स्थिति उत्पन्न होती है, तो पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता यह होती है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जाए और उनके मुद्दों को शांति से सुलझाया जाए। यह निरोधात्मक उपाय है क्योंकि यह विरोध को बिना किसी हिंसा या संघर्ष के समाप्त करने में मदद करता है।

9. सुरक्षा बलों का संयमित और कड़ा रवैया:

सुरक्षा बलों को कड़ी और संयमित दृष्टि अपनाने की आवश्यकता होती है। जब भी कोई हिंसा या अव्यवस्था फैलने की संभावना होती है, पुलिस को संयमित तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए ताकि स्थिति और न बिगड़े। यह शांति बनाए रखने के लिए एक निरोधात्मक उपाय है।

10. सामाजिक जागरूकता अभियान:

पुलिस और प्रशासन के द्वारा समाज में शांति बनाए रखने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों के माध्यम से नागरिकों को शांति, एकता और कानून का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे समाज में तनाव कम होता है और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है।

11. सामुदायिक पुलिसिंग:

सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस और नागरिकों के बीच आपसी सहयोग और विश्वास का निर्माण किया जाता है। यह शांति व्यवस्था बनाए रखने का एक निरोधात्मक उपाय है, क्योंकि जब नागरिकों और पुलिस के बीच सहयोग होता है, तो हिंसा और अशांति की घटनाओं का सामना करने में आसानी होती है।

12. संदिग्ध तत्वों पर निगरानी:

प्रशासन और पुलिस को संभावित संदिग्ध तत्वों पर निगरानी रखने की जरूरत होती है, जो किसी हिंसक या अराजक गतिविधि की योजना बना सकते हैं। यह निरोधात्मक उपाय किसी भी प्रकार के दंगे या हिंसा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होता है।

शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरोधात्मक करवाई के संबंध में

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए प्रावधान—

शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही के संबंध में BNSS में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना और किसी भी प्रकार की हिंसा या अशांति को रोकना है। ये प्रावधान पुलिस और प्रशासन को शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने का अधिकार देते हैं।

निरोधात्मक कार्यवाही के संबंध में ठहरे हुए प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं—

1. धारा 126 BNSS (बदमाशी के मामलों में सुरक्षा की गारंटी)

यह धारा उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लागू की जाती है जो शांति भंग करने या हिंसा फैलाने की संभावना रखते हैं। यदि पुलिस को यह संदेह होता है कि कोई व्यक्ति हिंसक या अव्यवस्थित गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, तो उसे गिरफ्तार कर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। अदालत उस व्यक्ति को एक सुरक्षा गारंटी (बांड) देने का आदेश देती है ताकि वह आगे कोई अव्यवस्था उत्पन्न न करे।

2. धारा 127 BNSS (अपराधों की योजना बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई)

यह धारा उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही के लिए होती है जो अपराधों की योजना बना रहे होते हैं या किसी हिंसक कार्यवाही में संलिप्त होने की संभावना रखते हैं। यदि पुलिस को यह लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध या हिंसा की योजना बना रहा है, तो उसे पकड़कर सुरक्षा के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।

3. धारा 163 BNSS (अनधिकृत जमाव और शांति भंग करने के खिलाफ आदेश)

धारा 163 BNSS के तहत, अगर पुलिस को यह लगता है कि किसी स्थान पर 4 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र हो सकते हैं और वे शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, तो पुलिस उस स्थान पर जमाव को रोकने के लिए आदेश जारी कर सकती है। यह आदेश आमतौर पर अस्थिर या संवेदनशील स्थितियों में जारी किया जाता है, ताकि हिंसा या दंगे न भड़क सकें। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

4. धारा 164 BNSS (संपत्ति विवादों में शांति व्यवस्था बनाए रखना)

जब संपत्ति को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसा या विवाद हो, तो पुलिस को धारा 164 BNSS के तहत कार्यवाही करने का अधिकार होता है। पुलिस अदालत से आदेश प्राप्त कर विवादित संपत्ति को कब्जे में ले सकती है और दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने के लिए कार्यवाही कर सकती है।

5. धारा 170 BNSS (विधिविरुद्ध जमाव को रोकना)

धारा 170 BNSS के तहत पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है यदि उसे संदेह हो कि वह किसी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था फैलाने की योजना बना रहा है। यह तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध न हुआ हो, लेकिन उसे अव्यवस्था फैलाने की संभावना हो।

6. धारा 179 BNSS (गवाहों को बुलाने का अधिकार)

इस धारा के तहत पुलिस को गवाहों को बयान लेने के लिए समन भेजने का अधिकार है। यह प्रावधान शांति बनाए रखने और किसी भी संभावित अपराध की सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोगी होता है।

7. धारा 126 से 129 BNSS (निरोधक आदेशों की व्यवस्था)

यह प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए है जो पहले हिंसा या अशांति में लिप्त रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या अव्यवस्था फैलाने का खतरा होता है, तो पुलिस उसके खिलाफ निरोधात्मक आदेश जारी कर सकती है। इसके तहत पुलिस किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके अदालत के समक्ष प्रस्तुत करती है, जहां अदालत उस व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा गारंटी देने का आदेश देती है।

8. धारा 178 BNSS (पुलिस की गिरफ्तारी का आदेश)

यह धारा पुलिस को अधिकार देती है कि वह शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को यह लगता है कि कोई व्यक्ति हिंसक कृत्यों

की योजना बना रहा है या वह किसी स्थिति को बिगाड़ सकता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

शांति व्यवस्था भंग करने पर विधिक प्रावधान

शांति व्यवस्था भंग करने पर प्रमुख विधिक प्रावधान निम्नलिखित हैं

1. धारा 126, 127, और 128 (BNSS) निरोधात्मक कार्रवाई

धारा 126 (बदमाशी के मामलों में सुरक्षा की गारंटी) यह धारा उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लागू की जाती है, जो शांति भंग करने या हिंसा फैलाने की संभावना रखते हैं। यदि पुलिस को यह संदेह होता है कि कोई व्यक्ति हिंसक या अव्यवस्थित गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, तो उसे गिरफ्तार कर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है।

धारा 127 BNSS (अपराधों की योजना बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई) जब पुलिस को यह लगता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध या हिंसा की योजना बना रहा है, तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है और अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है।

धारा 128 BNSS (संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई) जब पुलिस को यह संदेह होता है कि कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था को खतरे में डाल सकता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के बिना रोकने के लिए कार्यवाही की जा सकती है। लिस

2. धारा 163 BNSS असंवेदनशील जमाव और शांति भंग के आदेश:

धारा 163 BNSS के तहत पुलिस को यह अधिकार होता है कि वह किसी क्षेत्र में 4 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने को रोक सके, यदि ऐसा लगता है कि वे शांति भंग कर सकते हैं। यह आदेश अस्थिर या संवेदनशील परिस्थितियों में जारी किया जाता है, ताकि हिंसा या उपद्रव न हो। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

3. धारा 170 BNSS शांति भंग करने की योजना बनाने वालों को गिरफ्तार करना:

धारा 170 के तहत पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है यदि उसे संदेह हो कि वह हिंसा या शांति भंग की योजना बना रहा है। यहां तक कि यदि उस व्यक्ति ने अभी कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उसके कार्यों से शांति व्यवस्था को खतरा हो, तो भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। इस धारा के तहत गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट की आवश्यकता नहीं होती।

4. धारा 292 BNS— सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाने की सजा:

धारा 292 BNS के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग करने या अव्यवस्था फैलाने के लिए जुर्माना या सजा दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अशांति उत्पन्न करता है, तो उसे जुर्माना या एक महीने तक की सजा हो सकती है।

5. धारा 293 BNS अशांति फैलाने वाले लोगों पर सजा:

धारा 293 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति शांति भंग करने वाली गतिविधि करता है, तो उसे फिर से दंडित किया जा सकता है। यह धारा उन व्यक्तियों के लिए है, जो सार्वजनिक स्थानों पर शांति को बाधित करते हैं और अधिकारियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं।

6. धारा—117(2), 118(1), 118(2) (BNS) – शारीरिक हिंसा और चोट पहुंचाने के लिए सजा:

यदि कोई व्यक्ति शारीरिक हिंसा या चोट पहुंचाकर शांति व्यवस्था को भंग करता है, तो उसे धारा 118 (1) (स्वयं या अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने), धारा 117 (2) (गंभीर चोट पहुंचाने) और धारा 118 (2)

(दूसरों को जान से मारने की कोशिश) के तहत सजा दी जा सकती है। इन धाराओं के तहत आरोपी को कारावास, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।

7. धारा 196 BNS सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए सजा:

धारा 196 BNS के तहत, यदि कोई व्यक्ति या समूह धार्मिक, नस्लीय या जातीय आधार पर हिंसा या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। इस धारा के तहत, कोई भी शब्द, लिखित सामग्री, या इशारा जो शांति व्यवस्था को भंग करने का कारण बने, उस पर कार्यवाही की जाती है।

8. धारा 121 (1) BNS सरकारी कर्मचारी पर हमला करने की सजा:

यदि कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करने वाले सरकारी कर्मचारियों, जैसे पुलिस अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों पर हमला करता है, तो उसे धारा 121 (1) के तहत सजा दी जा सकती है। यह धारा उन मामलों में लागू होती है, जहां सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान किसी हिंसा का शिकार होते हैं।

9. धारा 125 (a) और 125 (b) BNS जनहानि और गंभीर चोटों की सजा:

धारा 125 (a) के तहत, यदि किसी व्यक्ति की शांति भंग करने की गतिविधियों के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचता है, तो आरोपी को सजा मिल सकती है। यदि इस शांति भंग के कारण कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो धारा 125 (b) के तहत गंभीर चोट की सजा हो सकती है।

10. धारा 326 (cg) BNS— आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सजा:

धारा 326 (cg) के तहत आगजनी और संपत्ति को नष्ट करने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। यह शांति भंग करने वाली गतिविधियों के अंतर्गत आती है, जहां हिंसा के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है।

शांति व्यवस्था में पुलिस की प्रमुख भूमिका

शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित है

1. कानून और व्यवस्था बनाए रखना:

पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखे। यदि कोई व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था उत्पन्न करता है, तो पुलिस को उसे नियंत्रित करने का अधिकार होता है। पुलिस द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से शांति बनी रहती है और हिंसा या दंगे नहीं फैलने पाते हैं।

2. सामाजिक समरसता और सुरक्षा सुनिश्चित करना:

पुलिस का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में विभिन्न समुदायों, जातियों, धर्मों, और संप्रदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए जाएं। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या जातिगत हिंसा को रोकने के लिए पुलिस को सक्रिय रूप से काम करना पड़ता है।

3. निरोधात्मक कार्रवाई

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निरोधात्मक कार्यवाही करती है। जैसे, धारा 126, 127, और 128 BNSS के तहत उन व्यक्तियों या समूहों को गिरफ्तार किया जाता है जो शांति भंग करने की संभावना रखते हैं। पुलिस विभिन्न घटनाओं और व्यक्तियों की निगरानी रखती है और शांति भंग होने से पहले ही कदम उठाती है।

4. असामाजिक तत्वों पर निगरानी और कार्रवाई

पुलिस उन व्यक्तियों, समूहों और संगठनों पर निगरानी रखती है जो हिंसा, अपराध या शांति भंग करने की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पुलिस इन तत्वों पर समय रहते कार्यवाही करती है और उन्हें कानून के दायरे में लाती है, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

5. दंगे या हिंसा की रोकथाम:

जब कभी भी कोई हिंसक आंदोलन, दंगा या जनाक्रोश उत्पन्न होता है, तो पुलिस की भूमिका उसे नियंत्रित करने की होती है। पुलिस शांति बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करती है, लेकिन उसका उद्देश्य हिंसा को नियंत्रित करना और दंगे को फैलने से रोकना होता है। पुलिस इस दौरान **BNSS** की धारा 163 का उपयोग करके भीड़ को तितर-बितर कर सकती है।

6. समझौते और संवाद की पहल:

पुलिस कभी-कभी समस्याओं का समाधान शांति से करने के लिए संवाद और समझौते की पहल करती है। पुलिस के उच्च अधिकारी और कमांडर अक्सर किसी विवादित स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए वार्ता करते हैं और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।

7. पब्लिक इंटरफेस और सुसंस्कृत संचार:

पुलिस अपने सार्वजनिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए नागरिकों से संवाद करती है। पुलिस लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देती है और उन्हें शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है।

8. प्रारंभिक चेतावनियां देना:

जब किसी इलाके में अशांति फैलने की संभावना होती है, तो पुलिस उसे पूर्व सूचना के आधार पर प्रारंभिक चेतावनियां देती है। यह चेतावनियां शांति बनाए रखने में मदद करती हैं और संभावित संघर्षों को टालने के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करती हैं।

9. मीडिया और समाज के साथ सहयोग:

पुलिस कभी-कभी मीडिया के माध्यम से भी नागरिकों को चेतावनी देती है और शांति बनाए रखने के लिए संदेश भेजती है। इसके अलावा, पुलिस विभिन्न सामाजिक संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर काम करती है ताकि शांति बनाए रखी जा सके।

10. प्रशिक्षण और तैयारियां

पुलिस बल को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस को ऐसी परिस्थितियों में कार्यवाही करने की क्षमता विकसित की जाती है जहां तनावपूर्ण या हिंसक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही, पुलिस बल को कानून का पालन करने, मानवाधिकारों का सम्मान करने और हिंसा से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियाँ और कारक पुलिस की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना करना पुलिस के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन ये कार्यों को सही तरीके से लागू करने के लिए समाधान की आवश्यकता भी उत्पन्न करती हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियाँ दी गई हैं

1. राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप:

राजनीतिक हस्तक्षेप कभी-कभी पुलिस की निष्पक्षता और कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। चुनावों के दौरान या अन्य राजनीतिक परिस्थितियों में, पुलिस को राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है।

2. सांप्रदायिक और जातीय हिंसा:

सांप्रदायिक और जातीय हिंसा को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। समाज में विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जो शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। पुलिस को ऐसे मामलों में न केवल कानूनी कार्यवाही करनी होती है, बल्कि सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता भी दिखानी पड़ती है।

3. भीड़ नियंत्रण:

भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस को अपनी भूमिका को संतुलित रखना पड़ता है। उत्तेजित और हिंसक भीड़ को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पुलिस को भीड़ में से उपद्रवी तत्वों को अलग करने और शांति बनाए रखने के लिए सही रणनीतियों का इस्तेमाल करना होता है। इसके दौरान पुलिस की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।

4. संसाधनों की कमी

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे पर्याप्त बल, वाहन, संचार उपकरण, और अन्य आवश्यक सामान। कई बार पुलिस को इन संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

5. असामाजिक तत्वों और अपराधियों की गतिविधियाँ

असामाजिक तत्व और अपराधियों द्वारा शांति व्यवस्था में बाधा डालना एक और बड़ी चुनौती है। ये तत्व शांति भंग करने के लिए उकसाते हैं या हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। पुलिस को इन अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है, जो शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6. सार्वजनिक विरोध और हड़तालें:

जब कोई सार्वजनिक विरोध या हड़ताल होती है, तो पुलिस को कई बार हिंसक प्रदर्शन या अराजकता का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने में सरकार की नीतियाँ प्रभावी होती हैं, लेकिन कभी-कभी प्रदर्शनकारियों के उद्देश्यों के लिए पुलिस को कड़ी कार्यवाही करनी पड़ती है।

7. मानवाधिकारों का उल्लंघन:

शांति व्यवस्था बनाए रखते समय पुलिस को मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कभी-कभी पुलिस को गलत तरीके से बल प्रयोग या गिरफ्तारी करने के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे नागरिकों का विश्वास पुलिस पर कम हो सकता है। पुलिस को संवेदनशीलता और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए कार्य करना होता है।

8. सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नताएँ

समाज में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नताएँ होती हैं, जो कभी-कभी विवाद का कारण बन सकती हैं। पुलिस को विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को समझते हुए, संवेदनशीलता के साथ अपनी भूमिका निभानी होती है।

9. प्रौद्योगिकी का उपयोग:

प्रौद्योगिकी का सही उपयोग और निगरानी एक चुनौती हो सकती है। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अफवाहें और गलत सूचना फैल सकती हैं, जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। पुलिस को साइबर अपराध और सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी करना होता है, ताकि शांति भंग करने वाले तत्वों पर समय रहते कार्यवाही की जा सके।

10. प्रशिक्षण की कमी

पुलिस बल के प्रशिक्षण की कमी भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में एक चुनौती बन सकती है। पुलिसकर्मियों को सही तरीके से भीड़ नियंत्रित करने, हिंसक घटनाओं को संभालने और संवेदनशील मामलों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यदि प्रशिक्षित नहीं होते, तो उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

11. न्यायिक प्रक्रिया में विलंब:

न्यायिक प्रक्रिया में विलंब के कारण अपराधियों को जल्द सजा नहीं मिल पाती। इससे शांति व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि लोग यह महसूस कर सकते हैं कि अपराधी बच सकते हैं। पुलिस को न्यायिक प्रणाली के साथ तालमेल बनाकर काम करना पड़ता है।

12. आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना:

पुलिस को आंतरिक और बाहरी खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, या सीमा पार से होने वाली हिंसा। इन खतरों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को विशेष सुरक्षा रणनीतियों और बाहरी एजेंसियों के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है। 21

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे। पुलिस की भूमिका केवल कानून को लागू करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य और सहिष्णुता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी होती है। यहां कुछ प्रमुख कदम दिए गए हैं, जिन्हें पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाना चाहिए

1. निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस को उन व्यक्तियों या समूहों पर नजर रखनी चाहिए, जो शांति व्यवस्था को खतरे में डाल सकते हैं। **धारा 126, 127, 135 BNSS** के तहत उन लोगों को चिन्हित किया जाता है जो संभावित रूप से शांति भंग कर सकते हैं, और उनसे पहले ही कार्यवाही की जाती है।

2. भीड़ नियंत्रण:

जब कोई हिंसक प्रदर्शन, आंदोलन या भीड़ जमा होती है, तो पुलिस को पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाना चाहिए। इसके लिए पुलिस को उचित बल का प्रयोग करते हुए, **दृष्टि मबजपवद 163** के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर, भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश करनी चाहिए।

3. संगठित निगरानी और सूचना संग्रह:

पुलिस को अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं और उकसावे की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए। अभिसूचना संकलन के जरिए पुलिस को किसी भी प्रकार के उत्पात या हिंसा के संकेत मिल सकते हैं, जिससे पहले से कार्यवाही की जा सकती है।

4. सामाजिक समरसता बनाए रखना:

पुलिस को विभिन्न समुदायों, धर्मों, और जातियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। यह कदम समाज में आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देता है, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है।

5. सार्वजनिक स्थानों पर पैट्रोलिंग और निगरानी:

पुलिस को सार्वजनिक स्थानों, खासकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नियमित पैट्रोलिंग करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के अव्यवस्था या संघर्ष को तुरंत निपटाया जा सके। यह शांति बनाए रखने में सहायक होता है।

6. संवेदनशीलता और मानवाधिकारों का सम्मान:

पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्हें संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए, खासकर महिला और बच्चों के मामलों में। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शांति बनाए रखने के लिए किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या अधिकारों का उल्लंघन न हो।

7. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:

पुलिस बल को नियमित रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर सकें। उन्हें भीड़ नियंत्रण, मानवाधिकार, और सही तरीके से बल प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

8. स्मार्ट पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी का उपयोग:

पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से पुलिस को अपराध और हिंसा की घटनाओं की पहले से जानकारी मिल सकती है।

9. प्रशासनिक समन्वय:

पुलिस को विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक संस्थाओं के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए। यह मदद करता है, जब शांति भंग करने वाले तत्वों को नियंत्रित करना और पुनःस्थापित करना हो। इसके अलावा, पुलिस को स्थानीय नेताओं, नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए।

10. आक्रामक और हिंसक गतिविधियों को नियंत्रित करना:

यदि कोई हिंसक गतिविधि होती है, तो पुलिस को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन पुलिस बल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह हिंसा से बचते हुए, विधिक और नैतिक तरीके से अपने कर्तव्यों को निभाए।

11. धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान:

पुलिस को धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जब कोई संवेदनशील समय हो, जैसे धार्मिक त्यौहारों के दौरान, तो पुलिस को त्वरित कार्यवाही करने के बजाय सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत और सामंजस्य की कोशिश करनी चाहिए।

12. सामूहिक संवाद और मध्यस्थता (मेडिएशन)

पुलिस को उन समुदायों या समूहों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिनमें शांति भंग होने का खतरा है। मेडिएटर या मध्यस्थ के रूप में काम करके, पुलिस विरोधाभासों को सुलझा सकती है और समझौते तक पहुंचने का रास्ता खोल सकती है।

13. न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन:

पुलिस को शांति बनाए रखने के दौरान सभी कानूनी प्रावधानों और न्यायिक आदेशों का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन न केवल पुलिस की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, बल्कि यह समाज में असंतोष भी पैदा कर सकता है।

ii. कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आशंकित खतरे

कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संभावित खतरे कई प्रकार के हो सकते हैं, जो शांति और सुरक्षा को बाधित करते हैं। ये खतरे समाज, सरकार और पुलिस के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव व्यापक हो सकता है। यहां कुछ प्रमुख संभावित खतरे दिए गए हैं जो कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं

1. आतंकवाद (Terrorism)

आतंकवाद एक प्रमुख खतरा है, जो न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि समाज में भय, अस्थिरता और अशांति भी उत्पन्न करता है। आतंकवादी संगठन योजनाबद्ध तरीके से हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।

2. सांप्रदायिक हिंसा (Communal Violence)

विभिन्न धर्मों, जातियों, और समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव एक महत्वपूर्ण खतरा है, जो कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ऐसे हालात में उपद्रव, दंगे, और हिंसा हो सकती है, जो शांति बनाए रखने में मुश्किलें पैदा करती है।

3. राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability)रू

राजनीतिक असहमति, विरोध, और संघर्ष की स्थिति कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। चुनावों के दौरान या सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण हिंसा हो सकती है, जिससे पुलिस और प्रशासन को शांति बनाए रखने में चुनौती मिलती है।

4. जातीय और सामाजिक संघर्ष (Ethnic and Social Conflicts)

जातीय या सामाजिक असहमति के कारण उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। जातिवाद, वर्ग संघर्ष, और सामाजिक भेदभाव के चलते विरोध और हिंसा हो सकती है, जो कानून व्यवस्था को बाधित करती है।

5. नक्सलवाद और माओवादी आंदोलन (Naxalism and Maoist Movements)

नक्सलवाद, जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता है, एक गंभीर खतरा है। माओवादी संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक गतिविधियाँ और उग्रवादी कार्यवाही कानून व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, और शांति बनाए रखना कठिन हो सकता है।

6. सार्वजनिक विरोध और हड़तालें (Public Protests and Strikes)

जनसामान्य द्वारा आयोजित हड़तालें और विरोध प्रदर्शन यदि हिंसक रूप ले लें, तो कानून व्यवस्था को खतरे में डाल सकती हैं। खासकर जब ये आंदोलन बड़े पैमाने पर फैलते हैं या अनियंत्रित हो जाते हैं।

7. स्मगलिंग और मादक पदार्थों का कारोबार (Smuggling and Narcotics Trafficking)

मादक पदार्थों और अन्य अवैध व्यापारों का फैलाव कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। यह न केवल अपराधों को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में अराजकता और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न करता है।

8. संघर्ष और गृह युद्ध (Civil War and Internal Conflicts)

जब किसी देश या क्षेत्र में गृह युद्ध या आंतरिक संघर्ष होता है, तो यह कानून व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करता है। ऐसे समय में प्रशासन और पुलिस की क्षमता सीमित हो जाती है, और शांति बनाए रखना अत्यंत कठिन हो सकता है।

9. प्राकृतिक आपदाएँ और महामारी (Natural Disasters and Pandemics)

प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़, भूकंप, और तूफान, या महामारी (जैसे COVID-19) के कारण उत्पन्न संकट कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इस दौरान, सामान्य कानून व्यवस्था व्यवस्था अस्थिर हो सकती है, और सार्वजनिक सुरक्षा की चुनौती बढ़ सकती है।

10. नकली मुद्रा और आर्थिक अपराध (Counterfeit Currency and Economic Crimes)

नकली मुद्रा का प्रसार और आर्थिक अपराध जैसे धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितताएँ, और भ्रष्टाचार समाज में अस्थिरता ला सकते हैं, जो कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं।

11. साइबर अपराध (Cyber Crimes)

साइबर अपराध की बढ़ती घटनाएँ, जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, और ऑनलाइन धोखाधड़ी, न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, बल्कि समाज में विश्वास की कमी भी उत्पन्न करती हैं। साइबर आतंकवाद और साइबर वॉरफेयर जैसे खतरे भी कानून व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं।

12. भीड़ नियंत्रण की कठिनाई (Crowd Control Difficulties)

भीड़ की हिंसा या उग्र आंदोलन भी कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है। जब बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर हिंसा या उपद्रव करते हैं, तो पुलिस और प्रशासन के लिए इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।

13. सैन्य विद्रोह (Military Coup)

कभी-कभी सरकार के खिलाफ सैन्य विद्रोह हो सकता है, जिससे आंतरिक अस्थिरता और हिंसा की स्थिति पैदा हो सकती है। यह कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक संरचना को प्रभावित करता है।

14. संगठित अपराध (Organized Crime)

संगठित अपराध, जैसे डकैती, हत्या, तस्करी, और हिंसा की बढ़ती घटनाएँ भी शांति व्यवस्था को चुनौती देती हैं। इन अपराधों से न केवल सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि ये समाज में डर और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करते हैं।

15. धार्मिक उन्माद (Religious Extremism)

धार्मिक उन्माद और कट्टरवाद कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जब विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष बढ़ता है। ऐसे खतरे समाज में अव्यवस्था और हिंसा को जन्म दे सकते हैं।

कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आशंकित खतरों के रोकथाम हेतु

पुलिस की कार्यवाही

कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आशंकित खतरों के रोकथाम हेतु पुलिस को त्वरित, प्रभावी और सुविचारित कार्यवाही करनी होती है। पुलिस की कार्यवाही इन खतरों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार की हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शांति व्यवस्था बनी रहे और समाज में असुरक्षा की भावना न फैले, पुलिस को निम्नलिखित उपायों को लागू करना चाहिए।

1. प्रारंभिक सूचना संकलन और निगरानी:

पुलिस को समय रहते संभावित खतरों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अभिसूचना संकलन और निगरानी के जरिए पुलिस को उन समूहों या व्यक्तियों पर ध्यान रखना चाहिए जो समाज में अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। पुलिस को खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान करना चाहिए और इस जानकारी का उपयोग अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने में करना चाहिए।

2. समाज में जागरूकता और संवाद:

पुलिस को समुदायों और विभिन्न समूहों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि खतरों के कारण सांप्रदायिक, जातीय, या धार्मिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो पुलिस को संयम के साथ और समझदारी से इस तनाव को शांत करने के लिए संवाद स्थापित करना चाहिए।

3. प्रदर्शनों और विरोधों की निगरानी:

यदि किसी मुद्दे को लेकर विरोध या प्रदर्शन हो रहा हो, तो पुलिस को इन प्रदर्शनों की निगरानी करनी चाहिए ताकि वह हिंसक रूप न लें। पुलिस को ऐसे प्रदर्शनों में बढ़ने से पहले ही उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए, जैसे कि निषेधाज्ञाएँ (Section 163 BNSS) लागू करना, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

4. सैन्य बल और पुलिस बल का सही उपयोग:

यदि स्थिति गंभीर हो, तो पुलिस को सैन्य बल और अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय बनाना चाहिए। पुलिस को सही बल का प्रयोग करना चाहिए और अत्यधिक बल प्रयोग से बचना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो कंट्रोल रूम से समर्थन प्राप्त करना चाहिए।

5. हिंसा को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन और नियमों का पालन:

पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के मुताबिक कार्यवाही की जा रही हो, और मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। यदि किसी स्थान पर हिंसा होती है, तो पुलिस को विवेकपूर्ण तरीके से इसे नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए कम से कम बल प्रयोग और शांति बनाए रखने के अन्य विकल्पों का पालन करना चाहिए।

6. आतंकी गतिविधियों और नक्सलवाद से निपटना:

आतंकवाद या नक्सलवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए पुलिस को आतंकी संगठनों और नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इसमें उनके ठिकानों की पहचान, गिरफ्तारी और मजबूत कानून व्यवस्था स्थापित करना शामिल है। यह कार्यवाही खुफिया जानकारी और सुरक्षा बलों के सहयोग से की जाती है।

7. मीडिया और जनसंचार के माध्यम से शांतिपूर्ण संदेश देना:

पुलिस को मीडिया और सार्वजनिक संचार के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए लगातार सकारात्मक संदेश देना चाहिए। मीडिया को हिंसा या तनाव की बढ़ती स्थिति को बढ़ावा देने से रोकना चाहिए और इसके बजाय शांति और सद्भाव की बातें करनी चाहिए।

8. समाज में भय और अव्यवस्था फैलाने वाली अफवाहों को रोकना:

कभी-कभी अफवाहों और गलत सूचनाओं के कारण कानून व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है। पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए कि अफवाहों को फैलने से रोका जाए और सच्ची जानकारी का प्रसार हो।

पुलिस सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर निगरानी रख सकती है और अनावश्यक भय उत्पन्न करने वाली खबरों को सही कर सकती है।

9. कानूनी कार्यवाही और गिरफ्तारी:

यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा कानून की अवहेलना की जाती है और शांति व्यवस्था भंग होती है, तो पुलिस को उचित कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। इसके तहत गिरफ्तारी, जमानत, और अदालत के आदेश के माध्यम से अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया में लाया जाना चाहिए।

10. संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनाती:

पुलिस को उन स्थानों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जहाँ कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, सांप्रदायिक, जातीय या धार्मिक संघर्षों के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती करनी चाहिए। इससे शांति व्यवस्था बनी रहती है और किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटा जा सकता है।

11. प्रशासनिक और कानूनी नियंत्रण:

पुलिस को BNSS की धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करने का अधिकार होता है। इसके अलावा, धारा 168, 170, और 126-129 BNSS के तहत भी पुलिस को खतरे को टालने के लिए निरोधात्मक कार्यवाही करने का अधिकार है।

12. प्रतिक्रिया की योजना और त्वरित एक्शन टीम:

पुलिस को किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम (SWAT) और उचित प्रतिक्रिया योजना तैयार रखनी चाहिए। यह टीम किसी भी उग्र स्थिति का तुरंत समाधान करने में सक्षम होती है।

13. विधिक प्रक्रिया के तहत अनुशासन बनाए रखना:

पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करें और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। कानून के दायरे में रहते हुए, पुलिस

धारा-163 BNSS क्या है?

धारा 163 BNSS की एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसका उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक शांति की रक्षा करना है। इसे पब्लिक असॉल्वेंसी या आपातकालीन आदेश के तहत लागू किया जाता है।

धारा 163 BNSS का विवरण

यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के अव्यवस्था, हिंसा या अराजकता को रोकने के लिए लागू की जाती है। जब कोई अधिकारी, जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या अन्य सक्षम अधिकारी, यह मानता है कि किसी स्थान पर सार्वजनिक शांति और व्यवस्था खतरे में है, तो वह इस धारा के तहत निषेध आदेश जारी कर सकता है।

धारा 163 BNSS के तहत पुलिस द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य:

1. भीड़ एकत्रित होने पर रोक: अगर किसी स्थान पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और इससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो पुलिस उस स्थान पर किसी भी प्रकार की भीड़ को इकट्ठा होने से रोक सकती है।

2. आक्रामक गतिविधियाँ: अगर किसी व्यक्ति या समूह की गतिविधियाँ शांति और व्यवस्था के लिए खतरे का कारण बन रही हैं, तो पुलिस उन पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें आदेश दे सकती है।

3. सशस्त्र दंगों को रोकना: अगर किसी स्थान पर सशस्त्र संघर्ष या दंगा होने की संभावना हो, तो इस धारा के तहत आदेश देकर इसे रोका जा सकता है।

4. घेराबंदी और गिरफ्तारी: पुलिस किसी संदिग्ध व्यक्ति या समूह के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही कर सकती है और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन्हें नियंत्रित कर सकती है।

धारा 163 BNSS के तहत आदेश जारी करने के प्रमुख कारण:

आत्महत्या या हिंसक गतिविधियाँ: जैसे कि धार्मिक दंगे, जातीय संघर्ष, या आतंकवादी गतिविधियाँ।

प्राकृतिक आपदाएँ: जैसे बाढ़, भूकंप, आदि में सुरक्षा बनाए रखने के लिए।

सामाजिक तनाव: जैसे किसी विशेष समुदाय या वर्ग के खिलाफ हिंसा की स्थिति

163 BNSS के तहत पुलिस की कार्यवाही:

पुलिस अधिकारी यह आदेश जारी कर सकते हैं, जिसके तहत किसी स्थान पर लोगों के जमावड़े, हथियारों के इस्तेमाल, या अन्य किसी भी गतिविधि को रोका जा सकता है।

यह आदेश आमतौर पर 3 महीने के लिए लागू होता है, लेकिन आवश्यकता होने पर इसे बढ़ाया जा सकता है।

धारा 163 BNSS का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना होता है, और यह पुलिस और प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक प्रभावी कानूनी उपकरण प्रदान करता है।

धारा 163 BNSS का उपयोग क्यों किया जाता है?

163 BNSS का उपयोग मुख्य रूप से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जब कोई क्षेत्र या स्थान विशेष रूप से हिंसा, अराजकता, या कानून व्यवस्था के खतरे का सामना कर रहा होता है, तो 163 BNSS के तहत अधिकारियों को कुछ विशेष आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। यह आदेश सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं।

163 BNSS का उपयोग करने के प्रमुख कारण:

1. भीड़ और जमावड़े को नियंत्रित करना:

जब किसी स्थान पर बड़ी संख्या में लोग बिना अनुमति के एकत्र होते हैं और इससे शांति और व्यवस्था को खतरा हो सकता है, तो पुलिस या प्रशासन इस धारा के तहत निषेधाज्ञा (prohibition order) जारी कर सकती है, ताकि लोग एकत्र न हो सकें। इससे भीड़ भड़कने और हिंसा फैलने का खतरा कम हो जाता है।

2. हिंसक प्रदर्शनों या दंगों को रोकना:

अगर किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे, जातिगत संघर्ष, या अन्य हिंसक प्रदर्शन हो रहे हों, तो पुलिस और प्रशासन इस धारा का उपयोग करके उन गतिविधियों को रोक सकते हैं और हिंसा फैलने से पहले कदम उठा सकते हैं।

3. आतंकी गतिविधियों और उपद्रवों को रोकना:

जब किसी क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों, उग्रवाद, या सशस्त्र संघर्ष का खतरा हो, तो पुलिस इसे रोकने के लिए धारा 163 BNSS का उपयोग कर सकती है ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

4. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा:

जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, आदि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनता की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, अधिकारियों को इस धारा के तहत विशेष आदेश दिए जा सकते हैं ताकि भीड़-भाड़ से बचा जा सके और शांति बनी रहे।

5. संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बनाए रखना:

यदि कोई धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आंदोलन, या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक घटनाएँ हो रही हों, तो धारा 163 BNSS का उपयोग किया जा सकता है ताकि इस दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और अशांति या हिंसा को रोका जा सके।

6. अफवाहों के फैलने पर रोक:

यदि किसी स्थान पर झूठी अफवाहें या बेखौफ हिंसक गतिविधियाँ फैल रही हैं, तो इसे रोकने के लिए इस धारा का उपयोग किया जा सकता है। अफवाहों के फैलने से सार्वजनिक स्थानों पर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए पुलिस इस धारा के तहत रोकथाम के आदेश जारी कर सकती है।

7. सामाजिक या राजनीतिक असहमति के दौरान शांति बनाए रखना:

कभी-कभी सामाजिक, जातिगत, या राजनीतिक कारणों से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस धारा का इस्तेमाल असहमति के बावजूद शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है।

धारा 163 BNSS के तहत पुलिस की कार्रवाई:

यह आदेश किसी व्यक्ति, समूह, या क्षेत्र विशेष पर लागू किया जा सकता है।

यह आदेश आमतौर पर 3 महीने के लिए होता है, लेकिन अगर स्थिति नियंत्रित नहीं होती, तो इसे बढ़ाया जा सकता है।

इसमें लोगों के समूहों में जमा होने, हथियारों के इस्तेमाल, या किसी अन्य प्रकार के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए आदेश दिए जाते हैं।

यह आदेश प्रशासन द्वारा क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है, और इसके उल्लंघन पर सजा भी हो सकती है।

इस प्रकार, धारा 163 BNSS का उपयोग तब किया जाता है जब शांति व्यवस्था को खतरा हो और समाज में सुरक्षा बनाए रखने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता होती है।

धारा-163 BNSS लागू रहने पर पुलिस की भूमिका

धारा 163 BNSS लागू रहने पर पुलिस की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस को इस धारा के तहत कई जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है, जिससे कि समाज में शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार की हिंसा या अराजकता को रोका जा सके।

धारा 163 BNSS लागू रहने पर पुलिस की प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित हैं—

1. निषेधाज्ञा लागू करना:

पुलिस का पहला कर्तव्य यह होता है कि वह धारा 163 के आदेश के तहत निषेधाज्ञा को सख्ती से लागू करे। इसका मतलब है कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना होता है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के एकत्र न हों। यदि कोई भी व्यक्ति या समूह आदेश का उल्लंघन करता है, तो पुलिस को उसे तितर-बितर करना और उचित कानूनी कार्यवाही करनी होती है।

2. भीड़ को तितर-बितर करना:

यदि कोई बड़ी या अवैध भीड़ जमा हो रही है, तो पुलिस को इसका तुरंत संज्ञान लेकर भीड़ को तितर-बितर करना होता है। पुलिस को इस कार्य में शांति बनाए रखते हुए बल प्रयोग करना होता है। यदि भीड़ हिंसक हो जाती है, तो पुलिस को अनुशासन बनाए रखते हुए और न्यूनतम बल का उपयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए।

3. नियंत्रण कक्ष (Control Room) से समन्वय:

पुलिस को नियंत्रण कक्ष (Control Room) से लगातार समन्वय बनाए रखना होता है, ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। यह नियंत्रण कक्ष पुलिस बलों की गतिविधियों को समन्वित करने और आपातकालीन स्थितियों पर नजर रखने का केंद्र होता है।

4. सार्वजनिक स्थानों पर गश्त:

पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर गश्त करनी होती है, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां इस धारा के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई हो। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होता है कि लोग बिना अनुमति के जमा न हों और यदि कोई ऐसा कर रहा है, तो तुरंत उसे रोकने के लिए कार्यवाही की जाए।

5. सतर्कता बनाए रखना:

पुलिस को सतर्क रहकर उन व्यक्तियों या समूहों पर ध्यान रखना चाहिए जो सार्वजनिक शांति को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। पुलिस को स्थानीय नेताओं, समुदायों, और खुफिया सूचनाओं से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय पर सामना किया जा सके।

6. गिरफ्तारी और कानूनी कार्यवाही

यदि कोई व्यक्ति धारा 163 **BNSS** के आदेशों का उल्लंघन करता है, तो पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही, पुलिस को सख्त कानूनी कार्यवाही करनी होती है ताकि भविष्य में कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत न करे।

7. सार्वजनिक शिक्षा और जन जागरूकता:

पुलिस को जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि **BNSS** धारा-163 के आदेश का उल्लंघन करना कानून के खिलाफ है और इससे सामाजिक शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पुलिस द्वारा उचित समय पर सूचना देने और लोगों को इसके परिणामों के बारे में अवगत कराना महत्वपूर्ण है।

8. तत्काल प्रतिक्रिया और कदम उठाना:

अगर स्थिति बिगड़ती है या अगर इस आदेश का उल्लंघन करते हुए हिंसक घटनाएँ होती हैं, तो पुलिस को तत्काल प्रतिक्रिया देनी होती है। इस समय पुलिस को विवेकपूर्ण तरीके से और न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए स्थिति को शांत करना होता है।

9. प्रशासन के साथ समन्वय:

पुलिस को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना होता है ताकि धारा-163 ठछै के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन और पुलिस का समन्वय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।

10. मीडिया से संवाद और जानकारी का आदान-प्रदान:

पुलिस को मीडिया के साथ संवाद स्थापित करना होता है और उन्हें स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देना चाहिए ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं का प्रसार न हो। मीडिया को शांति बनाए रखने और सकारात्मक संदेश फैलाने की जिम्मेदारी होती है।

धारा-163 BNSS का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध किए जाने वाली कार्यवाही

धारा- 163 BNSS का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाती है। यह धारा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है, और इसका उल्लंघन करना समाज के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकता है। इसलिए, इसके उल्लंघन के खिलाफ पुलिस को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं।

धारा-163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही निम्नलिखित हैं—

1. गिरफ्तारी:

अगर कोई व्यक्ति धारा-163 **BNSS** के तहत लागू किए गए आदेश का उल्लंघन करता है, तो पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। इस गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह आदेश सीधे सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए होता है।

2. दंड (सजा)

- धारा 163 का उल्लंघन BNS की धारा-223 के तहत अपराध माना जाता है। धारा -223 BNS के अनुसार, इस प्रकार के अपराध के लिए व्यक्ति को सजा हो सकती है, जो निम्नलिखित हो सकती हैरू
- 6 महीने तक की सजा (कारावास)।
- जुर्माना, या दोनों।

3. समय सीमा के भीतर आदेशों का पालन न करने पर अतिरिक्त दंड

- यदि किसी व्यक्ति ने धारा 163 के आदेशों का पालन नहीं किया और स्थिति को बिगाड़ा, तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इससे संबंधित अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित कदम उठाने का अधिकार होता है।

4. स्थानीय न्यायालय में पेश करना:

- धारा 163 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को स्थानीय न्यायालय में पेश किया जाता है, जहां पर उसकी गलती के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार सजा निर्धारित की जाती है।

5. विधिक कार्रवाई

अगर उल्लंघन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का कारण बना है, तो विधिक कार्यवाही के तहत आरोपी पर अतिरिक्त अपराधी धाराएं भी लगाई जा सकती हैं, जैसे कि दंगा फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए।

6. संपत्ति की जब्ती:

यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से एकत्र हुआ है और इसने धारा 163 का उल्लंघन किया है, तो पुलिस को उसके पास से संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी हो सकता है, खासकर अगर वह संपत्ति अवैध रूप से इस्तेमाल की जा रही हो।

7. समूह पर कार्रवाई

अगर किसी समूह ने धारा-163 ठछे के आदेश का उल्लंघन किया है, तो पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने का अधिकार होता है। ऐसे मामलों में, पुलिस आंसू गैस, लाठीचार्ज या आवश्यकतानुसार बल का प्रयोग कर सकती है ताकि शांति बहाल की जा सके।

8. सामाजिक प्रतिबंध:

कभी-कभी, उल्लंघन करने वालों पर सामाजिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि उस क्षेत्र से बाहर भेजना, सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने का आदेश देना आदि।

iii. हिंसक आंदोलन से पूर्व की जाने वाली कार्रवाई

किसी आंदोलन से पूर्व पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मुख्य रूप से सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। यह कार्यवाही किसी भी प्रकार के सार्वजनिक असंतोष या संघर्ष को बढ़ने से पहले ही उसे नियंत्रित करने का प्रयास करती है।

आंदोलन से पूर्व पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रमुख कार्यवाही निम्नलिखित हैंरू

1. पूर्व सूचना और खुफिया जानकारी एकत्र करना:

पुलिस को किसी भी आंदोलन से पहले खुफिया जानकारी एकत्र करनी होती है ताकि यह जाना जा सके कि आंदोलन के आयोजक कौन हैं, उसका उद्देश्य क्या है और क्या आंदोलन हिंसक रूप ले सकता है। इसके लिए पुलिस सूचना संकलन, गोपनीय स्रोतों, और स्थानीय संपर्कों का इस्तेमाल करती है।

2. सुरक्षा की व्यवस्था:

आंदोलन के स्थल पर सुरक्षा प्रबंध तैयार किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक संपत्ति, नागरिकों और आंदोलनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, पुलिस का प्राथमिक कार्य होता है। इसके तहत सुरक्षा बलों की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त, और अधिकारियों का समन्वय किया जाता है।

3. निवारक कार्यवाही (Preventive action)

- पुलिस द्वारा कुछ निवारक कदम उठाए जाते हैं, जैसेरु
- धारा-163 BNSS के तहत किसी भी अप्रत्याशित या अवैध जमावड़े पर रोक लगाना।
- यदि आवश्यकता हो, तो पुलिस निषेधाज्ञा लागू करती है, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होने पर रोक लगाई जा सकती है।
- आंदोलन से जुड़े मुख्य नेताओं या सक्रिय कार्यकर्ताओं से संवाद करना और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए समझाना।

4. समझौते और संवाद:

पुलिस द्वारा आंदोलकों से संवाद स्थापित करना और उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए समझाना महत्वपूर्ण होता है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि आंदोलन शांति से किया जाए और इससे किसी प्रकार की हिंसा न फैले।

5. समाज और मीडिया के साथ समन्वय:

पुलिस द्वारा मीडिया को आंदोलन के बारे में सूचना प्रदान की जाती है ताकि सार्वजनिक रूप से अफवाहों का प्रसार न हो और सही जानकारी जनता तक पहुंचे।

पुलिस समाजिक संगठनों, स्थानीय नेताओं और धर्मगुरुओं के साथ भी संपर्क करती है ताकि किसी प्रकार का तनाव या विवाद न हो।

6. संवेदनशील स्थानों पर नजर रखना:

पुलिस को उन स्थानों पर विशेष ध्यान देना होता है जहां पर आंदोलन होने की संभावना हो, जैसे सरकारी कार्यालय, संवेदनशील धर्मिक स्थल, या आंदोलनकारियों के प्रमुख स्थला ऐसे स्थानों पर पुलिस की गश्त और निगरानी बढ़ाई जाती है।

7. आंदोलनकारियों के नेताओं से बैठकें

पुलिस आंदोलन के आयोजकों से संवाद स्थापित करती है ताकि आंदोलन की प्रकृति और संभावित रूप को समझा जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आंदोलन शांति से और वैध तरीके से किया जाए।

8. अवसर पर बल प्रयोग की तैयारी

यदि आंदोलन में हिंसा या उद्रव फैलने की संभावना होती है, तो पुलिस को बल प्रयोग करने की रणनीति पहले से तैयार करनी होती है। इसमें लाठीचार्ज, आंसू गैस का प्रयोग, या कंट्रोल के लिए अन्य उपाय शामिल हो सकते हैं।

9. जन जागरूकता अभियान:

पुलिस जन जागरूकता अभियान भी चला सकती है ताकि लोगों को बताया जा सके कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति और लोगों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना कानूनी अपराध है।

10. कानूनी आदेशों की तैयारी:

पुलिस और प्रशासन कानूनी आदेश पहले से तैयार कर लेते हैं, ताकि यदि आंदोलन हिंसक रूप लेता है तो तुरंत दंडात्मक कार्यवाही की जा सके। इसमें धारा 163 BNSS या अन्य प्रतिबंधों के तहत आदेश जारी किए जा सकते हैं।

कब एक आंदोलन को हिंसक आंदोलन माना जाएगा?

एक आंदोलन को हिंसक आंदोलन माना जाएगा जब उसमें हिंसा, विनाश, तोड़फोड़, आक्रामकता या किसी प्रकार का कानूनी उल्लंघन होता है, जो शांति व्यवस्था को भंग करता है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है। हिंसक आंदोलन में आमतौर पर गुंडागर्दी, प्रॉपर्टी का नुकसान, सार्वजनिक शांति का उल्लंघन, और कभी-कभी पुलिस या सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले होते हैं।

हिंसक आंदोलन के प्रमुख संकेत:

1. विनाशकारी कार्रवाई:

- आंदोलन में शामिल लोग सार्वजनिक संपत्ति (जैसे बस, ट्रेनों, दुकानों, सरकारी इमारतों आदि) का नुकसान करते हैं। तोड़फोड़, आगजनी, और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा का स्पष्ट संकेत है।

2. पुलिस या सुरक्षा बलों पर हमले:

- जब आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस, सुरक्षा बलों या अन्य अधिकारियों पर हमले किए जाते हैं, जैसे लाठीचार्ज पर हमला, पथराव, फायरिंग आदि, तो इसे हिंसक आंदोलन माना जाता है।

3. आगजनी और तोड़फोड़:

- आंदोलन के दौरान यदि आगजनी (जैसे वाहनों या इमारतों को जलाना) या तोड़फोड़ की घटनाएँ होती हैं, तो इसे स्पष्ट रूप से हिंसक आंदोलन कहा जाएगा।

4. सार्वजनिक शांति का उल्लंघन:

- जब आंदोलन के कारण सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में गंभीर बाधाएं आती हैं, जैसे लोग सड़कों पर अराजकता फैलाते हैं, यातायात ठप कर देते हैं, या हिंसक संघर्षों में लिप्त होते हैं, तो यह हिंसक आंदोलन के रूप में देखा जाता है।

5. व्यक्तिगत हमले और हिंसा:

- आंदोलन में शामिल लोग दूसरों पर व्यक्तिगत हमले करते हैं, जैसे मारपीट, छेड़छाड़, या अन्य प्रकार की हिंसक घटनाएँ यह भी हिंसा का हिस्सा है।

6. हथियारों का उपयोग:

- यदि आंदोलनकारियों द्वारा हथियार जैसे डंडे, चाकू, बम, बंदूक या अन्य खतरनाक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, तो इसे हिंसक आंदोलन माना जाएगा।

7. शब्दों या नारेबाजी में हिंसा की भावना:

- आंदोलनकारियों द्वारा किए जाने वाले भड़काऊ भाषण या नारेबाजी में अगर हिंसा की प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे किसी विशेष समुदाय, समूह, या सुरक्षा बल के खिलाफ आक्रोश, तो यह भी हिंसा के रूप में देखा जा सकता है।

8. सशस्त्र संघर्ष (Armed conflict):

- आंदोलन यदि सशस्त्र संघर्ष में बदल जाता है, यानी आंदोलनकारियों द्वारा किसी प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हिंसक आंदोलन माना जाएगा।

9. समाज में भय और अराजकता का माहौल:

- हिंसक आंदोलनों में आमतौर पर समाज में भय और अराजकता का माहौल बन जाता है। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करते और सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना खतरनाक हो जाता है।

हिंसक आंदोलन के कारण व प्रभाव

हिंसक आंदोलन किसी आंदोलन का वह रूप होता है, जिसमें आंदोलनकारियों द्वारा हिंसा का सहारा लिया जाता है, जिससे शांति व्यवस्था में विघ्न आता है और समाज में अराजकता फैलती है। हिंसक आंदोलनों के कारण और प्रभाव कई स्तरों पर होते हैं, जो न केवल आंदोलन में शामिल लोगों के लिए, बल्कि समग्र समाज और राष्ट्र के लिए भी गंभीर परिणाम ला सकते हैं।

हिंसक आंदोलन के कारण:

1. सामाजिक असंतोष:

- जब समाज में किसी वर्ग या समूह को समानता, अवसर या न्याय में कमी महसूस होती है, तो वे इसे व्यक्त करने के लिए आंदोलन करते हैं। अगर उनके प्रयासों को दबाया जाता है या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो उनका असंतोष हिंसक रूप ले सकता है।

2. आर्थिक असमानता:

- जब लोग आर्थिक असमानता से पीड़ित होते हैं, और उनके पास अपनी समस्याओं को हल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो वे आंदोलनों का सहारा लेते हैं। अगर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तो आंदोलन हिंसक हो सकता है।

3. राजनीतिक उत्पीड़न:

- जब राजनीतिक दल या सरकार किसी विशेष समूह, समुदाय या विचारधारा को दबाती है, तो यह हिंसा को जन्म दे सकता है। ऐसी स्थिति में आंदोलनकारियों द्वारा सत्ता विरोधी आंदोलन किया जाता है, जो हिंसक रूप ले सकता है।

4. धार्मिक या जातीय भेदभाव:

- धार्मिक या जातीय भेदभाव भी हिंसक आंदोलनों का कारण बन सकता है। अगर किसी समुदाय को धार्मिक या जातीय आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो यह गुस्से और असंतोष का कारण बनता है, जो हिंसक आंदोलन के रूप में सामने आता है।

5. सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध:

- कुछ आंदोलनों का कारण सरकारी नीतियाँ होती हैं, जो समाज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाती हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है, तो वे प्रदर्शन करने के लिए हिंसक रूप ले सकते हैं।

6. मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव:

- कभी-कभी, मीडिया और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, अफवाहें, या भड़काऊ संदेशों के कारण लोग उत्तेजित हो जाते हैं और आंदोलन में भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया आंदोलन को हिंसक बना सकती है।

7. संविधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन:

- यदि किसी राज्य या सरकार द्वारा संविधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार के आंदोलनों में हिंसा का पसरना आम है।

हिंसक आंदोलन के प्रभाव:

1. सामाजिक असंतोष और अराजकता:

- हिंसक आंदोलन सामाजिक असंतोष को और बढ़ाता है, जिससे समाज में तनाव और अराजकता फैलती है। यह हिंसा समाज के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करती है और शांति व्यवस्था भंग हो जाती है।

2. आर्थिक नुकसान:

- हिंसक आंदोलनों के कारण आर्थिक नुकसान होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी का नुकसान, व्यापार की ठप स्थिति, उद्योगों का प्रभावित होना, और पर्यटन और व्यापार में गिरावट। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी भी उत्पन्न हो सकती है।

3. लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रभाव:

- हिंसा का विस्तार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब लोग अपनी आवाज उठाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, तो इससे सत्ता पर आक्रमण होता है और शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप पर बुरा असर पड़ता है।

4. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:

- आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति जैसे बसें, ट्रेनें, सरकारी दफ्तर, और सड़कें तोड़ी जाती हैं या जलाई जाती हैं। यह न केवल आर्थिक नुकसान करता है बल्कि नागरिकों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है।

5. मानवाधिकारों का उल्लंघन:

- हिंसक आंदोलन के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। जैसे कि पुलिस या सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार, निर्दोष लोगों की हत्या, या अन्य मानवाधिकारों की सख्त अवहेलना।

6. राजनीतिक अस्थिरता:

- हिंसक आंदोलनों से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। यह सरकार और जनता के बीच विश्वास की कमी पैदा कर सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है और चुनावी प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।

7. मानव जीवन की हानि:

- हिंसक आंदोलन के दौरान मानव जीवन की हानि होती है, चाहे वह पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष के दौरान हो या आंदोलनकारियों द्वारा खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के कारण।

8. संवेदनशीलता और सामूहिक ध्रुवीकरण:

- हिंसक आंदोलन ध्रुवीकरण पैदा करता है, जो समाज के विभिन्न समूहों के बीच आपसी विश्वास और समझ को नुकसान पहुंचाता है। यह धार्मिक, जातीय, या राजनीतिक आधार पर भेदभाव को और बढ़ाता है।

9. सरकार की आलोचना और अंतरराष्ट्रीय ध्यान:

- हिंसक आंदोलन सरकार की आलोचना को जन्म देता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके परिणामस्वरूप भारत जैसे देशों पर आलोचना होती है। ऐसे आंदोलनों से विदेशी निवेश में भी गिरावट आ सकती है और देशों के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं।

हिंसक आंदोलन में विधि विरुद्ध जमाव को तीतर भीतर करने हेतु पुलिस बल का प्रयोग संबंधी BNSS में दिए गए प्रावधान

हिंसक आंदोलन में विधि विरुद्ध जमाव को तीतर-बितर करने हेतु पुलिस बल का प्रयोग BNSS में कुछ विशेष प्रावधानों के तहत किया जा सकता है। इन प्रावधानों के माध्यम से पुलिस को यह अधिकार मिलता है कि वह सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए विधि विरुद्ध जमाव को नियंत्रित करे और आवश्यक कार्यवाही करे।

BNSS में विधि विरुद्ध जमाव को तीतर-बितर करने से संबंधित प्रमुख प्रावधान:

1. धारा 148 – विधि विरुद्ध जमाव का तीतर-बितर करना:

धारा- 148 BNSS के तहत, यदि किसी स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव हो (जो आमतौर पर 5 या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना है और जो शांति व्यवस्था के लिए खतरे का कारण बन सकता है), तो पुलिस को विधि विरुद्ध जमाव को तीतर-बितर करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस यह कार्य बल प्रयोग द्वारा कर सकती है, यदि पहले चेतावनी देने के बावजूद भी जमाव हटता नहीं है।

यह धारा पुलिस को यह निर्देश देती है कि यदि कानून और व्यवस्था की स्थिति में खतरा हो, तो वह सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है।

2. धारा 149— पुलिस द्वारा बल प्रयोग:

धारा-149 BNSS के तहत, पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भीड़ को नियंत्रित करने और विधि विरुद्ध जमाव को तीतर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है, जब किसी सार्वजनिक

स्थान पर सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। इसमें पुलिस को हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति होती है, लेकिन यह बल अत्यधिक और आवश्यक होना चाहिए।

3. धारा 150 – अनुशासनात्मक कार्यवाही:

धारा-150 BNSS के अनुसार, यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव से स्थिति बिगड़ती है और लोग कानून व्यवस्था के उल्लंघन पर उतारू हो जाते हैं, तो पुलिस को इसके परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होता है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके।

4. धारा 170 BNSS

पुलिस का अधिकार:

इस धारा के अनुसार, पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक जगहों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को रोकने, तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। यदि पुलिस को लगता है कि किसी के पास हथियार या अन्य वस्तु है जो हिंसा के लिए उपयोग हो सकती है, तो उसे गिरफ्तारी के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति है।

5. धारा 163 – सामूहिक सभा पर प्रतिबंध:

धारा-163 के तहत, अगर किसी क्षेत्र में स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण हो और वहां पर किसी प्रकार की हिंसक गतिविधियां होने की संभावना हो, तो सामूहिक सभा और जमाव पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत पुलिस और प्रशासन को यह अधिकार है कि वे किसी भी प्रकार की विधि विरुद्ध जमाव को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।

BNSS में बल प्रयोग के सिद्धांत:

बल का उपयोग केवल अत्यधिक आवश्यक स्थिति में और सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। बल का प्रयोग करते समय मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और आवश्यकता और अनुपात में होना चाहिए।

पुलिस को अत्यधिक बल से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि स्थिति हल की जा सकती हो तो पहले शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ को तीतर-बितर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

विधि विरुद्ध जमाव को तीतर बितर करते समय पुलिस द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

विधि विरुद्ध जमाव को तीतर-बितर करते समय पुलिस द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार होता है, और यदि सावधानी न बरती जाए तो यह स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। निम्नलिखित सावधानियां पुलिस द्वारा बरती जानी चाहिए:

1. पहले चेतावनी देना:

पुलिस को पहले चेतावनी देनी चाहिए, ताकि लोगों को यह समझ में आ सके कि यदि वे अपना जमाव नहीं तीतर-बितर करेंगे तो उन्हें बल प्रयोग का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी स्पष्ट और दृढ़ होनी चाहिए।

पुलिस द्वारा वैकल्पिक उपायों का प्रस्ताव भी किया जा सकता है, जैसे कि शांतिपूर्वक हटने का अवसर देना।

2. अत्यधिक बल से बचना:

पुलिस को अत्यधिक बल के प्रयोग से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बल का उपयोग केवल अत्यधिक आवश्यक होने पर ही किया जाए, और बल का स्तर आवश्यकता के अनुपात में हो।

जब भी पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया जाए, यह केवल समझौता की स्थिति में होना चाहिए, न कि बिना किसी उचित कारण के।

3. सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण:

पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भीड़ को तितर-बितर करते समय सार्वजनिक संपत्ति जैसे बसें, गाड़ियां, सरकारी दफ्तर, और अन्य स्थानों को नुकसान न पहुंचे।

सुरक्षा बल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ में शामिल लोग या उनके द्वारा कोई नुकसान न हो।

4. महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखना:

पुलिस को महिलाओं, बच्चों, और बुजुर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। इन वर्गों के खिलाफ बल का प्रयोग विशेष रूप से संवेदनशील और उचित तरीके से किया जाना चाहिए।

यदि महिलाएं और बच्चे भीड़ में हैं, तो उनके खिलाफ बल प्रयोग में अत्यधिक सतर्कता अपनानी चाहिए।

5. सुरक्षा बलों की संख्या और सामर्थ्य का मूल्यांकन:

पुलिस को पहले यह मूल्यांकन करना चाहिए कि सुरक्षा बलों की संख्या और सामर्थ्य विधि विरुद्ध जमाव को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं।

यदि स्थिति गंभीर हो, तो अतिरिक्त बल की तैनाती की जा सकती है, लेकिन समझदारी से निर्णय लिया जाना चाहिए।

6. प्रदर्शनकारियों से संवाद बनाए रखना:

पुलिस को प्रदर्शनकारियों से संवाद बनाए रखना चाहिए ताकि उनकी मांगों और स्थिति को समझा जा सके। यदि प्रदर्शनकारियों के साथ कोई समझौता किया जा सकता है, तो उसे तलाशना चाहिए।

मेडिएटर और वार्ताकार का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि स्थिति को हिंसा से बचाया जा सके।

7. मानवाधिकारों का सम्मान:

पुलिस को मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में प्रदर्शनकारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

गिरफ्तारी और शारीरिक बल प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अत्यधिक चोट या अत्याचार न पहुंचे।

8. संगठित और नियंत्रित तरीके से कार्यवाई:

पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए संगठित तरीके से काम करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बल का प्रयोग संगठित और समन्वित तरीके से किया जा रहा हो, ताकि हिंसा न बढ़े।

फ्रंटलाइन में प्रशिक्षित पुलिस बल का होना आवश्यक है, ताकि वे स्थिति को संभाल सकें और हिंसा को काबू में कर सकें।

9. मीडिया और सार्वजनिक निरीक्षण का ध्यान रखना:

पुलिस को यह ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया और अन्य निगरानी साधन के द्वारा उनकी कार्यवाही का निरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही को पारदर्शी और नैतिक तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न हो।

इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मीडिया में गलत संदेश न जाए, जो हिंसा को बढ़ावा दे।

10. समाप्ति के बाद स्थिति का मूल्यांकन:

जब भीड़ को तितर-बितर कर दिया जाए, तो पुलिस को स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दूसरा संकट उत्पन्न न हो। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

11. सार्वजनिक सुरक्षा का प्राथमिक ध्यान:

पुलिस का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और शांति को बनाए रखना होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों को कोई खतरा न हो, और स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए।

पुलिस बल प्रयोग के समय आरक्षी की भूमिका

पुलिस बल प्रयोग के समय आरक्षी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह पुलिस बल का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। आरक्षी की भूमिका, विशेष रूप से जब पुलिस को बल प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं में विभाजित की जा सकती है:

1. आदेशों का पालन और संयम:

आरक्षी का प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करे। किसी भी प्रकार के बल प्रयोग से पहले और बाद में, उसे अपने कार्यों में संयम और समझदारी बरतनी चाहिए।

उसे यह समझना होता है कि बल का प्रयोग केवल आवश्यकता और अनुपात में किया जाना चाहिए।

2. शांति और सुरक्षा बनाए रखना:

आरक्षी का प्रमुख उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना होता है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि जब वह बल प्रयोग कर रहा होता है, तो वह किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न करे और केवल अपनी कार्यवाही से सामाजिक शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करे।

3. प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद और नियंत्रण:

आरक्षी को प्रदर्शनकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने और उन्हें शांतिपूर्वक समझाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि भीड़ हिंसक हो जाती है, तो उसे कठोरता से बचने की कोशिश करते हुए शांतिपूर्वक भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए।

उसे यह समझने की आवश्यकता है कि उसके द्वारा किया गया बल प्रयोग स्थिति को और बिगाड़ सकता है, इसलिए उसे संवेदनशीलता और संयम से काम करना चाहिए।

4. दिशा-निर्देश और आदेश देना:

जब भीड़ हिंसक हो और पुलिस बल का प्रयोग आवश्यक हो, तो आरक्षी को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश और आदेश देने होते हैं।

उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि वह आदेशों का पालन करते हुए भी संवेदनशील तरीके से अपनी कार्यवाही करे और अत्यधिक बल का प्रयोग करने से बचे।

5. सुरक्षा सुनिश्चित करना:

आरक्षी को न केवल प्रदर्शनकारियों की बल्कि अपनी और अपने साथी पुलिसकर्मियों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि पुलिस बल सुरक्षित रूप से कार्य कर रहा है और किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके।

6. मेडिकल सहायता का ध्यान रखना:

यदि किसी प्रदर्शनकारी या पुलिसकर्मी को चोटें आती हैं, तो आरक्षी को चोटों का तुरंत इलाज कराना चाहिए और मेडिकल सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

इसके साथ ही, घायल व्यक्तियों की स्थिति को गंभीरता से लेकर उन्हें सतर्कता से अस्पताल भेजना भी आरक्षी की जिम्मेदारी है।

7. कानूनी अधिकारों का सम्मान:

आरक्षी को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह बल प्रयोग करते समय कानूनी अधिकारों का सम्मान करे और किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो।

पुलिस बल का प्रयोग कानून के दायरे में होना चाहिए और यह केवल अत्यधिक आवश्यक स्थिति में किया जाना चाहिए।

8. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना:

आरक्षी का कार्य केवल प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना ही नहीं होता, बल्कि उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक संपत्ति जैसे वाहन, सरकारी भवन, और अन्य बुनियादी ढांचे का सुरक्षित रखा जाए।

9. किसी भी तरह की अफवाहों से बचना:

आरक्षी को अफवाहों से बचना चाहिए और शांति बनाए रखने के दौरान किसी भी प्रकार की गलत सूचना या भ्रांतियों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।

उसे अपनी कार्यवाही में स्पष्टता और सत्यता बनाए रखनी चाहिए।

10. बच्चों और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता:

यदि हिंसक भीड़ में महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं, तो आरक्षी को उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन लोगों पर बल का प्रयोग न्यूनतम हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

iv. न्यूनतम बल प्रयोग का अर्थ

न्यूनतम बल प्रयोग का अर्थ है कि जब भी पुलिस को किसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़े, तो उसे सिर्फ उतना ही बल प्रयोग करना चाहिए जितना स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम और आवश्यक हो।

इसका उद्देश्य यह है कि बल का प्रयोग सिर्फ उस हद तक किया जाए जो स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से और प्रभावी रूप से काबू करने के लिए जरूरी हो, न कि अधिकांश न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धांत:

1. प्रारंभिक प्रयास: पहले कुशल वार्ता और अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से स्थिति को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

2. आवश्यकता और अनुपात:

बल का प्रयोग हमेशा स्थिति की गंभीरता और आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि स्थिति गंभीर नहीं है, तो बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

3. अत्यधिक बल से बचाव:

किसी भी स्थिति में अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस को संयम और समझदारी से काम करना चाहिए।

4. अन्य विकल्पों की तलाश: जब भी बल का प्रयोग आवश्यक हो, तो कम से कम बल से काम लिया जाए, जैसे कि अशांति को शांत करने के लिए आंसू गैस का उपयोग करने से पहले अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करना।

5. सुरक्षा का ध्यान: न्यूनतम बल प्रयोग का उद्देश्य न केवल स्थिति को नियंत्रित करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी को गंभीर चोटें न आएँ और सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान न हो।

न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धांत के पीछे कारण

न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अपनी कार्यवाही में संवेदनशील, न्यायपूर्ण और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली रहे। इस सिद्धांत के पीछे कई मूल कारण हैं, जो पुलिस की कार्यवाही को अधिक प्रभावी, कानूनी और समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक बनाते हैं:

1. मानवाधिकारों का सम्मान:

पुलिस बल का न्यूनतम प्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। किसी को अत्यधिक बल के माध्यम से शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक चोटें नहीं पहुंचानी चाहिए।

यह सिद्धांत पुलिस को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है, ताकि वह किसी नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन न करें।

2. प्रशासनिक नियंत्रण और जवाबदेही:

पुलिस बल का अत्यधिक या अनुचित प्रयोग एक नुकसानदायक प्रभाव डाल सकता है, जिससे समाज में प्रशासन के प्रति अविश्वास और नफरत पैदा हो सकती है। न्यूनतम बल प्रयोग से। से पुलिस की जवाबदेही बनी रहती है और गलत तरीके से शक्ति के प्रयोग की संभावना कम होती है।

यह सिद्धांत पुलिस बल के भीतर एक व्यवस्थित तरीके को बढ़ावा देता है, ताकि अनावश्यक हिंसा से बचा जा सके।

3. सामाजिक शांति बनाए रखना:

अत्यधिक बल के प्रयोग से समाज में विरोध और असहमति उत्पन्न हो सकती है, जो शांति व्यवस्था को और अधिक खराब कर सकती है। न्यूनतम बल प्रयोग का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए भीड़ या संघर्ष की स्थिति को काबू में करना होता है, बिना सामाजिक असंतोष को बढ़ाए।

यह सिद्धांत भीड़ को शांतिपूर्वक नियंत्रित करने में सहायक होता है, ताकि स्थिति हिंसा में न बदले।

4. सुरक्षा की सर्वोत्तम स्थिति:

पुलिस द्वारा न्यूनतम बल का प्रयोग सभी लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, चाहे वह प्रदर्शनकारियों या पुलिसकर्मी हों। अत्यधिक बल से न केवल प्रदर्शनकारियों को बल्कि पुलिसकर्मियों को भी खतरा हो सकता है।

यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बल का प्रयोग केवल आवश्यक और सुरक्षित तरीके से किया जाए।

5. विश्वास और सहयोग का निर्माण:

जब पुलिस बल का प्रयोग न्यूनतम और सही तरीके से किया जाता है, तो इससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है। लोग महसूस करते हैं कि पुलिस उन्हें बिना अत्याचार के सुरक्षित रखती है, जिससे उनका सहयोग मिलता है और वे पुलिस के साथ मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं।

6. विधिक और संवैधानिक अनुकूलता:

न्यायालयों और कानूनी संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों और सिद्धांतों के अनुसार, पुलिस बल का प्रयोग केवल आवश्यकतानुसार और प्राकृतिक सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। पुलिस के लिए न्यूनतम बल प्रयोग की नीति कानूनी दृष्टिकोण से भी जरूरी है, ताकि उनके कार्यों का संवैधानिक और विधिक उल्लंघन न हो।

ठछैऔर अन्य कानूनों में भी यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि जब तक स्थिति नियंत्रित न हो, तब तक पुलिस को अनावश्यक बल से बचना चाहिए।

7. अत्यधिक हिंसा से बचाव:

न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अत्यधिक हिंसा या कठोरता से बचें।

हिंसा को बढ़ाने की बजाय यह एक संतुलित प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है, जो ज्यादा प्रभावी और स्थायी समाधान का मार्गदर्शन करती है।

जब बल का प्रयोग केवल आवश्यकतानुसार किया जाता है, तो यह सामाजिक अशांति और हिंसक प्रतिक्रिया को रोकने में मदद करता है।

8. पुलिस की कार्यक्षमता में सुधार:

न्यूनतम बल प्रयोग से पुलिस की सामूहिक कार्यशैली और प्रशासनिक कौशल में सुधार होता है। जब बल का प्रयोग सावधानी से किया जाता है, तो पुलिस अधिक प्रशिक्षित, विवेकशील और कुशल बनती है।

यह सिद्धांत पुलिसकर्मियों को मानसिक रूप से भी तैयार करता है कि वे अपनी शक्ति का प्रयोग उचित तरीके से और उचित समय पर करें।

न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक

न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जो पुलिस की कार्यवाही में संवेदनशीलता, कानूनीता और समानता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ये कारक विभिन्न परिस्थितियों, कानूनी दायित्वों, और समाज की शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित कारक इस सिद्धांत को प्रभावित करते हैं:

1. स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता:

किसी भी घटना की गंभीरता और तात्कालिकता यह निर्धारित करती है कि बल का प्रयोग कितना और कब करना चाहिए। यदि स्थिति बहुत गंभीर हो और तुरंत नियंत्रण की आवश्यकता हो, तो बल का प्रयोग अधिक किया जा सकता है।

उदाहरण: यदि कोई प्रदर्शन हिंसक हो गया है और लोगों की जान-माल का खतरा हो, तो पुलिस को अधिक बल का प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस का कर्तव्य होता है कि वह कम से कम बल का प्रयोग करे।

2. भीड़ का आकार और प्रकार:

भीड़ का आकार और उसकी प्रकृति भी बल के प्रयोग पर प्रभाव डालते हैं। यदि भीड़ बड़ी हो और उसमें कुछ लोग हिंसक प्रवृत्ति के हों, तो बल का प्रयोग बढ़ सकता है, लेकिन इसे न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाता है।

भीड़ का प्रकार भी महत्वपूर्ण है— शांतिपूर्ण भीड़ के मुकाबले हिंसक भीड़ में बल प्रयोग अधिक किया जाता है।

3. पुलिस की ताकत और तैयारी:

पुलिस बल की ताकत, संसाधन और प्रशिक्षण भी बल के प्रयोग को प्रभावित करते हैं। यदि पुलिस के पास पर्याप्त बल और संसाधन हैं, तो वह कम बल में स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है— अगर पुलिसकर्मी सही तरीके से प्रशिक्षित हैं, तो वे बिना अत्यधिक बल का प्रयोग किए स्थिति को संभालने में सक्षम हो सकते हैं।

4. प्रदर्शनकारियों और आम जनता की प्रतिक्रिया:

प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया और उनके आवाज उठाने का तरीका भी पुलिस के बल प्रयोग को प्रभावित करता है। यदि प्रदर्शनकारियों का विरोध शांतिपूर्ण है, तो पुलिस को ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों में संवेदनशीलता का स्तर भी अहम होता है। अगर प्रदर्शनकारियों की ओर से कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया या हिंसा होती है, तो पुलिस को बल प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।

5. कानूनी और संवैधानिक सीमाएँ:

न्यूनतम बल प्रयोग का सिद्धांत कानूनी और संवैधानिक दायित्वों से प्रभावित होता है। पुलिस को केवल कानूनी अधिकारों के तहत ही बल का प्रयोग करने की अनुमति होती है।

कानूनी प्रावधान जैसे कि BNS की धारा 148 (भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस का आदेश) और संविधान के अनुच्छेद 21 (व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) को ध्यान में रखते हुए बल का प्रयोग करना चाहिए।

6. संवेदनशीलता और मानवाधिकार:

मानवाधिकारों का उल्लंघन करने से बचने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग न्यूनतम करना होता है। प्रदर्शनकारियों, नागरिकों, महिलाओं, बच्चों या अन्य कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस का संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार होना चाहिए।

बल का प्रयोग करते समय, पुलिस को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी की शारीरिक या मानसिक चोट न हो।

7. मीडिया और सार्वजनिक राय:

मीडिया द्वारा की गई रिपोर्टिंग और सार्वजनिक राय भी पुलिस के बल प्रयोग को प्रभावित कर सकती है। यदि मीडिया ने बल प्रयोग को नकारात्मक रूप में पेश किया है, तो पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है।

सार्वजनिक निगरानी और आलोचना के चलते पुलिस को अपनी कार्यवाही में स्पष्टता और जवाबदेही बनाए रखनी होती है।

8. प्रदर्शनकारियों की आस्थाएँ और विचारधारा:

प्रदर्शनकारियों का आस्थाओं और विचारधारा के आधार पर व्यवहार भी बल के प्रयोग को प्रभावित कर सकता है। यदि प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का होता है, तो पुलिस को अधिक बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती।

यदि प्रदर्शनकारियों की विचारधारा अत्यधिक आक्रामक या क्रांतिकारी होती है, तो पुलिस को कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी न्यूनतम बल का प्रयोग किया जाना चाहिए।

9. सार्वजनिक संपत्ति और अन्य संसाधनों का सुरक्षा:

सार्वजनिक संपत्ति और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे कि सरकारी भवन, वाहन, आदि की सुरक्षा की आवश्यकता पुलिस को अधिक बल प्रयोग की ओर ले जा सकती है।

अगर प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो पुलिस को संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ सकता है।

10. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव:

कुछ मामलों में, प्रदर्शनकारियों की सांस्कृतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक संवेदनाएँ भी प्रभाव डालती हैं। अल्पसंख्यक समूहों या संवेदनशील मुद्दों पर बल प्रयोग करते समय पुलिस को सांस्कृतिक संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए।

न्यूनतम बल प्रयोग के समय पुलिस फायरिंग

न्यूनतम बल प्रयोग के दौरान पुलिस फायरिंग एक अत्यंत गंभीर कदम होता है, जो पुलिस द्वारा केवल अत्यधिक आवश्यकता और अत्यधिक खतरे की स्थिति में ही लिया जाता है। यह निर्णय तब लिया जाता है जब अन्य सभी उपायों और साधनों का उपयोग करने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आती और नागरिकों या पुलिसकर्मियों की जान को बचाने के लिए गोलीबारी की आवश्यकता होती है। पुलिस फायरिंग के दौरान निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

1. न्यूनतम बल प्रयोग का सिद्धांत:

न्यूनतम बल प्रयोग का सिद्धांत यह कहता है कि पुलिस को किसी भी स्थिति में केवल इतना ही बल प्रयोग करना चाहिए जितना कि जरूरी हो। फायरिंग केवल तब की जाती है जब अन्य उपाय, जैसे कि चेतावनियाँ, पानी की तोप, आंसू गैस या लाठीचार्ज, काम नहीं करते और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है।

2. फायरिंग के लिए उचित परिस्थितियाँ:

जीवन या संपत्ति का तत्काल खतरा: जब कोई व्यक्ति या पुलिसकर्मी जानमाल के खतरे में हो और सभी वैकल्पिक उपाय असफल हो जाएं, तो पुलिस फायरिंग की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि

कोई व्यक्ति हथियार से हमला कर रहा हो या किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा हो, तो पुलिस के पास फायरिंग का अधिकार हो सकता है।

समूह के खिलाफ हिंसक कार्रवाईरू यदि भीड़ हिंसक हो गई हो और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में हो, तो पुलिस को बल प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। यहां तक कि गोली चलाने का आदेश भी दिया जा सकता है, यदि हिंसा बढ़ने पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अन्य तरीके विफल हो जाएं।

3. फायरिंग से पहले की कार्रवाई:

चेतावनी देना: पुलिस को फायरिंग से पहले जितना हो सके चेतावनी देनी चाहिए, ताकि लोग आत्मसमर्पण कर सकें और स्थिति शांतिपूर्वक सुलझाई जा सके। इसके लिए पुलिस को ध्यानपूर्वक और स्पष्ट तरीके से अलर्ट करना होता है।

शांति बनाए रखने के प्रयास: यदि संभव हो, तो पुलिस को शांति बनाए रखने के लिए अन्य तरीके अपनाने चाहिए, जैसे संवाद, निगरानी और समुदाय के नेताओं से संपर्क।

4. पुलिस फायरिंग के दौरान अनुसरण किए जाने वाले नियम:

जीवन की सुरक्षा के लिए फायरिंग: पुलिस को सिर्फ अपनी या दूसरों की जान बचाने के लिए गोली चलाने का अधिकार है। फायरिंग को केवल जीवन-या-मृत्यु की स्थिति में किया जा सकता है।

प्रवृत्ति और मापदंड: पुलिस फायरिंग में प्रवृत्ति और मापदंड का पालन करना अनिवार्य होता है। गोलीबारी केवल प्रतिरोधी कार्यवाही के रूप में की जाती है, और यह अत्यधिक बल का उदाहरण नहीं होनी चाहिए।

अत्यधिक बल से बचना: पुलिस को फायरिंग करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह केवल आवश्यक स्थिति में हो और उसका अत्यधिक प्रभाव न हो। पुलिस को गोलीबारी में किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए।

5. न्यायिक और कानूनी जिम्मेदारी:

पुलिस को फायरिंग के दौरान कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करना होता है। यदि पुलिस ने बिना पर्याप्त कारणों के गोलीबारी की है, तो यह कानूनी उल्लंघन हो सकता है, और जवाबदेही तय की जा सकती है। पुलिस की कार्यवाही को न्यायालय द्वारा जांचा जाता है कि क्या यह उचित था या नहीं।

पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा एक निर्दिष्ट जांच की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कार्यवाही कानूनी और उचित थी या नहीं।

6. पुलिस फायरिंग के बाद की कार्रवाई:

पुलिस रिपोर्ट: पुलिस को घटना के बाद एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसमें यह विवरण हो कि गोलीबारी क्यों की गई, कितने लोग प्रभावित हुए, और क्या अन्य उपाय किए गए थे।

मदद और उपचार: गोली लगने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल मेडिकल उपचार और मदद दी जानी चाहिए। पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घायल व्यक्तियों को उचित उपचार मिले, चाहे वे प्रदर्शनकारी हों या पुलिसकर्मी।

समाज में विश्वास बनाए रखना: फायरिंग के बाद, पुलिस को सामाजिक विश्वास बनाए रखने के लिए स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित करना होता है। इसके लिए पुलिस को नागरिकों के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएँ भविष्य में न हों।

7. समाज में पुलिस की छवि और जवाबदेही:

पुलिस फायरिंग की घटनाएं समाज में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए, पुलिस को फायरिंग के दौरान अपने व्यवहार और जवाबदेही पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि उसकी छवि और विश्वसनीयता बनी रहे।

इसके साथ ही, कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी दुरुपयोग या अत्यधिक बल प्रयोग की जांच की जाती है।

पुलिस फायरिंग के दौरान पुलिस द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

पुलिस फायरिंग एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर कदम होता है, जिसे केवल तब किया जाता है जब अन्य सभी उपाय विफल हो जाते हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। पुलिस को फायरिंग करते समय कई सावधानियों का पालन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कार्यवाही कानूनी, संवेदनशील, और न्यायसंगत हो। नीचे पुलिस फायरिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की सूची दी गई है:

1. वैकल्पिक उपायों का इस्तेमाल करें:

पुलिस को न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धांत का पालन करते हुए, फायरिंग से पहले अधिकतम प्रयास करना चाहिए कि हिंसा को शांति से सुलझाया जाए।

उपाय किए जाने चाहिए।

2. चेतावनी देना:

फायरिंग से पहले स्पष्ट और तेज चेतावनी दी जानी चाहिए। यह चेतावनी प्रदर्शनकारियों या हिंसा करने वालों को दी जानी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि यदि वे अपनी गतिविधि रोकते नहीं हैं तो बल प्रयोग किया जाएगा।

चेतावनी में ध्यानपूर्वक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसेरु प्लोक जाओ, अन्यथा हम बल प्रयोग करेंगे।

3. फायरिंग के कारण का स्पष्ट मूल्यांकन:

पुलिस को फायरिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थिति वाकई इतनी गंभीर है कि जान-माल का खतरा उत्पन्न हो गया है।

अगर यह पाया जाए कि स्थिति नियंत्रण में आ सकती है, तो पुलिस को फायरिंग से बचना चाहिए और अन्य उपायों का चयन करना चाहिए।

4. कम से कम बल का प्रयोग:

कम से कम बल का प्रयोग करना हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। पुलिस को केवल वही बल प्रयोग करना चाहिए, जो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है।

अत्यधिक बल का प्रयोग न किया जाए, और केवल गंभीर खतरे की स्थिति में गोली चलानी चाहिए।

5. लक्ष्य की स्पष्टता:

पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गोली का लक्ष्य केवल हिंसा करने वाले व्यक्तियों या खतरनाक तत्वों की ओर हो, न कि निर्दोष लोगों की ओर। गलत व्यक्ति को गोली लगने से बचने जानी चाहिए। बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

पुलिस को गोलीबारी में सामान्य नागरिकों, महिलाओं या बच्चों को अनजाने में घायल करने से बचने के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए।

6. कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन:

पुलिस को हमेशा अपने कानूनी अधिकार और संविधान के तहत फायरिंग करनी चाहिए। यदि पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति के खिलाफ बल प्रयोग करते हैं, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास कानूनी अधिकार है।

धारा 46 (बीएनएसएस) और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है।

7. गोलीबारी के बाद का त्वरित इलाज:

यदि किसी व्यक्ति को गोली लग जाती है, तो पुलिस को तुरंत मेडिकल सहायता प्रदान करनी चाहिए। पुलिस को चोटिल व्यक्तियों की सहायता और उपचार में तत्परता से कार्य करना चाहिए, चाहे वे पुलिसकर्मी हों या प्रदर्शनकारी।

घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।

8. पुलिस बल के आंतरिक समन्वय की व्यवस्था:

पुलिस को गोलीबारी से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पुलिसकर्मी सुसंगत और समन्वय से कार्य करें। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए, पुलिस बल के अंदर आपसी संवाद महत्वपूर्ण है।

उपयुक्त संख्या में पुलिसकर्मी और सामग्री होनी चाहिए, ताकि स्थिति को बिना अत्यधिक बल प्रयोग किए नियंत्रित किया जा सके।

9. समानता और निष्पक्षता बनाए रखें:

पुलिस को हमेशा समानता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए कार्य करना चाहिए। किसी भी स्थिति में जातिगत, धार्मिक या राजनीतिक भेदभाव से बचना चाहिए।

पुलिस की कार्यवाही को न्यायपूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के संविधानिक उल्लंघन से बचा जा सके।

10. जवाबदेही और पारदर्शिता:

पुलिस को गोलीबारी की कार्यवाही के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि गोलीबारी का परिणाम विवादास्पद होता है, तो पुलिस को पूरी कार्यवाही को पारदर्शी बनाते हुए उसकी जांच करवानी चाहिए।

गोलीबारी के बाद रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जिसमें सभी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

11. सामाजिक और मीडिया की प्रतिक्रिया:

पुलिस को मीडिया और सार्वजनिक रुख का ध्यान रखते हुए अपनी कार्यवाही की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। गलतफहमियों से बचने के लिए मीडिया और समाज के साथ खुले संवाद को बढ़ावा देना चाहिए।

पुलिस को अपनी कार्यवाही से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक और मीडिया को स्पष्ट तरीके से देनी चाहिए।

पुलिस फायरिंग के क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं

पुलिस फायरिंग के प्रभाव कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो सामाजिक, कानूनी, और राजनीतिक स्तर पर गहरे परिणामों को जन्म दे सकते हैं। फायरिंग का प्रभाव सिर्फ गोलीबारी की स्थिति में घायल या मरे हुए व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज, सरकार और पुलिस की छवि को भी प्रभावित करता है। नीचे पुलिस फायरिंग के प्रमुख प्रभावों का वर्णन किया गया है:

1. सामाजिक प्रभाव:

सामाजिक अशांति: पुलिस फायरिंग के बाद सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है, खासकर यदि गोलीबारी किसी निर्दोष व्यक्ति पर की जाती है या यदि यह एक हिंसक प्रदर्शन के दौरान होती है। यह समाज में तनाव और आक्रोश को बढ़ा सकता है, जो हिंसा या और अधिक प्रदर्शनों को जन्म दे सकता है।

समाज में विश्वास का हास: पुलिस फायरिंग के परिणामस्वरूप पुलिस और समाज के बीच विश्वास में कमी आ सकती है। यदि लोग महसूस करते हैं कि पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया है, तो यह पुलिस की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और नागरिकों के बीच डर और अविश्वास पैदा कर सकता है।

जाति, धर्म, या राजनीतिक विभाजन: अगर फायरिंग किसी विशेष जाति, धर्म या समुदाय के लोगों के खिलाफ होती है, तो यह उन समूहों के बीच और समाज में विभाजन को बढ़ा सकती है। यह सामाजिक तनाव और घृणा को जन्म दे सकता है।

2. कानूनी और कानूनी दायित्वों पर प्रभाव:

कानूनी जिम्मेदारी और जांच: पुलिस फायरिंग के बाद, यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि यह कानूनी रूप से उचित था। यदि फायरिंग नियमों के खिलाफ होती है, तो यह पुलिसकर्मियों और विभाग को कानूनी जिम्मेदारी का सामना करवा सकती है। अदालत द्वारा इस कार्यवाही की जांच हो सकती है, और दोषी पाए जाने पर कानूनी दंड हो सकता है।

न्यायिक जांच: पुलिस फायरिंग के बाद अदालतों में आमतौर पर एक न्यायिक जांच होती है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि फायरिंग विधिक दृष्टिकोण से उचित थी या नहीं। यदि यह पाया जाता है कि फायरिंग बिना उचित कारण के की गई, तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

3. राजनीतिक प्रभाव:

राजनीतिक असंतोष और विरोध: पुलिस फायरिंग अक्सर राजनीतिक दलों के लिए विरोध और आंदोलन का कारण बन सकती है। यदि यह फायरिंग किसी विशेष राजनीतिक समूह के विरोध प्रदर्शन के दौरान होती है, तो यह राजनीतिक असंतोष को जन्म दे सकती है और चुनावों में भी असर डाल सकती है।

सरकार की आलोचना: यदि पुलिस फायरिंग को अत्यधिक बल प्रयोग माना जाता है, तो सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। यह सरकार की लोकप्रियता को प्रभावित कर सकता है और चुनावों में उसका असर डाल सकता है।

4. आर्थिक प्रभाव:

विनाश और नुकसान: हिंसक प्रदर्शनों और संघर्षों के कारण आमतौर पर आर्थिक नुकसान होता है, जैसे कि दुकानें जलना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, और वाणिज्यिक गतिविधियों का ठप्प होना। पुलिस फायरिंग के कारण उत्पन्न हुई अशांति से आर्थिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, खासकर व्यापारिक और व्यापारिक क्षेत्र में।

निवेशकों का विश्वास: पुलिस फायरिंग के बाद सरकार के प्रति निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है, विशेष रूप से यदि यह घटना राजधानी शहरों या प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में होती है।

5. मानवाधिकार प्रभाव:

मानवाधिकार उल्लंघन: अगर पुलिस फायरिंग के दौरान किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो यह मानवाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और देश की मानवाधिकार छवि को नुकसान हो सकता है।

संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन: यदि पुलिस फायरिंग बिना उचित कारण और कानूनी अनुमति के की जाती है, तो यह संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, जो देश के कानूनी ढांचे को चुनौती दे सकता है।

6. पुलिस और सुरक्षा बलों पर प्रभाव:

पुलिस का मनोबल: पुलिस फायरिंग के बाद यदि यह जांच में सही साबित होती है, तो इससे पुलिस बल का मनोबल बढ़ सकता है क्योंकि उनकी कार्यवाही को सही ठहराया जाता है। हालांकि, यदि यह गलत पाई जाती है, तो इससे पुलिस का मनोबल गिर सकता है, और भविष्य में ऐसी स्थिति में उनके निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

सुरक्षा बलों पर दबाव: फायरिंग के परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ सकता है। पुलिस बल को यह सुनिश्चित करना होगा कि फायरिंग की कार्यवाही संविधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से उचित थी, और इसके परिणामस्वरूप उन्हें सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।

7. मीडिया और सार्वजनिक प्रतिक्रिया:

मीडिया की भूमिका: पुलिस फायरिंग के बाद मीडिया की रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर समाज का रुख और विचार बदल सकता है। अगर मीडिया ने घटनाओं को विभाजित या गलत तरीके से प्रस्तुत किया, तो यह झूठी अफवाहों और नफरत को बढ़ा सकता है। जनता की प्रतिक्रिया: मीडिया के साथ-साथ आम जनता की भी प्रतिक्रिया हो सकती है। पुलिस फायरिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, या सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं।

8. नैतिक और मानवीय प्रभाव:

भावनात्मक प्रभाव: पुलिस फायरिंग से प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों और समुदायों पर गहरे भावनात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। एक व्यक्ति की मौत या गंभीर चोट से परिवार में गहरी टूटन और वेदनाएं हो सकती हैं।

संवेदनशीलता: पुलिस को गोलीबारी के बाद संवेदनशील और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और सहानुभूति दी जानी चाहिए।

पुलिस फायरिंग के बाद में पुलिस द्वारा क्या किया जाना चाहिए

पुलिस फायरिंग के बाद, पुलिस को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए ताकि कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से मामले को सही तरीके से संभाला जा सके और किसी भी प्रकार की गलतफहमी या अनुशासनहीनता से बचा जा सके। पुलिस द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

1. घटना की रिपोर्टिंग:

पुलिस को तुरंत और सही तरीके से घटना की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जिसमें पूरी स्थिति का विवरण दिया गया हो, जैसे कि फायरिंग का कारण, घटनास्थल की परिस्थितियां, और फायरिंग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्या

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि पुलिस ने न्यूनतम बल का प्रयोग किया था और क्या सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।

2. तत्काल चिकित्सा सहायता:

यदि गोलीबारी में किसी व्यक्ति को चोट आई है, तो पुलिस को तुरंत चिकित्सा सहायता मुहैया करानी चाहिए। पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भेजा जाए।

घायल व्यक्तियों को पहचान पत्र और अस्पताल में भर्ती की जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ताकि बाद में भी इलाज और कानूनी प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो।

3. स्थल पर स्थिति की सुरक्षा:

घटना के स्थल पर पुलिस को स्थिति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि घटनास्थल पर कोई अनावश्यक भीड़ या दंगे न हों, जो स्थिति को और बिगाड़ सके।

पुलिस को आसपास के क्षेत्रों को भी सुरक्षित करना चाहिए, ताकि कोई अव्यवस्था या हिंसा न फैल सके।

4. न्यायिक जांच और आदेश:

पुलिस फायरिंग के मामले में न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है। पुलिस को तुरंत एक न्यायिक आयोग या जांच अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, जो इस घटना की स्वतंत्र जांच कर सके।

पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटना के सभी पहलुओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फायरिंग कानूनी रूप से उचित थी या नहीं।

5. आधिकारिक बयान जारी करना:

पुलिस को एक आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए, जिसमें घटना के बारे में सही जानकारी दी जाए। बयान में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पुलिस ने न्यूनतम बल का प्रयोग किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थिति और अधिक खराब न हो, क्या कदम उठाए गए। यह बयान मीडिया में सही तरीके से प्रकाशित होना चाहिए, ताकि अफवाहें और गलत जानकारी फैलने से बच सकें।

6. जांच और निगरानी:

घटना की पूरी जांच की जानी चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग उचित था या नहीं। अगर जांच में कोई दोष पाया जाता है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर जांच करनी चाहिए ताकि पूरी स्थिति का सही-सही आकलन किया जा सके।

7. पुलिस बल की जवाबदेही:

पुलिस को इस बात की जवाबदेही तय करनी चाहिए कि क्या फायरिंग का निर्णय सही था और क्या यह कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया था।

यदि पुलिस फायरिंग को अनुचित माना जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए और पुलिस बल की जवाबदेही सुनिश्चित करनी वादिपदेश

8. सार्वजनिक संबंध और विश्वास बनाए रखना:

पुलिस को समाज के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए संवाद स्थापित करना चाहिए। घटना के बाद पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने जनता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया और उन्होंने संवेदनशीलता और न्याय के साथ कार्यवाही की।

पुलिस को समाज के नेताओं और सामाजिक संगठनों से संपर्क करके स्थिति को सामान्य करने का प्रयास करना चाहिए।

9. संसारिक प्रक्रिया का पालन:

पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटना की कानूनी प्रक्रिया के सभी पहलुओं का पालन किया जाए। फायरिंग के बाद कानूनी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, जिसमें सभी तथ्य और प्रमाणों का उल्लेख हो।

यदि किसी ने अपील की है, तो उसे उचित कानूनी मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए और न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए।

10. सहानुभूति और समर्थन:

यदि पुलिस फायरिंग में कोई नागरिक घायल या मरा है, तो पुलिस को उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। यह केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह पुलिस और समाज के बीच समझदारी और सहानुभूति बढ़ाने के लिए भी जरूरी है।

पुलिस को घायलों और उनके परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

v. दंगा क्या है?

दंगा एक प्रकार का हिंसक, अनियंत्रित और अराजक घटना होती है, जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कारणों से सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर समाज या सरकार के खिलाफ हिंसा, विध्वंस और अशांति फैलाते हैं। यह आमतौर पर उस समय होता है जब लोग अपनी असहमति, गुस्सा या आक्रोश को व्यक्त करने के लिए कानून और व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करते हैं। दंगे कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत तनाव, आर्थिक असमानताएं, या किसी विशेष घटना के कारण उत्पन्न असहमति।

दंगे की विशेषताएँ:

1. हिंसक और अव्यवस्थित: दंगे हिंसा, लूटपाट, आगजनी, और तोड़फोड़ जैसे कृत्यों के साथ होते हैं।
2. समूह आधारित: दंगे आमतौर पर एक या अधिक समूहों द्वारा किए जाते हैं, जो किसी मुद्दे पर असहमत होते हैं या आक्रोशित होते हैं।
3. कानून का उल्लंघन: दंगों के दौरान, प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, यातायात को बाधित करते हैं, और शांति व्यवस्था को भंग करते हैं।
4. अराजकता: दंगे आमतौर पर कानून और व्यवस्था से बाहर होते हैं, और पुलिस या सुरक्षा बलों के लिए स्थिति को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

दंगे के कारण:

1. धार्मिक या सांप्रदायिक संघर्ष: विभिन्न धार्मिक या सांप्रदायिक समूहों के बीच तनाव के कारण दंगे हो सकते हैं।
2. राजनीतिक असहमति: सरकार के खिलाफ विरोध, चुनावी विवाद, या अन्य राजनीतिक कारणों से दंगे हो सकते हैं।
3. आर्थिक असमानताएं: आर्थिक असमानताएं, बेरोजगारी, और जीवन स्तर में गिरावट दंगे भड़का सकते हैं।
4. जातिगत तनाव: जाति-व्यवस्था या जातिगत भेदभाव के कारण भी दंगे उत्पन्न हो सकते हैं।
5. प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएँ: किसी बड़ी आपदा के बाद, जैसे महामारी या प्राकृतिक आपदा, असंतोष और दंगे हो सकते हैं।
6. किसी घटना के खिलाफ गुस्सा: किसी विशिष्ट घटना, जैसे पुलिस कस्टडी में मौत, अन्यायपूर्ण हत्या, या किसी सार्वजनिक विवाद के कारण भी दंगे हो सकते हैं।

दंगे के प्रभाव:

1. सामाजिक तानाबाना प्रभावित: दंगे समाज में विभाजन और ध्रुवीकरण पैदा कर सकते हैं, जिससे अलग-अलग समूहों के बीच अविश्वास और नफरत बढ़ सकती है।
2. आर्थिक नुकसान: दंगे आमतौर पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, व्यापारियों की दुकानें जलती हैं, और आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो जाती हैं।
3. राजनीतिक प्रभाव: दंगे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।
4. मानवाधिकार उल्लंघन: दंगे के दौरान, व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, जिसमें मौत, चोट और गिरफ्तारियां शामिल हैं।
5. कानूनी और सुरक्षा तंत्र पर दबाव: दंगे पुलिस और सुरक्षा बलों पर भारी दबाव डाल सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं।

दंगा नियंत्रण हेतु पूर्व से बनाई जाने वाली योजना

दंगा नियंत्रण हेतु पूर्व से बनाई जाने वाली योजना का उद्देश्य संभावित दंगों और अशांति को समय रहते पहचानना, उसकी रोकथाम करना, और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। दंगे एक गंभीर स्थिति होती है, और इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए पहले से तैयारी बहुत जरूरी है। पुलिस और प्रशासन को दंगा नियंत्रण के लिए विभिन्न रणनीतियाँ और योजना बनानी चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में कार्यवाही प्रभावी और त्वरित हो सके। यहां दंगा नियंत्रण हेतु पूर्व से बनाई जाने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं दी गई हैं:

1. सूचना नेटवर्क और अभिसूचना प्रणाली (Intelligence Network and Surveillance):

अभिसूचना संकलन: प्रशासन को समाज में बढ़ती असंतोष, तनाव और दंगे के संकेतों को पहचानने के लिए एक मजबूत अभिसूचना प्रणाली विकसित करनी चाहिए। पुलिस को विभिन्न स्रोतों से, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, स्थानीय नेताओं और समुदायों से, संभावित खतरों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

गुप्त जानकारी: संदिग्ध स्थानों और लोगों की पहचान करनी चाहिए, और खुफिया रिपोर्टों के आधार पर कार्यवाही करनी चाहिए।

2. प्रशिक्षण और संसाधन:

पुलिस बल का प्रशिक्षण: पुलिस को दंगा नियंत्रण और बतवूक उदंहमउमदज में विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि वे न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए दंगों को नियंत्रित कर सकें।

संसाधनों की तैयारी: पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए जैसे आंसू गैस, लाठी, वॉटर कैनन, हेलमेट, बुलेटप्रूफ जैकेट आदि, ताकि वे दंगों के दौरान स्थिति को संभाल सकें।

टीमों का गठन: पुलिस बल की विशेष विरोधी दंगा टीम (Riot Control Team) तैयार की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न विभागों के लोग शामिल हों, जैसे त्वरित प्रतिक्रिया बल (SWAT), पुलिस बल और मेडिकल टीम।

3. कानूनी और प्रशासनिक तैयारी:

कानूनी प्रावधानों की समीक्षा: दंगा नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधानों की समीक्षा की जानी चाहिए, जैसे धारा 163 BNSS, धारा 170 BNSS, और अन्य संबंधित प्रावधान। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन प्रावधानों का सही समय पर और उचित तरीके से पालन हो।

समाज में संवाद: विभिन्न समुदायों और संगठनों के साथ संवाद स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो पहले से समाधान के रास्ते निकल सकें।

BNSS की समझ: पुलिस को दंगा नियंत्रण के लिए BNSS के तहत लागू होने वाली धाराओं को अच्छी तरह समझना चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन न हो।

4. सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा:

समाज में शांति की भावना पैदा करना: पुलिस और प्रशासन को जनता को यह समझाना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए।

निवारक उपाय: समुदायों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा देना चाहिए ताकि भविष्य में सांप्रदायिक या जातिगत तनाव को पहले से कम किया जा सके।

5. दंगा नियंत्रण के लिए विशेष रणनीतियां:

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (मिसल तदपदह लेजमउ)रू जब किसी इलाके में तनाव बढ़ता है, तो प्रशासन को एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, जिससे दंगे होने से पहले उसकी पहचान की जा सके।

दंगा क्षेत्र का घेराव: जब दंगे के संकेत मिलते हैं, तो पुलिस को पहले से रणनीतिक स्थानों पर बल तैनात करना चाहिए और इलाके का घेराव करना चाहिए, ताकि दंगा बढ़ने से पहले नियंत्रण किया जा सके।

6. आपातकालीन योजना (Emergency Plan):

तत्काल प्रतिक्रिया योजना: दंगे की स्थिति में तत्काल कार्यवाही के लिए एक आपातकालीन योजना तैयार करनी चाहिए। इसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस, और स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय से संबंधित योजनाएं होनी चाहिए।

सुरक्षा प्रोटोकॉल: पुलिस के पास स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल होना चाहिए, जैसे किसी स्थान पर आगजनी या लूटपाट की घटना होने पर उसे तत्काल नियंत्रित करने की योजना।

7. प्रेस और मीडिया का सहयोग:

सकारात्मक प्रचार: मीडिया के माध्यम से शांति और सौहार्द के संदेश को फैलाना चाहिए। प्रशासन को मीडिया को सही जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि अफवाहों को रोका जा सके।

मीडिया से संवाद: दंगे की स्थिति में मीडिया से समन्वय बनाए रखना चाहिए ताकि सही जानकारी समाज तक पहुंचे और हिंसा न बढ़े। स

8. जांच और निगरानी (Monitoring and Evaluation):

निगरानी प्रणाली: दंगे की आशंका वाले क्षेत्रों में नियमित निगरानी और निरीक्षण किया जाना चाहिए। इससे प्रशासन को संभावित संकटों के बारे में समय रहते जानकारी मिल सकती है।

जांच प्रणाली: दंगों के बाद, प्रशासन को उस स्थिति की पूरी जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

दंगे के दौरान पुलिस की योजना

दंगे के दौरान पुलिस की योजना का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, हिंसा को रोकना, और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दंगे एक अत्यंत संवेदनशील स्थिति होते हैं, जहां पुलिस को त्वरित, समझदारी और प्रभावी तरीके से काम करना पड़ता है। इसके लिए एक सुसंगत योजना की आवश्यकता होती है। इस योजना में विभिन्न कारकों और रणनीतियों का समावेश होना चाहिए ताकि दंगों का प्रभाव कम से कम हो और शांति स्थापित की जा सके।

दंगे के दौरान पुलिस की योजना में शामिल प्रमुख कदम

1. स्थिति का आकलन (Assessment of Situation):

पुलिस को सबसे पहले दंगे की स्थिति का आकलन करना चाहिए। इसके अंतर्गत यह देखना चाहिए कि दंगा किस स्तर पर फैला है, कितने लोग शामिल हैं, और दंगा किस कारण से भड़का है।

अभिसूचना (Intelligence): पुलिस को तत्काल खुफिया जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि दंगे कहाँ हो रहे हैं, कौन से स्थान संवेदनशील हैं, और किस प्रकार की हिंसा हो रही है।

2. संसाधनों की तैनाती (Deployment of Resources):

पुलिस बल का तैनाती: दंगे की गंभीरता के आधार पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात करना चाहिए। इसमें आरक्षित बल (Reserve Force), स्वाट (SWAT) टीम, और प्रतिक्रिया टीम (Rapid Response Team) शामिल हो सकते हैं।

मेडिकल टीम की तैनाती: घायल लोगों के इलाज के लिए मेडिकल टीमों का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए।

विधिक प्राधिकरण: यह सुनिश्चित करना कि पुलिस के पास दंगा नियंत्रण हेतु सही कानूनी प्राधिकरण (जैसे धारा 163, धारा 170 BNSS) हो।

3. नियंत्रण और रोकथाम (Control and Prevention):

आंसू गैस, लाठीचार्ज और वॉटर कैनन जैसे नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। यह दंगे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धांत का पालन करते हुए।

प्रशासनिक आदेश: यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो ठछै धारा 163 लागू करने जैसे आदेश दिए जा सकते हैं, ताकि किसी भी असंवैधानिक जमाव को रोका जा सके।

सड़क पर बैरिकेड्स और अंतर-बाहरी क्षेत्र में घेराबंदी की जा सकती है, ताकि दंगे को फैलने से रोका जा सके और लोगों को भागने से रोका जा सके।

4. सार्वजनिक सूचना (Public Communication):

समाचार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को सूचित करना बहुत जरूरी होता है। पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग दंगे के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अफवाह से बचें।

पुलिस द्वारा वक्त पर निर्देश जारी करना चाहिए, जैसे जब किसी इलाके को खाली करना है या यदि किसी स्थान पर प्रवेश करना मना है। प्रदेश पुलिस को संदेशों में शांति और संयम बनाए रखने की अपील करनी चाहिए और उन लोगों को पहचानना चाहिए जो दंगे को बढ़ावा दे रहे हैं।

5. दंगा नियंत्रण के लिए विशेष रणनीतियाँ:

स्ट्राइक फोर्स (Strike Force) का गठन किया जाना चाहिए जो हिंसक तत्वों को नियंत्रित कर सके। कंट्रोल रूम का संचालन किया जाना चाहिए जहां से दंगा नियंत्रण की सारी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और त्वरित प्रतिक्रिया की जा सके।

पुलिस को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, खासकर तब जब स्थिति अनियंत्रित हो और जनहानि की आशंका हो।

6. मीडिया और प्रेस से समन्वय (Coordination with Media):

मीडिया का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। पुलिस को मीडिया के माध्यम से शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गलत जानकारी या अफवाहें फैलने से रोकी जाएं।

मीडिया के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करना और वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करना जरूरी है।

7. ग्राउंड पर पुलिस की स्थिति (Ground-Level Policing):

क्विक रिएस टीम (Quick Response Team) और सर्कुलेशन यूनिट्स को सक्रिय रखना चाहिए, जो दंगे वाले क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दे सकें।

स्थानीय नेतृत्व और समाज के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि वे स्थिति को शांति से नियंत्रित करने में मदद कर सकें।

गिरफ्तारी और निगरानी: दंगा करने वाले नेताओं और उकसाने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना और स्थिति को शांत करने के लिए निगरानी रखना।

8. शांति बहाली (Restoration of Peace):

कानूनी कार्रवाईरू दंगे के बाद दंगाई और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह दंगे में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

शांति बैठकेंरू दंगा शांत होने के बाद, स्थानीय समुदायों के नेताओं और लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए और शांति बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।

आवश्यकतानुसार पुनः नियंत्रण: दंगे के दौरान यदि कोई नया खतरा उत्पन्न होता है तो तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

9. कानूनी कार्यवाही और रिपोर्टिंग (Legal Action and Reporting):

दंगा नियंत्रण की घटनाओं की रिपोर्टिंग करनी चाहिए और साथ ही दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

पुलिस को सभी घटनाओं को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य संकलन और फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए ताकि बाद में कानूनी प्रक्रिया के दौरान उनका उपयोग हो सके।

दंगे की पश्चात योजना

दंगे के पश्चात की योजना का उद्देश्य दंगे के बाद उत्पन्न हुई स्थिति को शांत करना, समाज में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करना है। दंगे के पश्चात पुलिस और प्रशासन को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए ताकि जन-धन

की सुरक्षा हो, प्रभावित समुदायों की सहायता की जा सके और दंगे से उत्पन्न प्रभावों का समाधान किया जा सके।

दंगे के पश्चात की योजना में शामिल प्रमुख कदम:

1. स्थिति का आकलन और समीक्षा (Assessment and Review of the Situation):

स्थिति की समीक्षा: दंगे के बाद सबसे पहले प्रशासन और पुलिस को घटनास्थल का आकलन करना चाहिए। इस दौरान यह जांचना चाहिए कि दंगे के कारण कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, और किस क्षेत्र में स्थिति अभी भी अस्थिर है।

अभी भी उग्र तत्वों की पहचान: दंगे के बाद कुछ उग्र तत्वों के द्वारा हिंसा फैलाने की संभावना हो सकती है,

इसलिए उन्हें पहले से पहचानना और उनकी निगरानी करना आवश्यक है।

2. सुरक्षा और शांति बहाली (Restoration of Peace and Security):

प्रशासन की मजबूत उपस्थिति: दंगे के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती महत्वपूर्ण होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई हिंसा या तोड़फोड़ न हो और शांति स्थापित हो।

स्मार्ट पेट्रोलिंग: संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल या वाहन द्वारा पेट्रोलिंग करना चाहिए ताकि स्थिति पर पूरी निगरानी रखी जा सके।

संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू (Curfew): यदि स्थिति बहुत गंभीर हो, तो कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया जा सकता है ताकि लोग घरों में रहें और कोई अनहोनी घटना न हो।

3. घायल व्यक्तियों को सहायता (Assistance to the Injured):

मेडिकल सहायता: दंगे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल भेजने और उन्हें इलाज मुहैया कराना चाहिए। पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता मिले।

पुनर्वास केंद्र: घायल और मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, ताकि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर किया जा सके।

4. कानूनी कार्यवाही और अपराधियों की पहचान:

मुल्जिमा की पहचान और गिरफ्तारी: पुलिस को दंगे में शामिल अपराधियों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। इसके लिए पुलिस बल को विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करनी होगी, जैसे गिरफ्तारी, पूछताछ, और एफआईआर दर्ज करना।

साक्ष्य एकत्रित करना: दंगे में हुई तोड़फोड़ और हिंसा के साक्ष्य (जैसे वीडियो, फोटो, गवाह बयान) एकत्रित करना आवश्यक होता है, ताकि कानूनी प्रक्रिया में मदद मिल सके।

विशेष अदालतों का गठन: दंगों से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा सकता है, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

5. प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण (Reconstruction of Affected Areas):

क्षति का मूल्यांकन: दंगे में हुई संपत्ति और मानव हानि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे प्रभावितों के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित की जा सकती है।

विनाश के बाद पुनर्निर्माण: दुकानों, घरों और सार्वजनिक स्थानों की पुनः निर्माण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इसमें सरकार और स्थानीय प्रशासन को लोगों को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

समाज में पुनः विश्वास बहाली: दंगे से प्रभावित समुदायों में शांति और विश्वास बहाल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

6. सामाजिक पुनः साक्षात्कार (Social Reconciliation):

समाज में संवाद: दंगे के पश्चात विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और मेल-मिलाप को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय नेताओं, धर्मगुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया जा सकता है ताकि वे समाज में शांति का संदेश फैलाएं।

शांति संगोष्ठियों का आयोजन: विभिन्न धर्म, जाति और समुदायों के बीच शांति संगोष्ठी आयोजित करना चाहिए, ताकि दंगे की वजह से उत्पन्न असंतोष और नफरत को समाप्त किया जा सके।
सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन: समाज में सौहार्द और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

7. समाजिक सहायता और पुनर्वास (Social Support and Rehabilitation):

मुआवजा और राहत पैकेज: दंगे में प्रभावित लोगों को राहत पैकेज, मुआवजा और अस्थायी आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मनोवैज्ञानिक सहायता: दंगे के बाद मानसिक तनाव और आघात का सामना करने वाले लोगों के लिए काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए।

पीड़ितों के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर: दंगे में प्रभावित हुए परिवारों को रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि वे पुनः सामान्य जीवन जी सकें।

8. जन जागरूकता और शिक्षा (Public Awareness and Education):

शांति और सहिष्णुता के संदेश: दंगे के बाद समाज में शांति, सहिष्णुता और विविधता की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए शैक्षिक संस्थानों, समुदायों और मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं।

सांप्रदायिक सौहार्द पर ध्यान: विशेष रूप से समुदायों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना चाहिए और किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक नफरत को रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

9. दीर्घकालिक समाधान और सुधार (Long-Term Solutions and Reforms):

समाज में असंतोष के कारणों का समाधान: दंगों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन को समाज में असंतोष, बेरोजगारी, गरीबी और भेदभाव के कारणों को समझकर दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम करना चाहिए।

सामाजिक और राजनीतिक सुधार: दंगे के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता होती है। इसमें आर्थिक, शैक्षिक, और कानूनी सुधार शामिल हो सकते हैं।

स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारण: भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्थायी नीति निर्धारण और निष्पक्ष प्रशासनिक उपायों की जरूरत होती

दंगा से पूर्व आरक्षी की भूमिका

1. जानकारी और अवलोकन (Intelligence and Surveillance):

आरक्षी को इलाके में संभावित तनाव और अशांति की जानकारी रखना होती है। वह स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, और समुदायों से संवाद करके किसी भी तरह की असंतोषपूर्ण घटनाओं, समस्याओं या विचारों का पता लगा सकता है।

संवेदनशील इलाकों में नियमित पेट्रोलिंग करनी होती है ताकि दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले संभावित खतरों का पता चल सके।

2. समाजिक और सांप्रदायिक सामंजस्य बनाए रखना (Maintaining Social and Communal Harmony):

आरक्षी को विभिन्न समुदायों, धर्मों और जातियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी विशेष समुदाय या समूह में असंतोष या उग्रता बढ़ रही हो, तो उसे जल्दी पहचानने और शांत करने का प्रयास करना चाहिए।

आरक्षी को विभिन्न सांप्रदायिक और सामाजिक आयोजनों के बारे में सूचना प्राप्त करनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन आयोजनों के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।

3. निरोधात्मक कार्यवाही (Preventive Action):

पेट्रोलिंग: आरक्षी को दिन-रात इलाके में पेट्रोलिंग करनी चाहिए। विशेष रूप से उन इलाकों में जहाँ दंगे होने की संभावना हो। पेट्रोलिंग से वह किसी भी प्रकार के भड़काऊ तत्वों की पहचान कर सकता है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्यवाही कर सकता है।

अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी: पुलिस को उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जहाँ तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है, जैसे जातिगत, धार्मिक या राजनीतिक विवादों वाले इलाकों में।

संबंधित अधिकारियों को जानकारी देना: यदि आरक्षी को किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, ताकि वे तत्काल कार्यवाही कर सकें।

4. जन जागरूकता (Public Awareness):

आरक्षी को जनता के बीच शांति बनाए रखने और दंगा जैसी स्थिति से बचने के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। वह स्थानीय लोगों के साथ संवाद करके उन्हें समझा सकता है कि किसी भी प्रकार के उग्र प्रदर्शन या हिंसा से बचना चाहिए।

आरक्षी को इस प्रकार की जानकारी देने के लिए समुदाय के नेताओं, धर्मगुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करना चाहिए।

5. अत्यधिक उत्तेजित तत्वों से निपटना (Dealing with Provocative Elements):

आरक्षी को उन लोगों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए जो दंगा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे तत्वों को पहले से ही पहचाना जाना चाहिए और उन्हें शांत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। आरक्षी को भीड़ में घुसकर शांतिपूर्वक बातचीत करनी चाहिए और किसी भी उग्र स्थिति को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए।

6. विधि विरुद्ध जमाव पर नियंत्रण (Control over Unlawful Assemblies):

अगर किसी क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव (Unlawful Assembly) का संकेत मिलता है, तो आरक्षी को तत्काल सक्रिय होकर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। इस कार्यवाही में पहले चेतावनी देना, फिर दंगा नियंत्रण उपकरण का उपयोग करना और अंत में विधिक कार्यवाही करनी चाहिए।

यदि जमाव हिंसक हो जाता है, तो आरक्षी को आवश्यकतानुसार बल प्रयोग की प्रक्रिया में भाग लेना होता है।

7. समझौतों और संवाद की पहल (Initiating Dialogue and Mediation):

किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को शांतिपूर्वक हल करने के लिए आरक्षी को समय से पहले बातचीत और मध्यस्थता की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि सभी पक्षों की आवाज सुनी जाए और उनका विश्वास जीता जाए, दंगे को टालने में मदद कर सकता है।

8. समय पर जानकारी प्रदान करना (Timely Information Sharing):

आरक्षी को सूचना का आदान-प्रदान करने में बेहद सतर्क रहना चाहिए। किसी भी घटना के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचित करना और समुचित कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना अनिवार्य है।

दंगा के दौरान व पश्चात आरक्षी की भूमिका

दंगा के दौरान और पश्चात आरक्षी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह शांति बनाए रखने, व्यवस्था स्थापित करने और प्रभावित समुदायों की मदद करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। दंगे के दौरान आरक्षी को अत्यधिक सतर्कता, संयम और व्यावसायिकता दिखानी होती है, जबकि दंगे के

पश्चात यह नुकसान का मूल्यांकन, अपराधियों की गिरफ्तारी, और समाज में शांति पुनः स्थापित करने के लिए कार्य करता है।

दंगा के दौरान आरक्षी की भूमिका:

1. दंगा नियंत्रण:

बल प्रयोग: दंगे के दौरान आरक्षी को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग की आवश्यकता होती है। यदि दंगा हिंसक रूप ले लेता है, तो उसे नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह बल अत्यधिक नहीं होना चाहिए।

दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलिंग: आरक्षी को दंगे वाले क्षेत्रों में पैदल या गाड़ी से पेट्रोलिंग करनी चाहिए, ताकि वह स्थिति पर नजर रख सके और जल्द से जल्द प्रतिक्रिया कर सके।

अस्थायी बाधाएं: दंगे के दौरान आरक्षी को सड़क को ब्लॉक करने, पुलिस बैरिकेड्स लगाने, और क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू करने जैसी अस्थायी कार्यवाही करनी पड़ सकती है।

2. भीड़ नियंत्रण:

उत्तेजित भीड़ से निपटना: आरक्षी को शांति बनाए रखते हुए उत्तेजित भीड़ से निपटना होता है। उन्हें भीड़ के मनोविज्ञान को समझते हुए संयम से काम लेना होता है। यह महत्वपूर्ण है कि भीड़ को तीतर-बीतर करने के दौरान कोई भी अनावश्यक हिंसा न हो।

दंगा भड़काने वाले तत्वों की पहचान करना: आरक्षी को भीड़ में से उन तत्वों को पहचानना और गिरफ्तार करना चाहिए जो दंगे को और भड़काने की कोशिश कर रहे हों।

3. सुरक्षा सुनिश्चित करना:

सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा: आरक्षी को सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी होती है ताकि दंगाई उसे नुकसान न पहुँचाएँ यह उनके द्वारा की गई उपद्रवी गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश होती है।

व्यक्तिगत सुरक्षा: आरक्षी की प्राथमिक जिम्मेदारी अपनी और अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होती है, ताकि वे उचित कार्यवाही कर सकें और खुद को खतरे से बचा सकें।

4. स्थानीय नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखना:

आरक्षी को स्थानीय नेताओं, धार्मिक प्रमुखों और समाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में रहकर स्थिति को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नेता दंगे के दौरान लोगों को शांत करने में मदद कर सकते हैं।

दंगा के पश्चात आरक्षी की भूमिका

1. स्थिति का आकलन और रिपोर्ट तैयार करना:

आरक्षी को दंगे के बाद पूरे इलाके का निरीक्षण करना चाहिए और नुकसान का आकलन करना चाहिए। यह रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है ताकि उन्हें स्थिति का सही-सही विवरण मिले।

आवश्यक दस्तावेजीकरण: दंगे के दौरान हुई घटनाओं का दस्तावेजीकरण करना बेहद आवश्यक होता है, ताकि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके।

2. अपराधियों की गिरफ्तारी:

गिरफ्तारी और पूछताछ: दंगे में शामिल हुए अपराधियों की पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना आरक्षी की जिम्मेदारी है। इसके लिए वह स्थानीय सूचनाओं और गवाहों का सहारा ले सकता है।

साक्ष्य संग्रह: दंगे के दौरान हुए अपराधों के साक्ष्य जैसे वीडियो, तस्वीरें और गवाहों के बयान इकट्ठा करना महत्वपूर्ण होता है।

3. सामाजिक पुनर्निर्माण में मदद:

काउंसलिंग और समर्थन: दंगे के बाद, प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को मानसिक और सामाजिक रूप से सहारा देने की आवश्यकता होती है। आरक्षी को समुदाय के साथ संवाद करते हुए उन्हें सरकार और प्रशासन द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

सांप्रदायिक सौहार्द का निर्माण: दंगे के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना आवश्यक होता है। आरक्षी को विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और मेल-जोल को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।

4. सुरक्षा प्रदान करना:

पुनः सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना: दंगे के बाद पुलिस को इलाके में सुरक्षा व्यवस्था फिर से स्थापित करनी होती है ताकि वहां कोई अप्रिय घटना न हो।

समाज में शांति बहाल करना: आरक्षी को दंगे के बाद शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को टाला जा सके।

5. संवेदनशीलता और विवेक का प्रयोग:

दंगे के पश्चात आरक्षी को संवेदनशील और विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। उन्हें प्रभावित लोगों से सहानुभूति दिखानी चाहिए और कोई भी कार्यवाही करते समय उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

Module- A- 11- RIOT (Day-14) (Session-84)
Paper- 01-Bhartiya Nagrik Surksha Sanhita 2023 (Session-02)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

148. सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना— (1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधिविरुद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को, जिससे लोकशांति विक्षुब्ध होने की संभाव्यता है, तितर-बितर होने का समादेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जाएं। (2) यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है, जिससे उसका तितर-बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर-बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है।

149. जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग (1) धारा 148 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर-बितर किया जाए तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर-बितर करा सकता है। (2) ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर-बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट निदेश दे या जिन्हें जमाव को तितर-बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करता आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे। (3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यक्षता का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है।

150. जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों की शक्ति—जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर-बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हों, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकता है, किंतु यदि उस समय, जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा और तदनन्तर इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालू रखे या न रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा।

151. धारा 148, धारा 149 तथा धारा 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण (1) किसी कार्य के लिए, जो धारा 148, धारा 149 या धारा 150 के अधीन किया गया तात्पर्य है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में—

(क) जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा

(ख) किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

(2) (क) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में

(ख) धारा 148 या धारा 149 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में

(ग) धारा 150 के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में,

(घ) सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में,

माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है रु

(3) इस धारा में और इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में—

(क) सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी हैं

(ख) सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी से सशस्त्र बल के आफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त आफिसर, वारंट आफिसर, पेटी आफिसर, अनायुक्त आफिसर तथा अराजपत्रित आफिसर भी हैं;

(ग) सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है।

Module- A- 11- RIOT (Day-14) (Session-84)
Paper- 02-Bhartiya Nyay Sanhita 2023 (Session-04)

भारतीय न्याय संहिता 2023

189. विधिविरुद्ध जमाव (1) पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधिविरुद्ध जमाव के रूप में नामनिर्दिष्ट है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो, —

(क) केंद्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को, या संसद् को या, किसी राज्य के विधान-मंडल को, या किसी लोक सेवक को, जब कि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा, या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना या

(ख) किसी विधि के, या किसी विधिक प्रक्रिया के, निष्पादन का प्रतिरोध करना या

(ग) किसी रिश्ते या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना या

(घ) किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल का उपयोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से, जिसका वह कब्जा रखता हो, या उपभोग करता हो, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना या

(ङ) आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना।

स्पष्टीकरण—कोई जमाव, जो इकट्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, तत्पश्चात् विधिविरुद्ध जमाव बन सकेगा।

(2) जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में जानबूझकर सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, यह कहा जाता है कि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है, और ऐसा सदस्य, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(3) जो कोई किसी विधिविरुद्ध जमाव में, यह जानते हुए कि ऐसे विधिविरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित रीति से दिया गया है, सम्मिलित होगा, या बना रहेगा. वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(4) जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(5) जो कोई पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना सम्भाव्य हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—यदि वह जमाव उपधारा (1) के अर्थान्तर्गत विधिविरुद्ध जमाव हो, तो अपराधी उपधारा (3) के अधीन दंडनीय होगा।

(6) जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा या भाड़े पर लिए जाने का, वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने,

वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी रीति में दंडनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था।

(7) जो कोई किसी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिए किसी गृह या उसके अधिभोग या प्रभार के अधीन किसी परिसर में संश्रय, आश्रय या जमाव करता है या यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति, किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लिए गए हैं, लगाए गए हैं या नियोजित किए गए हैं या उससे जुड़ने के लिए भाड़े पर लिए जाने हैं या भाड़े पर लगाए जाने हैं या नियोजित किए जाने हैं, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(8) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों को करता है या करने में सहायता करता है या भाड़े पर या नियोजन किए जाने हेतु प्रयास करता है या प्रस्ताव करता है या नियोजित है या भाड़े पर लिया गया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(9) जो कोई उपधारा (8) में निर्दिष्ट इस प्रकार नियोजित या भाड़े पर होने के नाते आयुध के साथ जाता है या आयुध सहित नियोजन या प्रस्ताव करता है, घातक आयुध से सज्जित होकर या किसी ऐसे आयुध का उपयोग करता है जिससे मृत्यु कारित करने के अपराध की संभाव्यता है तो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक ही हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

190. विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी — यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

191. बल्वा करना— (1) जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा।

(2) जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(3) जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

192. बल्वा करने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना—यदि बल्वा किया जाए यदि बल्वा न किया जाए जो कोई अवैध बात के करने के द्वारा, किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरिता से प्रकोपित इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाएगा यदि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, और यदि बल्वे का अपराध न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

193. उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी, आदि, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा किया गया है, का दायित्व— (1) जब कभी कोई विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा हो. तब भूमि, जिस पर ऐसा विधिविरुद्ध जमाव हो या ऐसा बल्वा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति, एक हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि

वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना सम्भाव्य है, उस बात की अपनी शक्ति—भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को नहीं देता है और उस दशा में, जिसमें उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्ति—भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता है या करते हैं और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति—भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधिविरुद्ध जमाव को बिखेरने या बल्वे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता है या करते हैं।

(2) जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बल्व किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बल्व हो, स्वामी या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर या पा चुका हो, तब ऐसा व्यक्ति, जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बल्व किया जाना सम्भाव्य था या कि जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्व किया गया था, वह जमाव किया जाना सम्भाव्य था, अपनी शक्ति—भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बल्वे का किया जाना निवारित करने के लिए और उसे दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करेगा या करेंगे।

(3) जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बल्व किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बल्व हो, स्वामी हो या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वे के पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर या पा चुका हो, तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबंधक यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बल्वे का किया जाना सम्भाव्य था या कि जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्व किया गया था, उसका किया जाना सम्भाव्य था, अपनी शक्ति—भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बल्वे या जमाव का किया जाना निवारित करने के लिए और उसको दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करेगा या करेंगे।

194. दंगा—(1) जब दो या अधिक व्यक्ति, लोकस्थान में लड़कर लोक शान्ति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं।

(2) जो कोई दंगा करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

195. लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तक उस पर हमला करना या उसे बाधित करना— (1) जो कोई, किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखेरने का, या बल्वे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमला करता है या उसके काम में बाधा डालता है या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई, ऐसे किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखेरने का, या बल्वे या दंगे को दबाने का प्रयास, ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देगा, या उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

196. धर्म, मूलवंश, जन्म—स्थान, निवास—स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना— (1) जो कोई,— (क) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द या शत्रुता,

घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा या (ख) कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक-प्रशान्ति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना सम्भाव्य होय या

(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से, भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी सम्भाव्य हैय

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध, किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

197. राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान—(1) जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा, —

(क) ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकतेय या

(ख) यह प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाएय या

(ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की, बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्राख्यान करता है, परामर्श देता है, अभिवाक् करता है या अपील करता है या प्रकाशित करता है, और ऐसे प्राख्यान, परामर्श, अभिवाक् या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असौहार्द, या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभाव्य हैंय या

(घ) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है,

वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध, किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

298. किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना — जो कोई किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद्द्वारा अपमान किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

299. विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों— जों कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

300. धार्मिक जमाव में विघ्न करना — जों कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

301. कब्रिस्तानों, आदि में अतिचार करना — जो कोई किसी उपासना स्थान में, किसी कब्रिस्तान पर या अन्येष्टि कियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक् रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

302. किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि— जों कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

Module- A- 11- RIOT (Day-14) (Session-84)

Paper- 03- Minor Acts, Special and Local Laws (Session-05)

➤ लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम, 1984

(The Prevention of Damage of Public Property Act 1984)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (1) यह अधिनियम लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम, 1984 कहा जा सकेगा।

(2) इसका, सम्पूर्ण भारत पर विस्तार होगा।

(3) यह जनवरी 1984 के 28वें दिन प्रवृत्त हुआ, समझा जाएगा।

2. परिभाषाएँ — इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "रिष्टि" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 425 में है:

(ख) "लोक संपत्ति" से अभिप्रेत है, कोई सम्पत्ति, चाहे स्थावर या चल (किसी मशीनरी को सम्मिलित करते हुए), जो निम्न के स्वामित्व की या उनके कब्जे में हो या नियन्त्रण में हो —

(i) केन्द्रीय सरकार, या

(ii) कोई राज्य सरकार, या

(iii) कोई स्थानीय प्राधिकारी,

(iv) केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य के अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम, या

(v) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)' की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई कम्पनी, या

(vi) कोई संस्थान, समुत्थान या उपक्रम जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर सके :

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस उपखण्ड के अधीन किसी संस्थान, समुत्थान या उपक्रम को विनिर्दिष्ट नहीं करेगी जब तक कि ऐसा संस्थान समुत्थान या उपक्रम प्रत्यक्षतः या परोक्षतः केन्द्रीय सरकार द्वारा या एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा अथवा अंशतः केन्द्रीय सरकार और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से पूर्णतः या तात्त्विकतः सहायता प्राप्त न हो।

3. लोक सम्पत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि (1) जब कोई उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की लोक सम्पत्ति के सिवाय, किसी लोक सम्पत्ति की बाबत किसी कार्य को करके रिष्टि कारित करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई किसी लोक सम्पत्ति को निम्न प्रकार की होते हुए, किसी कार्य को करके रिष्टि कारित करता है।

(क) जल, प्रकाश, बिजली या ऊर्जा के उत्पादन वितरण या आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त कोई भवन, प्रतिष्ठापन या अन्य सम्पत्तिय

(ख) कोई तेल प्रतिष्ठानय

(ग) कोई मल संकर्मय

(घ) कोई खान या कारखानाय

(ङ) लोक परिवहन या दूर संचार का कोई साधन अथवा उनसे सम्बन्धित प्रयुक्त कोई भवन, प्रतिष्ठापन या अन्य सम्पत्तिय

वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास से कम नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा रु

परन्तु न्यायालय अपने निर्णय में अभिलिखित किये गए कारणों से, छः मास से कम अवधि का कारावास या दण्ड अधिनिर्णित कर सकेगा।

4. अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक सम्पत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि—

जो कोई धारा 3 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन या अपराध अग्नि या विस्फोट पदार्थ द्वारा कारित करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जावेगा :

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित कारणों से एक वर्ष से कम के कारावास का दण्ड अधिनिर्णित कर सकेगा।

PTS Kherwara, Udaipur

➤ आयुध अधिनियम, 1959 (Arms Act 1959)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (1) यह अधिनियम आयुध अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, —

(क) अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित अर्जन के अंतर्गत भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान के रूप में प्रतिगृहीत करना आता है।

(ख) “गोला-बारूद” से किसी अग्न्यायुध के लिए गोला-बारूद अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत—

(i) राकेट, बम, ग्रेनेड, गोला शौर अन्य अस्त्र,,

(ii) टारपीडो को काम में लाने और अन्तः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिये परिकल्पित वस्तुएं,

(iii) विस्फोटक, स्फूर्जनकारी या विखंडनीय सामग्री या अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट रखने वाली या अन्तर्विष्ट रखने के लिये परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं, चाहे वे अग्न्यायुधों के साथ उपयोग के योग्य हों या न हों,

(iv) अग्न्यायुधों के लिये भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन,

(v) पलीते और घर्षण नलिकाएं,

(vi) गोलाबारूद के ऐसे संघटक और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी, और

(vii) गोलाबारूद के ऐसे संघटक जिन्हें केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, आते हैं

(ग) “ आयुध ” से आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिये शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत हैं और अग्न्यायुध, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिये मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं किन्तु केवल घरेलू या कृषिक उपयोगों के लिये परिकल्पित वस्तुएं, जैसे लाठी या मामूली छड़ी तथा वे शस्त्र जो खिलौने से भिन्न रूप में उपयोग में लाये जाने के लिए या काम के शस्त्रों में सम्परिवर्तित किये जाने के लिये अनुपयुक्त हों, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं

“(घ) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसके लिये पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया हो, “ जिला मजिस्ट्रेट ” से उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त, अभिप्रेत है और ऐसे पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा पुलिस उपायुक्त जिसे राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या भाग के सम्बन्ध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इसके अंतर्गत आता है}

(ङ) “ अग्न्यायुधों ” से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकारों की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के प्रक्षेप्य या प्रक्षेपों को चलाने के लिये परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र अभिप्रेत है, तथा

(i) तोपें, हथगोले, रायट-पिस्तौलों या किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य किसी चीज को छोड़ने के लिये परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी प्रकार के शस्त्र,

(ii) किसी भी ऐसे अग्न्यायुधों को चलाने से हुई आवाज या चमक को कम करने के लिये परिकल्पित या अनुकूलित उसके उपसाधन,

(iii) अग्न्यायुधों के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी, तथा

(iv) तोपों को चढ़ाने, उनका परिवहन करने और उन्हें काम में लाने के लिये गाड़ियां, मंच और साधित्र, इसके अन्तर्गत आते हैं

(च) “ अनुज्ञापन प्राधिकारी ” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण करने के लिये सशक्त आफिसर या प्राधिकारी अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत सरकार आती है।

2 ((चच) “मजिस्ट्रेट” से अभिप्रेत है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट;]

(छ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है

(ज) “प्रतिषिद्ध गोलाबारूद” से किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट रखने वाला, या अन्तर्विष्ट रखने के लिये परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोलाबारूद अभिप्रेत है और राकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, मिसाइल) टारपीडो को काम में लाने और अन्तः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिये परिकल्पित वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध गोलाबारूद होना विनिर्दिष्ट करे, इसके अन्तर्गत आती है

(झ) “प्रतिषिद्ध आयुधों” से— (प) वे अग्न्यायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हों कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए, तो जब तक दबाव घोड़े से हटा न लिया जाए, या अस्त्रों को अन्तर्विष्ट रखने वाला मैगजीन खाली न हो जाए, अत्र छूटते रहे, अन्यथा

(ii) किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर द्रव, गैस या ऐसी ही अन्य चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित हों, अभिप्रेत है,

और इनके अन्तर्गत तोपें, वायुयान भेदी और टैंक-भेदी अग्न्यायुध और ऐसे अन्य आयुध आते हैं, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध आयुध होना विनिर्दिष्ट करे

(ज) “लोक-सेवक” का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 में है।

(ट) अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, “अन्तरण” के अन्तर्गत भाड़े पर देना, उधार देना, कब्जा देना और कब्जा विलग करना आता है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अग्न्यायुध की नाल की लम्बाई, नालमुख से लेकर उस बिन्दु तक नापी जायेगी जिस पर फायर करने पर भरण का विस्फोट होता है।

(3) किसी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसी विधि के प्रति, जो उस क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, इस अधिनियम में निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि यदि उस क्षेत्र में कोई स्थानीय विधि प्रवृत्त है तो वह उसके प्रति निर्देश है।

(4) किसी क्षेत्र में संबंध में किसी ऐसे आफिसर या प्राधिकारी के प्रति, जिसके पदाभिधान का कोई आफिसर या प्राधिकारी उस क्षेत्र में नहीं है, इस अधिनियम में निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे आफिसर या प्राधिकारी के प्रति निर्देश है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

टिप्पणियाँ

नियम 4 के अनुसार, अनुज्ञप्तियां ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त अथवा नवीकृत की जा सकती हैं जो नियमों की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। नालमुखभरण बंदूक के लिए, पहली अनुसूची के अधीन जिला मजिस्ट्रेट सम्पूर्ण भारत के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सशक्त है जबकि उपखंड मजिस्ट्रेट को उस संबंध में जिले के भीतर अथवा जिले के विनिर्दिष्ट भाग में कार्रवाई की अधिकारिता है। नियम 2 (च) में परिभाषित जिला मजिस्ट्रेट में अन्यो में उपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित राज्य की सरकार द्वारा इस बारे में विशेषतः सशक्त अन्य कोई भी अधिकारी सम्मिलित है।

3. अग्न्यायुधों और गोलाबारूद के अर्जन और कब्जे के लिये अनुज्ञप्ति— '[(1), कोई भी व्यक्ति कोई अग्न्यायुध और गोलाबारूद तब तक न तो अर्जित करेगा न अपने कब्जे में रखेगा और न लेकर चलेगा जब तक कि इस अधिनियम और तद्दीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो:

परन्तु कोई व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति धारित किये बिना किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद को मरम्मत के लिए या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए या ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिए, उस अनुज्ञप्ति के धारक की उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन लेकर वहन कर सकेगा।

2((2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय, कोई व्यक्ति, किसी समय, तीन से अधिक अग्न्यायुध, न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा:

परन्तु कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में आयुध (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 25) के प्रारम्भ के समय तीन से अधिक अग्न्यायुध हों, ऐसे अग्न्यायुधों में से तीन अपने पास रख सकेगा और शेष अग्न्यायुध ऐसे प्रारम्भ के नब्बे दिन के भीतर निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी या धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये, विहित शर्त के अध्वधीन रहते हुए, अनुज्ञप्त डीलर के पास या, जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बल का सदस्य है, उस उपधारा में निर्दिष्ट यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट कोई बात अग्न्यायुधों के किसी डीलर या लक्ष्य अभ्यास के लिये प्वाइंट 22 बोर रायफल या एयर-रायफल का प्रयोग करने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यताप्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम के किसी सदस्य को लागू नहीं होगी।

(4) धारा 21 की उपधाराओं (2) से (6) (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के उपबन्ध उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अग्न्यायुधों के किसी निक्षेप के सम्बन्ध में लागू होंगे, जैसे वे उस धारा की उपधारा (1) के अधीन किसी आयुध या गोलाबारूद के निक्षेप के संबंध में लागू होते हैं।

4. कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति—यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है, अग्न्यायुधों से भिन्न आयुधों का भी अर्जन, कब्जे में रखना या वहन विनियमित किया जाना चाहिये, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को यह धारा लागू होगी और तदुपरि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं उस क्षेत्र में तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।

टिप्पणी

अधिसूचना क्र. 6312.6552 दो-बी. (एक) के अनुसार 8.5^८ लंबे तथा 1.2^८ चौड़े फल का चाकू अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वर्णन का शस्त्र है।

5. आयुधों और गोलाबारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति— '[(1), कोई

भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किये जाएं या किसी गोलाबारूद का तब तक—

(क) न तो, उपयोग में लाएगा, विनिर्माण करेगा विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, या परख या परिसिद्धि करेगाय और न

(ख) विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन करेगा और न उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगाय जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।

⁴((2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारित किये बिना, कोई आयुध या गोलाबारूद जिसका वह अपने स्वयं के प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्ण कब्जा रखता है, अन्य व्यक्ति को जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर ऐसे आयुध और गोलाबारूद रखने का हकदार है, या इस अधिनियम अथवा ऐसी अन्य विधि के अधीन अपने कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध नहीं है, विक्रय या अन्तरण कर सकेगा:

परन्तु कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद, जिसकी बाबत धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है और कोई आयुध जिनकी बाबत धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय या अन्तरित नहीं किये जाएंगे, जब तक कि—

(क) उसने अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के भारसाधक अधिकारी को, ऐसे अग्न्यायुधों, गोलाबारूद या अन्य आयुधों को विक्रय या अन्तरित करने के अपने आशय तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे वह ऐसे अग्न्यायुध, गोलाबारूद या अन्य आयुध विक्रय या अन्तरित करना चाहता है, लिखित में सूचित न कर दिया होय और

(ख) ऐसी सूचना देने के पश्चात् कम से कम पैंतालीस दिवस की कालावधि का अवसान न हो गया हो।

6. गनों के नाल के छोटा किये जाने या नकली अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिये अनुज्ञप्ति — कोई भी व्यक्ति अग्न्यायुध की नाल को छोटा या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित तब के सिवाय न करेगा जबकि वह इस अधिनियम या तद्वीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार निकाली गयी अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित करता हो।

7. प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध— कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को तब तक न तो—

(क) अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा या धारण करेगाय और न

(ख) श्रुपयोग में लायेगा, विनिर्मित, विक्रीत, अन्तरित, संपरिवर्तित करेगा न उसकी मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा, और न

(ग) विक्रय या अन्तरण के लिये अभिदर्शित या प्रतिस्थापित करेगा और न विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगाय

तब तक के सिवाय जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः प्राधिकृत न किया गया हो।

8. जिन अग्न्यायुधों पर पहचान—चिन्ह न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध — (1) कोई भी व्यक्ति किसी अग्न्यायुध पर या अन्यथा दर्शित कोई भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान—चिन्ह न तो मिटायेगा, न हटाएगा, न परिवर्तित करेगा और न कूटरचित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे अग्न्यायुध का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा जिसमें निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान—चिन्ह मुद्रांकित या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न हो।

(3) जब कभी किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा अग्न्यायुध हो जिसमें ऐसा नाम संख्यांक या अन्य पहचान—चिन्ह न हो या जिस पर ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान—चिन्ह मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया गया हो, तब उस दशा में सिवाय, जिसमें कि प्रतिकूल साबित कर दिया जाय, यह

उपधारित किया जाएगा, कि वह नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह उसने मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया है:

परन्तु ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसके कब्जे में इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कोई ऐसा अग्न्यायुध है जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित नहीं है, इस उपधारा के उपबन्ध तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता।

9. तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी—

(क) कोई भी व्यक्ति, —

(i) जिसने श्रृङ्खलीस वर्ष की आयु पूरी न की हो, अथवा

(ii) किसी ऐसे अपराध की दोषसिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक अवचार अन्तर्वलित हो किसी अवधि के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, उस दण्डादेश के अवसान के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि के दौरान किसी भी समय, अथवा

(iii) जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, के अध्याय 9 के अधीन परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिये बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो, उस बन्धपत्र की अवधि के दौरान किसी समय, कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा और न वहन करेगा

(ख) कोई भी व्यक्ति किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद का विक्रय या अन्तरण ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा और न किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद का संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए करेगा जिसकी बाबत वह जानता है या वह विश्वास करने के कारण रखता है कि वह—

(i) किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से खण्ड

(क) के अधीन प्रतिषिद्ध है, अथवा

(ii) ऐसे विक्रय या अन्तरण या ऐसे संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के समय विकृतचित्त का है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (प) में किसी बात के होते हुये भी जिस व्यक्ति ने विहित आयु-सीमा पूरी कर ली है वह विहित शर्तों के अधीन ऐसे अग्न्यायुधों का प्रयोग कर सकेगा जो ऐसे अग्न्यायुधों का उपयोग करने में उसके प्रशिक्षण की चर्चा में विहित किये जायें:

सकेंगी। परन्तु विभिन्न प्रकार के अग्न्यायुधों के सम्बन्ध में विभिन्न आयु सीमाएं विहित की जा

टिप्पणी

अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करने, कब्जे में रखने या वहन करने हेतु निर्धारित आयु—यह धारा तरुण व्यक्तियों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध करती है। अधिनियम क्र. 25 सन् 1983 के लागू होने के पूर्व किसी भी तरुण व्यक्ति द्वारा अग्न्यायुध धारण करने की आयु सीमा 16 वर्ष थी परन्तु इस अधिनियम द्वारा यह आयु सीमा बढ़कर 21 वर्ष कर दी गई है।

10. आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति (1) कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी आयुधों या गोलाबारूद को समुद्र, भूमि या वायु-मार्ग द्वारा तब तक न तो भारत में लाएगा न वहां से बाहर ले जाएगा जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्विना बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति तन्निमित्त नहीं रखता हो:

परन्तु—

(क) वह व्यक्ति जो कोई आयुध या गोलाबारूद अपने कब्जे में रखने के लिए इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर हकदार है या इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, वह अपने प्राइवेट उपयोग के लिये युक्तियुक्त मात्रा में ऐसे आयुध या गोलाबारूद इस निमित्त अनुज्ञप्ति के बिना भारत में ला सकेगा या वहां से बाहर ले जा सकेगा,

(ख) वह व्यक्ति जो वास्तविक पर्यटक है और किसी ऐसे देश का है जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और जो आयुध या गोलाबारूद अपने कब्जे में रखने के लिए उस देश की विधियों द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है वह केवल आखेट के प्रयोजन के लिए न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिये अपने उपयोग के वास्ते युक्तियुक्त मात्रा में आयुध और गोलाबारूद इस धारा के अधीन आने वाली अनुज्ञप्ति के बिना किन्तु ऐसी शर्तों के अनुसार, जैसी विहित की जाएं, अपने साथ भारत में ला सकेगा।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है कि जहां कि उस परन्तुक के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के किसी ऐसे व्यक्ति को लागू होने के बारे में जो यह दावा करता है कि ऐसा खण्ड, उसे लागू है, या ऐसे खण्ड में निर्दिष्ट व्यक्ति के कब्जे में के आयुध या गोलाबारूद की मात्राओं की युक्तियुक्तता के बारे में या ऐसे आयुध या गोलाबारूद ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस उपयोग में लाये जा सकेंगे उसके बारे में कोई शंका, शसीमा शुल्क कमिश्नर, या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अन्य आफिसर को हो, वहां वह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में के आयुध या गोलाबारूद को तब तक के लिये निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि वह उनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के आदेश प्राप्त नहीं कर लेता।

(3) समुद्र या वायु-मार्ग द्वारा या भारत का भाग न होने वाले किसी मध्यवर्ती राज्यक्षेत्र को पार करके भारत के एक भाग से दूसरे को ले जाये गये आयुध और गोलाबारूद, इस धारा के अर्थ के अन्दर भारत के बाहर ले जाये जाते हैं या भारत में लाये जाते हैं।

25. कुछ अपराधों के लिए दण्ड ¹[(1) जो कोई—

(क) धारा 5 के उल्लंघन में किसी भी आयुध या गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अन्तरण संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या उसे विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रतिस्थापित करेगा या विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा अथवा

(ख) धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्न्यायुध की नाल को छोटी करेगा या नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करेगा अथवा

(ग) 1988 के अधिनियम सं. 42 द्वारा (दिनांक 27-5-1988 से) विलोपित।

(घ) धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के आयुध या गोलाबारूद को भारत लायेगा या भारत के बाहर ले जायेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।}

²[(1क) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को अर्जित करेगा और अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(1कक) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या उन्हें विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रतिस्थापित करेगा या उन्हें विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

¹(1ककक), जो कोई, कोई आयुध या गोलाबारूद धारा 24 क के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में अपने कब्जे में रखता है या धारा 24ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में वहन करता है या अन्यथा अपने कब्जे में रखता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(1ख) जो कोई— (क) धारा 3 के उल्लंघन में कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा या

(ख) धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी स्थान में ऐसे वर्ग या वर्णन के, जैसा उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, कोई भी आयुध उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा या

(ग) किसी भी ऐसे अग्न्यायुध को बेचेगा या अन्तरित करेगा जिस पर निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान—चिन्ह ऐसे मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित नहीं है, जैसा कि धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित है या उस धारा की उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई भी कार्य करेगा या

(घ) ऐसा व्यक्ति होते हुए जिसे धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) का उपखण्ड (ii) या उपखण्ड (iii) लागू होता है, किसी भी अग्न्यायुध या गोलाबारूद को उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा या

(ङ) धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उल्लंघन में किसी भी अग्न्यायुध या गोलाबारूद का विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या

(च) धारा 10 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के आयुध या गोलाबारूद को भारत में लाएगा या भारत के बाहर ले जायगा या

(छ) धारा 12 के उल्लंघन में किसी भी आयुध या गोलाबारूद का परिवहन करेगा या

(ज) आयुध या गोलाबारूद को धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप में निक्षिप्त करने में असफल रहेगा या

(झ) आयुध या गोलाबारूद का विनिर्माता या व्यौहारी होते हुए धारा 44 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित किये जाने पर अभिलेख या लेखा रखने में या उनमें ऐसी सब प्रविष्टियां करने में, जैसी ऐसे नियमों द्वारा अपेक्षित हों, असफल रहेगा या उनमें मिथ्या प्रविष्टि साशय करेगा या ऐसे अभिलेख या लेखाओं का निरीक्षण या उनमें से प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां बनाना रोकेगा या बाधित करेगा या जिस किसी भी परिसर या अन्य स्थान में अग्न्यायुध या गोलाबारूद विनिर्मित किये जाते हों या रखा जाता हो, उसमें प्रवेश रोकेगा या बाधित करेगा या ऐसे आयुध या गोलाबारूद को प्रदर्शित करने में साशय असफल रहेगा या उन्हें छिपायेगा या वह स्थान जहां वह विनिर्मित किया जाता है, बताने के लिए इंकार करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि (एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किसी यथोचित और विशेष कारणों से शक वर्ष, से कम अवधि के लिए कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

²[(1ग) उपधारा (1ख) में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में उस उपधारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करता है वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) जो कोई ऐसा व्यक्ति होते हुए, जिसे धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) का उपखण्ड

(i) लागू होता है उस धारा के उल्लंघन में कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

3[(3) जो कोई, किसी अग्न्यायुध, गोलाबारूद या अन्य आयुधों का (i) अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस अग्न्यायुध, गोलाबारूद या अन्य आयुधों की आशयित बिक्री या अन्य अन्तरण की सूचना दिये बिनाय या

(ii) ऐसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी सूचना देने की तारीख से 45 दिनों की कालावधि के अवसान के पूर्व,

धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपबन्धों के उल्लंघन में विक्रय या अन्तरण करता है, वह छह मास तक की अवधि के हो सकने वाले कारावास से खा पांच सौ रुपयों तक की रकम के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।}

(4) जो कोई अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों में फेरफार करने के प्रयोजन से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर वैसा करने में असफल रहेगा या अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहरण पर उस धारा की उपधारा (10) के अधीन समुचित प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जिसकी रकम पांच सौ रुपए तक हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(5) जो कोई अपना नाम और पता देने के लिए धारा 19 के अधीन अपेक्षित होने पर, ऐसा नाम और पता देने से इन्कार करेगा या ऐसा नाम या पता देगा जो तत्पश्चात् मिथ्या निकले, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जिसकी रकम दो सौ रुपए तक हो सकेगी, या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा – 27. आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दण्ड, आदि – (1) जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला-बारूद को उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(3) जो कोई किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला-बारूद को प्रयोग में लायेगा या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु दण्ड से दंडनीय होगा।

➤ **विस्फोटक अधिनियम, 1884**
(Explosive Act 1884)

1. **संक्षिप्त नाम** — (1) यह अधिनियम विस्फोटक अधिनियम, 1884 कहा जा सकेगा, और (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
2. **शुरूआत** (1) यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
3. **1875 के अधिनियम सं. 12 के प्रभाग निरसित** भारतीय पत्तन अधिनियम, 1889 (1889 का 10) द्वारा निरसित।
4. **परिभाषाएं** — इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "वायुयान" से कोई ऐसी मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रक्रिया से भिन्न वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलम्ब प्राप्त कर सकती है, और इसके अंतर्गत बेलून, चाहे स्थिर हो या अस्थिर, वायु पोत, पतंग, ग्लाइडर और उड्डयन मशीनें हैं
 - (ख) "गाड़ी" के अन्तर्गत कोई गाड़ी, वैगन, छकड़ा, ट्रक, यान या भूमि पर माल या यात्रियों को ले जाने का कोई अन्य साधन है चाहे वह किसी भी प्रकार से चलाया जाए
 - (ग) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। "जिला मजिस्ट्रेट" से उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—
 - (i) ऐसे सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई पुलिस उपायुक्त जो ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और
 - (ii) कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट,
 - (घ) "विस्फोटक" से अभिप्रेत है बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिकोल, गनकाटन, डाईनाइट्रो-टोल्यून, ट्राई नाइट्रो-टोल्यून, पिकरीक एसिड डाईनाइट्रोफिनाल, ट्राई-नाइट्रो-रिसार्सिनाल (स्टाइफिनिकएसिड), साइक्लोट्राइमेथिलिन, ट्राई नाइट्रामाइन, पेन्टा-एरिथटाटेट्रानाइट्रेट टेट्रिल, नाइट्रो-ग्वानिडीन, लेड एजाइड, लेड स्टाइफाइनेट, पारे या अन्य धातु का फ्लिमनेट, डाइएजो-डाइनाइट्रो-फिनाल, रंगीन आतिश या अन्य पदार्थ चाहे वह एक रसायन मिश्रण या पदार्थों का मिश्रण हो, चाहे वह ठोस या तरल या गैसीय हो, जिसका प्रयोग या विनिर्माण विस्फोटक द्वारा व्यवहारिक प्रभाव उत्पन्न करना या आतिशबाजी करना होय और कुहरा-संकेत, अतिशबाजी, पलीते, राकेट, आघात टोपियां, विस्फोट प्रेरक, कारतूस, सभी प्रकार के गोलाबारूद और इस खण्ड में यथा परिभाषित विस्फोटक या प्रत्येक अनुकूलन या निर्मिति इसके अन्तर्गत है
 - (ङ) "निर्यात" से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से भारत के बाहर किसी स्थान पर भारत में से ले जाना अभिप्रेत है
 - (च) "आयात" से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है
 - (छ) "मास्टर" से,

(i) किसी जलयान या वायुयान के सम्बन्ध में पाइलट, बन्दरगाह मास्टर, सहायक बन्दरगाह मास्टर या बर्थिंग मास्टर से भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय, यथास्थिति, ऐसे जलयान या वायुयान का भारसाधक या उसका नियंत्रक है और

(ii) किसी पोत की किसी नौका के सम्बन्ध में उस पोत का मास्टर अभिप्रेत है:

(ज) "विनिर्माण" के अन्तर्गत किसी विस्फोटक के संबंध में निम्नलिखित की प्रक्रिया भी है—

(1) विस्फोटक को उसके संघटक भागों में विभाजित करने या अन्यथा रूप से तोड़ने या विघटित करने अथवा किसी खराब विस्फोटक को प्रयोग के योग्य बनाना और

(2) विस्फोटक को फिर से बनाना, उसमें परिवर्तन करना या उसकी मरम्मत करना,

(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:

(ज) "जलयान" के अन्तर्गत कोई पोत, नौका, पाल, जलयान या किसी अन्य प्रकार का जलयान जो नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त किया जाता है चाहे वह पतवारों से या अन्यथा चालित हो और मनुष्यों को या माल को मुख्यतः जल मार्ग द्वारा लाने या ले जाने के लिए बनाई गई कोई अन्य चीज और केसीन भी है।

5. विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात का अनुज्ञापन करने के बारे में नियम बनाने की शक्ति (1) केन्द्रीय सरकार भारत के किसी भाग के लिए इस अधिनियम से संगत नियम विस्फोटकों या विस्फोटकों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का विनिर्माण, कब्जा, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात उन नियमों द्वारा उपबंधित रूप से अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और अनुसार करने से अन्यथा करने को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन नियम अन्य विषयों के अलावा निम्नलिखित सब या उसमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जा सकेगी

(ख) अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदकों द्वारा व्ययों लेखे संदत्त की जाने वाली (यदि कोई हों) अन्य राशियां

(ग) वह रीति जिसमें अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन किए जाने चाहिए, और ऐसे आवेदनों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषय

(घ) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें जिन पर और जिनके अधीन अनुज्ञप्तियां अनुदत्त की जानी चाहिए

(ङ) वह कालावधि जिसके लिए अनुज्ञप्तियां प्रवृत्त रहनी हैं

(डड) वह प्राधिकारी जिसको धारा 6 च के अधीन अपीलें की जा सकेंगी, ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर अपीलें की जाएगी, ऐसी अपीलों के सम्बन्ध में दी जाने वाली फीस और वे परिस्थितियां जिनके अधीन ऐसी फीस लौटाई जा सकेंगी

(डडक) विस्फोटकों की कुल मात्रा जिसे अनुज्ञप्तिधारी एक नियत अवधि में क्रय कर सकता है।

(डडडख) विस्फोटकों के विनिर्माण, परिवहन, आयात या निर्यात के सम्बन्ध में की गई सेवाओं के लिए विस्फोटक मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी किसी अधिकारी द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) वह छूट जो पूर्णतः या शर्तों के अधीन किन्हीं विस्फोटकों को या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इन नियमों के प्रवर्तन से दी जानी है।

5क. उन व्यक्तियों द्वारा जो कुछ विस्फोटकों का पहले से ही कारबार कर रहे हैं, अनुज्ञप्ति के बिना कुछ अवधि के लिए ऐसा कारबार करते रहना— धारा 5 में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारतीय विस्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी विस्फोटक के विनिर्माण, विक्रय, परिवहन आयात या निर्यात का कारबार कर रहा था, जिसके लिए भारतीय विस्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन के पूर्व उसके अधीन कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं थी, —

(क) ऐसे प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए; या

(ख) यदि तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे व्यक्ति ने विस्फोटक का ऐसा कारबार करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाने के लिए आवेदन किया है तो उसके आवेदन के अन्तिम रूप से निपटाए जाने तक, इन दोनों में से जो भी बाद में हो, ऐसे विस्फोटक के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति के बिना ऐसा कारबार करते रहने का हकदार होगा।

9. दुर्घटनाओं की जांच— (1) जहां कोई ऐसी दुर्घटना जैसी धारा 8 में निर्दिष्ट है किसी ऐसे स्थान, वायुयान गाड़ी या जलयान पर उसके पास या उसके सम्बन्ध में होती है जो संघ के किसी सशस्त्र बल के नियंत्रणाधीन है वहां उस दुर्घटना के कारणों की जांच संबंधित नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और जहां कोई ऐसी दुर्घटना किन्हीं अन्य परिस्थितियों में होती है वहां ऐसी जांच मानव जीवन की हानि वाले मामलों में मजिस्ट्रेट करेगा अथवा अन्य मामलों में कर सकेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन जांच करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वे सब शक्तियां होंगी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध की जांच करने में किसी मजिस्ट्रेट को होती है और धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिन्हें प्रयोग करना वह जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

(3) इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति दुर्घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों का कथन करते हुए केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट देगा।

(4) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

(क) इस धारा के अधीन जांचों की प्रक्रिया का विनियमन;

(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को इस बात के लिए समर्थ करना कि ऐसी जांच में वह उपस्थित हो या अपना प्रतिनिधित्व कराए;

(ग) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को इस बात की अनुज्ञा देना कि जांच में वह या उसका प्रतिनिधि किसी साक्षी की परीक्षा करें;

(घ) यह उपबन्धित करना कि जहां ऐसी किसी जांच में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक उपस्थित नहीं हैं या उसका प्रतिनिधित्व नहीं कराया गया है उसकी कार्यवाही की एक रिपोर्ट उसे भेजी जाएगी; (ङ) वह रीति जिसमें और वह समय जिसके अन्दर धारा 8 में निर्दिष्ट सूचनाएं दी जाएंगी विहित करना।

9क. अधिक गम्भीर दुर्घटनाओं की जांच— (1) जहां केन्द्रीय सरकार की, चाहे उसे धारा 9 के अधीन जांच की रिपोर्ट मिली हो या न मिली हो, यह राय है कि किसी ऐसी दुर्घटना के, जैसी धारा 8 में निर्दिष्ट है, कारणों की जांच के लिए अधिक औपचारिक प्रकार की जांच की जानी चाहिए थी वह मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को ऐसी जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और विधिक या विशेष जानकारी रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को भी ऐसी जांच में असेसरों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी। (2) जहां केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन जांच आदिष्ट करती है वहां वह यह भी निर्दिष्ट कर सकेगी कि धारा 9 के अधीन उस समय लम्बित कोई जांच बन्द कर दी जाए। (3) इस धारा के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की साक्ष्यों को हाजिर कराने और दस्तावेजों तथा भौतिक पदार्थों की पेशी विवश करने के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, और कोई जानकारी देने के लिए यथापूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 211 के अर्थ में वैसा करने के लिए विधिपूर्णतया आबद्ध समझा जाएगा। (4) इस धारा के अधीन जांच करने वाला कोई व्यक्ति धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग करना जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे। (5) इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति दुर्घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों का कथन करते हुए एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा और उसके साथ कोई ऐसे संप्रेक्षण होंगे जो वह या असेसरों में से कोई करना ठीक समझे और केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की गई रिपोर्ट को ऐसे समय पर और ऐसी रीति में प्रकाशित कराएगी जैसी वह ठीक समझे। (6) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन जांचों में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।

9ख. कतिपय अपराधों के लिए दण्ड— (1) जो कोई धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों का या उक्त नियमों के अधीन अनुदत्त की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में,— (क) किसी विस्फोटक का विनिर्माण, आयात या निर्यात करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगाय और (ख) किसी विस्फोटक को कब्जे में रखेगा, उसका प्रयोग करेगा विक्रय करेगा, या परिवहन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगाय और (ग) किसी अन्य मामले में ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) जो कोई धारा 6 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण करेगा, उसका कब्जा रखेगा या उसका आयात करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि

तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगाय और जल मार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में जलयान के स्वामी और मास्टर में से प्रत्येक या वायुमार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में उस वायुयान के जिसमें विस्फोटक आयात किया जाता ताता है, है, स्वामी और मास्टर में प्रत्येक युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई (क) धारा 6क के खण्ड (क) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात, निर्यात करेगा या उसका कब्जा रखेगा; या

(ख) उस धारा के खण्ड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विक्रय, परिदान या प्रेषण करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा; या

(ग) धारा 8 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी दुर्घटना की सूचना देने में असफल रहेगा वह—

(i) जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या

(ii) यदि दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई है तो कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

9ग. कम्पनियों द्वारा अपराध— (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझा जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

10. विस्फोटकों का समपहरण— जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध से दोषसिद्ध किया जाता है तब वह न्यायालय जिसके समक्ष वह दोषसिद्ध होता है निदेश दे सकेगा कि वह विस्फोटक या विस्फोटक के संघटक या वह पदार्थ (यदि कोई हो) जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया है, या उस विस्फोटक. संघटक या पदार्थ का कोई भाग, उन्हें अन्तर्विष्ट करने वाले पात्रों के सहित समपहृत हो जाएगा।

11. वायुयान या जलयान का करस्थम्— जहां किसी वायुयान या जलयान के स्वामी या मास्टर को उस वायुयान या जलयान से या के सम्बन्ध में किए गए किसी अपराध के जुर्माने के संदत्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णीत किया जाता है वहां न्यायालय जुर्माने का संदाय करने को विवश करने के प्रयोजनों के लिए अपनी किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त यह निदेश दे सकेगा कि—

(क) उस वायुयान या उसके फर्नीचर या फर्नीचर के उतने भाग को, या

(ख) जलयान और उसके टैकल, पोत सज्जा और फर्नीचर या उसके टैकल, पोत सज्जा और फर्नीचर के उतने भाग को, जितना जुर्माने के संदाय के लिए आवश्यक हो, करस्थम् और विक्रय द्वारा उद्गृहीत किया जाए।

12. दुष्प्रेरण और प्रयत्न— जो कोई इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए जाने का भारतीय दण्ड संहिता (1960 का 45) के अर्थ में दुष्प्रेरण करेगा या कोई ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में उसे करने की दशा में कोई कार्य करेगा वह ऐसे दण्डित किया जाएगा मानो उसने वह अपराध किया हो।

13. खतरनाक अपराध करने वाले व्यक्तियों को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति— जो कोई ऐसा कार्य करता हुआ पाया जाएगा जिसके लिए वह इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय है और जिसकी प्रवृत्ति किसी ऐसे स्थान में या उसके पास जहां कोई विस्फोटक विनिर्मित किया जाता है या स्टोर किया जाता है अथवा किसी रेल या पत्तन या किसी गाड़ी, वायुयान या जलयान में या उसके पास विस्फोट या अग्नि कारित करने की हैय वह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, या उस स्थान के अभिभोगी के अथवा अधिभोगी अभिकर्ता या सेवक या अभिभोगी द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा, या उस प्रशासन या पत्तन के कंजर्वेटर या विमान पत्तन के भारसाधक अधिकारी के किसी अभिकर्ता या सेवक या प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा वारंट के बिना पकड़ा जा सकेगा और उस स्थान से जहां वह गिरफ्तार किया जाता है हटाया जा सकेगा और सुविधानुसार यथाशीघ्र किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा सकेगा।

➤ **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908**
(The Explosive Substances Act 1908)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना— (1) यह अधिनियम विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत से बाहर भी भारत के नागरिकों को लागू होता है।

¹[**2. “विस्फोटक पदार्थ” की परिभाषा—** इस अधिनियम में —

(क) **“विस्फोटक पदार्थ”** पद के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए सामग्री, किसी विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोट कारित करने या कारित करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित या अनुकूलित या कारित करने में सहायता के लिए अनुकूलित कोई साधित्र, मशीन, उपकरण या सामग्री भी तथा ऐसे किसी साधित्र, मशीन या उपकरण का कोई भाग भी समाहित समझा जाएगा

(ख) पद **“विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ”** पद के अन्तर्गत अनुसन्धान पदार्थ (आर.डी. एक्स), पेन्टा इराइथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट (पी.ई.टी.एन.), हाई मेल्टिंग विस्फोटक (एच.एम.एक्स.), ट्रि नाइट्रो टोल्यान (टी.एन.टी.) लो टेम्प्रेचर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव (एल.टी.पी.ई.) कम्पोजिशन एक्सप्लोडिंग (सी.ई.) (1, 2, 6 फिनाइल मिथाइल नाइट्रेटामीन या टेट्राइल) ओसी.टी.ओ.एल. (हाई मेल्टिंग विस्फोटक और ट्रि नाइट्रो-टोल्यान का मिश्रण) प्लास्टिक विस्फोटक किरकी -1 (पी.ई.के.) और आर. डी. एक्स. 6 टी. एन. टी. और अन्य समरूप प्रकार के विस्फोटक तथा उनके संयोजन और उनके संयोजन से और विस्फोट करने के लिए दूरस्थ चालित उपकरण (रिमोट कन्ट्रोल) और अन्य कोई विस्फोटक और उसका संयोजन जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु विनिर्दिष्ट करे।

3. जीवन और सम्पत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए दण्ड—कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्ध और विद्वेषतः—

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति होने की संभाव्यता है, वह, चाहे किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, आजीवन या किसी कठोर कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से, दस वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(ख) किसी विशेष श्रेणी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति होने की संभाव्यता है, वह, चाहे किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, मृत्यु दण्ड या सश्रम आजीवन कारावास से और जुर्माने का भी दायी होगा।

➤ रेल अधिनियम, 1989

(The Indian Railway Act 1989)

150. रेलगाड़ी को विद्वेषतः ध्वस्त करना या ध्वस्त करने का प्रयत्न करना— (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस आशय से या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह रेल पर यात्रा करने वाले या विद्यमान किसी व्यक्ति का क्षेम संकटापन्न कर सकता है विधिविरुद्धतया, —

(क) किसी रेल के ऊपर या आर-पार कोई काष्ठ, पत्थर या अन्य पदार्थ या चीज रखेगा या फेंकेगा; या

(ख) किसी रेल की पटरी, स्लीपर या अन्य पदार्थ या चीज को उठायेगा, हटायेगा, ढीला करेगा या विस्थापित करेगा; या

(ग) किसी रेल के किन्हीं प्वाइंटों या अन्य मशीनरी को घुमाएगा, चलाएगा, खोलेगा या उसका दिशाभंग करेगा; या

(घ) किसी रेल पर या उसके निकट कोई सिग्नल या प्रकाश करेगा या दिखाएगा या उसे छिपाएगा या हटाएगा; या

(ङ) किसी रेल के संबंध में कोई अन्य कार्य या बात करेगा या करवाएगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो वह आजीवन कारावास से या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा:

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, जहां कोई व्यक्ति कठोर कारावास से दंडनीय है वहां ऐसा कारावास—

(क) प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, और (ख) द्वितीय या पश्चात्तर्ती अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।

बात.—(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंडों में से किसी खंड में निर्दिष्ट कोई कार्य या

(क) किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से विधिविरुद्धतया करेगा और ऐसे कार्य या बात के करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है; या

(ख) इस बात को जानते हुए विधिविरुद्धतया करेगा कि वह कार्य या बात इतनी आसन्नसंकट है कि पूरी संभाव्यता है कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर ही देगी या किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगी जिससे ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, तो वह मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा।

151. कतिपय रेल संपत्तियों का नुकसान या विनाश— (1) यदि कोई व्यक्ति, इस आशय से या इस ज्ञान से कि यह नुकसान संभाव्य है कि उससे उपधारा (2) में निर्दिष्ट रेल संपत्तियों में से किसी का नुकसान या नाश हो सकता है अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा या अन्यथा, ऐसी संपत्ति का नुकसान करेगा या ऐसी संपत्ति का नाश करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रेल संपत्तियां, रेल की पटरी, पुल, स्टेशनों के भवन और संस्थापन, सवारी डिब्बे या वैगन, लोकोमोटिव, सिग्नल, दूर संचार, विद्युतकर्षण और ब्लाक उपस्कर और ऐसी अन्य संपत्तियां हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार यह राय रखते हुए कि उनके नुकसान या नाश से किसी रेल के कार्यचालन को खतरा होना संभाव्य है, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

152. रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को विद्वेषतः उपहति पहुंचाना या उपहति पहुंचाने का प्रयत्न करना— यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के भागस्वरूप किसी चल स्टाक पर, उसके सामने, उसमें या उसके ऊपर कोई काष्ठ, पत्थर या अन्य पदार्थ या चीज इस आशय से या इस ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि ऐसे चल स्टाक में या पर या उसी रेलगाड़ी के भागस्वरूप किसी अन्य चल स्टाक में या पर विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा संकटापन्न हो सकती है, विधिविरुद्धतया फेंकेगा या गिराएगा या मारेगा तो वह आजीवन कारावास से, या कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

153. रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को जानबूझकर किए गए कार्य या लोप द्वारा संकटापन्न करना— यदि कोई व्यक्ति किसी रेल पर यात्रा करने वाले या विद्यमान व्यक्ति की सुरक्षा को किसी विधिविरुद्ध कार्य या जानबूझकर किए गए किसी लोप या उपेक्षा से संकटापन्न करेगा या करवाएगा या किसी रेल पर किसी चल स्टाक में बाधा डालेगा या डलवाएगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

➤ रेल सम्पत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966

(The Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966)

3. ¹[रेल सम्पत्ति की चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग या विधिविरुद्ध कब्जे के लिए शास्ति]—

¹[जो कोई किसी ऐसी रेल संपत्ति की चोरी करेगा या बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा या ऐसा करता पाया जाएगा) या यह साबित हो जाएगा कि उसका किसी ऐसी रेल सम्पत्ति पर कब्जा रहा है, जिसके बारे में यह समुचित सन्देह हो कि वह चुराई हुई है या विधि विरुद्धतया अभिप्राप्त की गई है, वः तक यह साबित न करे कि वह रेल सम्पत्ति उसके कब्जे में विधिपूर्वक आई थी—

(क) प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों के, दंडनीय होगा तथा विशेष और पर्याप्त कारणों, के, जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किए जाएंगे, अभाव में ऐसा कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माने एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा।

(ख) दूसरे या पश्चात्तर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और विशेष और पर्याप्त कारणों, के, जो न्यायालय के निर्णय से वर्णित किए जाएंगे, अभाव में, ऐसा कारावास दो वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा।

6. वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति— कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या बल—सदस्य, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और किसी वारंट के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध से संबद्ध रहा हो या जिसके विरुद्ध ऐसे संबद्ध रहने का समुचित संदेह हो।

10. तलाशी वारंट का जारी किया जाना (1) यदि किसी बल—अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई स्थान ऐसी रेल सम्पत्ति के, जो चुराई या विधिविरुद्धतया अभिप्राप्त की गई थी, निक्षेप या विक्रय के लिए उपयोग में लाया जाता है तो वह जिस क्षेत्र में वह स्थान स्थित हो उस पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट से तलाशी का वारंट जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) जिस मजिस्ट्रेट से उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जाए वह, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अपने वारंट द्वारा किसी भी बल—अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह— (क) ऐसी सहायता सहित, जैसी अपेक्षित हो उस स्थान में प्रवेश करेय

(ख) वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी लेय

(ग) उसमें पाई गई किसी ऐसी रेल सम्पत्ति पर कब्जा करे, जिसके बारे में उसे यह समुचित सन्देह हो कि वह चुराई हुई है या विधिविरुद्धता अभिप्राप्त की गई है; तथा

(घ) ऐसी रेल सम्पत्ति को किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या तब तक उस सम्पत्ति को उसी स्थान पर पहरें में रखे जब तक अपराधी मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाया जाता अथवा अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखवाए

Module- A- 11- RIOT (Day-14) (Session-84)
Paper- 04- Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023 (Session-02)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

4. एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति—जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।

दृष्टांत

(क) ख को पीटकर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात् कहा या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है।

(ख) क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर, जिसमें सम्पत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़ कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो।

(ग) क एक पत्र में, जो एक पत्र-व्यवहार का भाग है, अन्तर्विष्ट अपमान-लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान-लेख उद्भूत हुआ है, उससे सम्बन्ध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र-व्यवहार का भाग हैं जिसमें वह अन्तर्विष्ट, वे सुसंगत हैं तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान-लेख स्वयं अन्तर्विष्ट न हो।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या ख से आदिष्ट अमुक माल क को परिदत्त किया गया था। वह माल, अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। हर एक परिदान सुसंगत तथ्य है।

6. हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण— (1) कोई भी तथ्य, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गटित करता है, सुसंगत है।

(2) किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवाद्यक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात् का।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में आचरण शब्द के अन्तर्गत कथन नहीं आते, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किन्तु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण 2—जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है।

(क) ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की, कि व जानता था कि क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोकविदित करने की धनकी देकर क से धन उद्घापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है।

(ख) क बन्धपत्र के आधार पर रुपए के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसने बन्धपत्र लिखा। यह तथ्य सुसंगत है कि उस समय, जब बन्धपत्र का लिखा जाना अभिकथित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था।

(ग) विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि छ की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क की विल है। ये तथ्य सुसंगत हैं कि अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों की जांच की जिनसे अभिकथित विल के उपबन्धों का

सम्बन्ध है, कि उसने वह विल करने के बारे में अधिवक्ताओं से परामर्श किया और उसने अन्य विलों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने पसन्द नहीं किया।

(ड) क किसी अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात् क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबन्ध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हों या कि उसने साक्ष्य को नष्ट किया या छिपाया या कि उन व्यक्तियों की, जो साक्षी हो सकते थे, उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की या लोगों को उसके सम्बन्ध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, सुसंगत है।

(च) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। ये तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात् ग ने क की उपस्थिति में कहा कि शख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, और यह कि उसके तुरन्त पश्चात् क भाग गया, सुसंगत हैं।

(छ) प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति क दस हजार रुपए का देनदार है। यह तथ्य कि क नेगसे धन उधार मांगा और कि घनेग से क की उपस्थिति और श्रवणगोचरता में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम क पर भरोसा न करो क्योंकि वह ख के प्रति दस हजार रुपए का देनदार है, और कि क कोई उत्तर दिए बिना चला गया, सुसंगत हैं।

(ज) प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है। यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के उपरान्त, जिसमें क को चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, फरार हो गया और उस पत्र की अंतर्वस्तु, सुसंगत है।

(झ) क किसी अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात् क फरार हो गया या कि उस अपराध से अर्जित सम्पत्ति या सम्पत्ति के आगम उसके कब्जे में थे या कि उसने उन वस्तुओं को, जिनसे वह अपराध किया गया था, या किया जा सकता था, छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत है।

(ञ) प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात्संग किया गया। यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात् क ने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत हैं। यह तथ्य कि क ने परिवाद के बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। यद्यपि वह धारा 26 के खण्ड (क) के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 160 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है।

(ट) प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया। यह तथ्य कि अभिकथित लूट के अपराध के सम्बन्ध में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द, जिनमें वह परिवाद किया के तुरन्त पश्चात् क ने गया, सुसंगत हैं। यह तथ्य कि क ने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा गया है इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, यद्यपि वह धारा 26 के खण्ड (क) के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 160 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है।

7. विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य— वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक हैं या जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खण्डन करते हैं या जो किसी व्यक्ति या वस्तु का, जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं या वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ या जो उन पक्षकारों का सम्बन्ध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत हैं जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की विल है। अभिकथित विल की तारीख पर क की सम्पत्ति की और उसके कुटुम्ब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है।

(ख) क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान-लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात, जिसका अपमान-लेख होना अभिकथित है, सच है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और सम्बन्ध, जब अपमान-लेख प्रकाशित हुआ था, विवाद्यक तथ्यों की पुरःस्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। क और ख के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियाँ, जो अभिकथित अपमान-लेख से असंसक्त हैं, विसंगत हैं, यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था, यदि उससे क और ख के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ा हो, सुसंगत हो सकता है।

(ग) क एक अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य कि, उस अपराध के किए जाने के तुरन्त पश्चात् क अपने घर से फरार हो गया, धारा 6 के अधीन विवाद्यक तथ्यों के पश्चात्कर्त्ती और उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है। यह तथ्य कि उस समय, जब वह घर से चला था, क का उस स्थान में, जहां वह गया था, अचानक और अर्जेंट कार्य था, उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है। जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है सिवाय इसके कि जहां तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्जेंट था।

(घ) क के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए ग को उत्प्रेरित करने के कारण ख पर क बाद लाता है। क की नौकरी छोड़ते समय क से ग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि ख ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी प्रस्थापना की है। यह कथन ग के आचरण को, जो विवाद्यक तथ्य होने के रूप में सुसंगत है, स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है।

(ङ) चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई सम्पत्ति ख को देते हुए देखा जाता है, जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। ख उसे परिदान करते हुए कहता है कि मैं ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो। ख का कथन उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है।

(च) क बल्वे के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के भागे चलना साबित हो चुका है। इस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाजें सुसंगत हैं।

8. सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें— जहां कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात् जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही, की या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था।

दृष्टांत

यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है।

ख ने उस षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ यूरोप में आयुध उपाप्त किए, ग ने वैसे ही उद्देश्य से कोलकाता में धन संग्रह किया, घ ने मुम्बई में लोगों को उस षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया, ङ ने आगरा में उस उद्देश्य के पक्षपोषण में लेख प्रकाशित किए और ग द्वारा कोलकाता में संगृहीत धन को च ने दिल्ली से छ के पास सिंगापुर भेजा। इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का वृत्तान्त देने वाले झ द्वारा लिखित पत्र की अंतर्वस्तु में से हर एक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा उसमें क की सह अपराधिता साबित करने के लिए भी सुसंगत है, चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो और चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए अपरिचित रहे हों और चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व या उसके षड्यंत्र से अलग हो जाने के पश्चात् घटित हुए हों।

39. विशेषज्ञों की रायें— (1) जब कि न्यायालय की विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला या किसी अन्य क्षेत्र की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली-चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो तब

उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र में या हस्तलेख या अंगुली-चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में, विशेष कुशल व्यक्तियों की रायें सुसंगत तथ्य हैं और ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई। जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक कार्य करने के समय चित्त-विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या क द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्त-विकृत सामान्यतः दर्शित होती है तथा क्या ऐसी चित्त-विकृत लोगों को उन कार्यों की प्रकृति, जिन्हें वे करते हैं, या वह कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हैं, जानने में प्रायः असमर्थ बना देती है।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखी गई थी। एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका क द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृत है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थीं।

(2) जब न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्ररूप में पारेषित या भंडारित किसी सूचना के संबंध में कोई राय बनानी हो तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79क में निर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिकी साक्ष्य परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए इलैक्ट्रॉनिकी साक्ष्य परीक्षक एक विशेषज्ञ होगा।

54. मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना— दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे।

55. मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना— मौखिक साक्ष्य, समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हों, प्रत्यक्ष ही होगा, यदि यह—

(i) किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा;

(ii) किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना;

(iii) किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया;

(iv) किसी राय के, या उन आधारों के, जिन पर वह राय धारित है, बारे में है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है:

परन्तु विशेषज्ञों की रायें, जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त हैं, और वे आधार, जिन पर ऐसी रायें धारित हैं, यदि रचयिता मर गया है, या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलम्ब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे:

परन्तु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा।

63. इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता— (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कंप्यूटर या किसी संचार-युक्ति या अन्यथा द्वारा भंडारित, अभिलिखित या किसी इलैक्ट्रॉनिकी प्ररूप द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया या अर्ध-चालक मेमोरी में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर निर्गम कहा गया है), तब एक दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा।

(2) कंप्यूटर निर्गम की बाबत उपधारा (1) में वर्णित शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्—

(क) सूचना से युक्त कंप्यूटर निर्गम, कंप्यूटर या संसूचना युक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सृजन, सूचना भंडारित करने या प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर या संसूचना युक्ति का उपयोग किया गया था।

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की जिससे इस प्रकार अंतर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में नियमित रूप से भरी गई थी।

(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में आद्योपांत, कंप्यूटर या संचार-युक्ति समुचित रूप से कार्य कर रही थी या यदि नहीं तो, उस अवधि के उस भाग की बाबत, जिसमें कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि में प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती होय और

(घ) इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में भरा गया था।

(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के सृजन, भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य नियमित रूप से एक या अधिक कंप्यूटरों या संचार-युक्ति द्वारा नियमित रूप से निष्पादित किया गया था, चाहे यह—

(क) एकल ढंग में; या

(ख) किसी कंप्यूटर प्रणाली पर; या

(ग) किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर; या

(घ) सूचना को समर्थ बनाने, सूचना का सृजन या उपलब्ध कराने वाले, प्रक्रमण और भंडारण करने वाले कंप्यूटर साधन पर; और

(ङ) किसी मध्यवर्ती द्वारा,

उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों या संचार-युक्तियों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक कंप्यूटर या संचार-युक्ति समझा जाएगा, और इस धारा में किसी कंप्यूटर या संचार-युक्ति के प्रति निर्देशों का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा।

(4) किन्हीं कार्यवाहियों में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र को प्रत्येक बार इलैक्ट्रॉनिकी अभिलेख के साथ वहां प्रस्तुत किया जाएगा जहां इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है, अर्थात्—

(क) विवरण से युक्त इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था;

(ख) उस इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन में अंतर्वलित किसी युक्ति को ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का कंप्यूटर या उपधारा

(3) के खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी संचार-युक्ति द्वारा उत्पादन किया गया था;

(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो कंप्यूटर या संचार-युक्ति या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध (जो भी समुचित हों) का भारसाधक हो और कोई विशेषज्ञ हो, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा, और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) सूचना किसी कंप्यूटर या संचार-युक्ति को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया होय

(ख) कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर या संचार-युक्ति द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट किसी समुचित उपस्कर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से हो।

142. साक्षियों की परीक्षा— (1) किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी।

(2) किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा दी गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी।

(3) किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनःपरीक्षा कहलाएगी।

143. परीक्षाओं का क्रम— (1) साक्षियों से प्रथमतः मुख्यपरीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो) प्रतिपरीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो) पुनःपरीक्षा होगी।

(2) मुख्यपरीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से सम्बन्धित होगी, किन्तु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, जिनकी साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है।

(3) पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी, जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों, तथा यदि पुनःपरीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।

Module- A- 11- RIOT (Day-14) (Session-84)

Paper- 05A- Forensic Science (Session-02)

विस्फोटक

Explosive

विस्फोटक का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। पूर्व में भी मानव जीवन एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने हेतु विस्फोटक का प्रयोग किया जाता था। हमारे देश में सेना तथा विस्फोटक जिनका व्यवसायिक उत्पादन होता है को चोरी छिपे प्राप्त कर देशी तरीके से बम बनाकर अनुचित प्रयोग होता रहा है। उग्रवादियों की गतिविधि बढ़ रही है। उग्रवादी संगठन विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग कर तोड़फोड़ की कार्यवाही, विशिष्ट एवं आम लोगों पर हमला कर, समाज में अशान्ति फैलाते हैं। अतः पुलिस जिस पर समाज में शान्ति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेवारी है को विस्फोटक के संबंध में जानकारी रखना आवश्यक है।

विस्फोटक (Explosive)

विस्फोटक, तरल, ठोस या गैसीय अवस्था में ऐसे पदार्थ होते हैं, जिसमें गर्मी, घर्षण या आघात द्वारा उचित शुरुआत (प्रज्वलन) मिलने पर यह तुरंत अपने चारों ओर के घेरे में बहुत तीव्र दबाव उत्पन्न करता है। यह तीव्र दबाव उस पदार्थ के रासायनिक विखण्डन के कारण गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने से उत्पन्न होती है।

विस्फोटक (Explosion)

वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में तीव्र दहन को विस्फोट (Explosion) कहते हैं। विस्फोटक पदार्थ बहुत तीव्र गति से विखण्डित होकर काफी मात्रा में गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसकी गति 3 से 300 मीटर प्रति सेकेंड है। विखण्डित होने पर ये गर्मी, प्रकाश और आवाज के रूप में बदलते हैं। गैसों का फैलाव अपने घेरे को तोड़ देता है। प्रभावकारी विस्फोटक के लिए विस्फोटक पदार्थ का किसी बर्तन (Container) से घिरा या बंद होना आवश्यक है।

डिटोनेटर एवं डिटोनेशन (Detonator & Detonation)

विस्फोटक पदार्थ के अणुओं का तीव्र विखण्डन जिसके फलस्वरूप प्रबल शक्ति उत्पन्न होता है, डिटोनेशन कहलाता है। विखण्डन के साथ साथ ही, गर्मी, आवाज, चमक, एवं तीव्र चोट उत्पन्न होती है। डिटोनेशन में बाहरी अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता है। डिटोनेशन की गति 3000 मीटर से 8000 मीटर प्रति सेकेंड है। टी०एन०टी०, पी०ई०टी०एन०, जिलेटिन आदि डिटोनेटर हैं, जिनका उपयोग डिटोनेशन के लिए किया जाता है।

विस्फोटक के प्रकार

विस्फोटक को दो वर्ग में विभाजित किया गया है।

(i) **निम्न विस्फोटक (Low Explosive)**— निम्न श्रेणी के विस्फोटक सिर्फ विस्फोट करते हैं। इन्हें विस्फोट पैदा करने के लिए गर्मी, घर्षण या चमक आदि बाहरी बल की आवश्यकता होती है इस श्रेणी के विस्फोटक को डिटोनेटर की आवश्यकता नहीं होती है। गन पाउडर आदि निम्न श्रेणी के विस्फोटक हैं।

(ii) **उच्च विस्फोटक (High Explosives)**— उच्च श्रेणी के विस्फोटक को दो भागों में बांटा गया है—

(1) **प्राइमरी विस्फोटक:** इनको विस्फोट करने में लिया गया घर्षण या चमक आदि की आवश्यकता होती है। इनके उदाहरण मरकरी, फिलामिनेंट, लेड एजाड हैं।

(2) **सेकेंडरी विस्फोटक:** इनके विस्फोट के लिए डिटोनेटर की आवश्यकता होती है उदाहरण—RDX] TNT] डायनामाइट आदि

विभिन्न सामान्यतया उपयोग किये जाने वाले विस्फोटक

विभिन्न प्रकार के विस्फोटक जिनका आम तौर पर उपयोग किया जाता है एवं पुलिस कोघटनास्थल एवं अन्य स्थानों में प्रदर्श के रूप में मिलता है, निम्न प्रकार के हैं।

- **गन पाउडर (Gun Powder)**— पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एवं गंधक का मिश्रण 75रू15रू10 के प्रतिशत में गन पाउडर कहलाता है। यह काला भूरा रंग का हो सकता है। यह बेलन के आकार का, वर्गाकार एवं पाउडर के रूप में हो सकता है। यह घर्षण एवं चिंगारी (आग) के प्रति बहुत ही संवेदनशील है।

- **शॉटगन पाउडर या धूम रहित पाउडर (Smokeless Powder)**— ये ऐसे विस्फोटक पदार्थ हैं जिनका उपयोग कारतूस से प्रोपेलेंट (Propellant) के रूप में किया जाता है। ये आम तौर पर बेलनाकार, दानेदार या छिलके के रूप में सफेद, गुलाबी, पीला या काला रंगों में पाए जाते हैं। इनको चिंगारी और आग की लौ से चार्ज किया जा सकता है। ये मुख्यतः नाइट्रोसेलुलोज एवं नाइट्रोग्लिसरीन के मिश्रण हो सकते हैं या अलग-अलग भी पाये जाते हैं।

- **गन कॉटन (Gun Cotton)**—नाइट्रोसेलुलोज का 15 प्रतिशत नाइट्रोजन के साथ मिश्रण, गन कॉटन कहलाता है। मुख्यतः गन कॉटन प्राइमर कार्ड के आकार का जिसके बीच में छेद होता है एवं गीला गन कॉटन—ईट के आकार का जिसके बीच में सूखा गन कॉटन भरने के लिए छेद बना होता है, पाया जाता है।

- **ब्लास्टिंग विस्फोटक (Blasting Explosive)**— इनका विभिन्न व्यापारिक उत्पादन, विभिन्न कम्पनियों द्वारा किया जाता है जिसका प्रयोग स्थान विशेष पर विशेष कार्य के लिए होता है। ये साधारणतः नाइट्रोग्लिसरीन एवं नाइट्रोसेलुलोज का मिश्रण हैं। अमोनिया नाइट्रेट के बेलन के आकार में बनाकर भी इसका उपयोग ब्लास्टिंग के लिए विभिन्न कम्पनी उत्पादन करते हैं। जिलेनाईट, डाईनामाईट ब्लास्टिंग जेलेटीन आदि इसके उदाहरण हैं। इसमें विस्फोट का प्रकार एवं कम्पनी का नाम आदि पैकिंग में छपा रहता है खदानों में विस्फोट कर प्रत्थर या खनिज तोड़ने में प्रयोग होता है।

- **टी०एन०टी० (T-N-T-)**— ट्राई नाइट्रोटॉल्विन एक अलग रासायनिक यौगिक है जो बहुत ही उच्च श्रेणी का विस्फोटक है। यह भूरे रंग का होता है और इसका प्रयोग, हवाई बम और ग्रेनेड आदि के भरने में होता है। यह घर्षण एवं झटके के प्रति बहुत ही संवेदनशील है।

- **पी०ई०टी०एन० (P-E-T-N-)**— पेंटा इरीथीटोन टेट्रा नाइट्रेट बहुत ही उच्च श्रेणी का विस्फोटक है। यह सफेद रंग के पाउडर के रूप में मिलता है एवं टी०एन०टी० से ज्यादा संवेदनशील है। इसका प्रयोग ब्लास्टिंग में प्रयोग किये जाने वाले डिटोनेटिंग फ्यूज के रूप में किया जाता है।

- **ट्रेट्राईल (Tetryl)**—यह भी उच्च श्रेणी का विस्फोटक है जिसे कम्पोजिशन एक्सप्लोसिव (Composition explosive) भी कहा जाता है। यह हल्के पीले रंग का पाउडर होता है जिसका प्रयोग बूस्टर (Booster) में किया जाता है।

- **आरडीएक्स (R-D-X-) या साइक्लोनाईट (Cyclonite)**— साइक्लोनाईट बहुत ही शक्तिशाली एवं विध्वंसक है। इसे आर०डी०एक्स० के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग रक्षा सेना द्वारा उच्च विस्फोटक चार्ज के लिए टी०एन०टी० के साथ मिलाकर किया जाता है।

- **प्लास्टिक विस्फोटक (Plastic Explosive)**—प्लास्टिक विस्फोटक में साधारणतः कम्पोजिशन एक्सप्लोसिव (C-E-) या आर०डी० एक्स० को रबर या प्लास्टिक के शीट के साथ मिलाकर उसी के रूप में लाया जाता है। यह प्लास्टिक शीट या रबड़शीट के रूप में मिल सकता है।

प्लास्टिक एक्सप्लोसिव किरकी, पीईके (P-E-K-) प्लास्टिक विस्फोटक का उदाहरण है जिसका प्रयोग सेना द्वारा विस्फोट हुये सेल को उड़ाने के लिए किया जाता है।

- **परकशन टोपी (Percussion Cap)** – यह एक छोटा तांबा या पीतल के टोपी के रूप में रहता है जिसके अंदर मरकरी फलमिनेट एवं पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण भरा रहता है। इसका प्रयोग शॉटगन के कारतूस एवं राईफल के बुलेट में किया जाता है। यह कारतूस के सबसे पीछे भाग में रहता है।

- **सेफ्टी फ्यूज (Safety Fuse)**– विस्फोटक पदार्थों को अग्नि द्वारा चार्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गन पाउडर या बारूद को जूट या सूती रस्सी में बीच में लपेट कर ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग की जाती है ताकि पानी का असर नहीं हो। इसकी जलने की गति 10010 सेकेंड प्रति मिनट है। यह विभिन्न रंगों में विभिन्न प्रकार के पाये जाते हैं।

- **डिटोनेटर (Detonator)** डिटोनेटर की बनावट धातु के छोटे करीब 3" लम्बी पेन्सिल के व्यास का कैपसूल की तरह होती है जिसके अंदर मरकरी फलमिनेट लेड एलाईड एवं स्टीफिनेट, विस्फोटक के साथ भरा रहता है। इसे बिजली द्वारा संचालित किया जाता है। जिसे इलेक्ट्रिक डिटोनेटर कहा जाता है। कैपसूल से बिजली के पतले पतले दो तार निकले होते हैं। साधारण डिटोनेटर में सेफ्टी फ्यूज का प्रयोग होता है।

देशी बम एवं अन्य तोड़फोड़ के उपकरण

विभिन्न प्रकार के बम जिनका प्रयोग गलत उद्देश्य से जान माल को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसी विस्फोटक पदार्थ को किसी बर्तन के कंटेनर में रखकर उसे चलाने के लिए किसी उचित, चालू करने के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। घटनास्थल एवं उसके आस पास पुलिस को आम तौर पर निम्नलिखित प्रकार के देशी बम या स्वयं निर्मित बम मिल सकते हैं।

बम या विस्फोटक पदार्थ के संबंध में यह बात अति महत्वपूर्ण है कि जब तक बम या उस संदिग्ध चीज की पूर्ण जानकारी या प्रमाण नहीं मिल जाये कि वह विस्फोटक पदार्थ नहीं है, उसे अत्यन्त ही खतरनाक समझा जाना चाहिए।

(i) हाथ से फेंके जाने वाले देशी बम—अधिकांशतः इसी प्रकार के देशी बम का प्रयोग अपराधकर्मियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के देशी बम में विस्फोटक पदार्थों के रूप में पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर एवं आर्सेनिक सल्फाईड का मिश्रण 75रु15रु10 के प्रतिशत में प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम कागज के किसी बड़े टुकड़े में बम की शक्ति एवं आकार के अनुसार उक्त विस्फोटक मिश्रण को लिया जाता है। उसके साथ साथ पत्थर के टुकड़े, कांटी या छोट-छोटे लोहे के टुकड़े, शीशे के टुकड़े आदि को लेकर उसे मजबूत कपड़ा या कागज में अच्छी तरह लपेटा जाता है। लपेटने के पश्चात् उसे अच्छी तरह मजबूती से जूट की रस्सी से कसकर बांधा जाता है। इस प्रकार एक गोले के रूप में यह 250 ग्राम वजन से 400 ग्राम के बीच का तैयार होता है। इसमें किसी प्रकार के बाहरी फ्यूज या डिटोनेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बम घर्षण एवं चोट के कारण विस्फोट कर जाते हैं। विस्फोट होने के कारण आस पास के लोग जिससे उनपत्थर, लोहे, शीशे आदि के टुकड़े द्वारा जो विस्फोट के साथ साथ तेज गति के चारों ओर फैलते हैं जिससे जख्मी हो जाते हैं। आजतक इस प्रकार के बम जर्दा के टीन के डिब्बे एवं अन्य प्रकार के डिब्बे में लोहे के पतले तार से बांधकर बनाये जाते हैं।

घटनास्थल पर यदि उस प्रकार के बम पाये जाते हैं तब उनको सावधानीपूर्वक जप्त किया जाना चाहिए। उस बम को पहले सावधानीपूर्वक पानी से अच्छी तरह गीला करके बालू एवं पानी भरे हुए बर्तन में रखकर हटाया जा सकता है।

(ii) धातु के देशी ग्रेनेड या बम— इस प्रकार के देशी बमों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये भिन्न-भिन्न आकार के पाये जा सकते हैं तथा चालू करने या विस्फोट करने के लिए विभिन्न प्रकार के फ्यूज या डिटोनेटर का प्रयोग किया जाता है। ढलवा लोहे या अल्युमिनियम के मिश्रित धातु के गोलाकार खोल को बाहरी आवरण के रूप में व्यवहार किया जाता है जिसके बीच में फ्यूज डालने के लिए एक छिद्र लगा होता है। जहाँ भी इस प्रकार के बम में सेप्टी फ्यूज या बिजली के तार निकले मिलते हैं, वैसी स्थिति में समझा जाना चाहिए कि उसमें उच्च श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया गया है। किसी भी प्रकार का डायनामाईट, ब्लास्टिंग जिलेटिन या विशेष प्रकार के जिलेटिन को पानी के मोटे जी आई पाईप के खोल में भरकर दोनों किनारों को स्क्रू से बंद कर दिया जाता है। इसी फ्यूज के द्वारा इस प्रकार के बम को विस्फोट कराया जाता है।

(iii) पोजीशन बम (Position Bomb)—कुछ प्रकार के बमों को इस प्रकार बनाया जाता है कि जैसे ही उनको उठाया जाय या उनकी स्थिति में परिवर्तन किया जाये तो वह विस्फोट कर जाते हैं। इसके अन्दर विस्फोटक पदार्थ को चार्ज करने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। बिजली के सर्किट (Circuit) को पूरा करने के लिए स्विच के रूप में पारा का प्रयोग किया जाता है।

(iv) टाईम बम (Time Bomb)— टाईम बम की बनावट इस प्रकार होती है कि वह निश्चित किये गये समय में ही विस्फोट करता है। विस्फोटक पदार्थ को किसी पैकैट या चीज में भरकर बिजली के करंट बैटरी द्वारा संचालित कर, स्विच के रूप में घड़ी के उपयोग से विस्फोट कराया जाता है। इस प्रकार के बम से घड़ी के टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ती है। कुछ टाईम बम में घड़ी के स्थान पर रासायनिक क्रिया जो निश्चित समय में होती है, का उपयोग विस्फोटक पदार्थ को चार्ज करने के लिए किया जाता है।

(v) चिट्ठी बम (Letter Bomb)—चिट्ठी बम की बनावट, साधारण चिट्ठी या छोटे पार्सल के आकार की होती है। इसकी यांत्रिक बनावट इस प्रकार होती है कि चिट्ठी या पार्सल पाने वाला व्यक्ति जैसे ही इसको खोलता है इसमें विस्फोट हो जाता है। यह देखने में साधारण डाक के लिफाफे की तरह होता है, परन्तु मोटाई चिट्ठी से कुछ अधिक लगभग 3 एम०एम० होता है। इसके अंदर उच्च श्रेणी का विस्फोटक प्रयोग किया जाता है। लगभग 80 ग्राम वजन का उच्च श्रेणी का विस्फोटक पदार्थ 60 से०मी० दूरी तक विस्फोट करके हानि पहुंचाता है। कुछ चिट्ठी बम में परतदार प्लास्टिक विस्फोटक (आर०डी०एक्स०) पदार्थ 60 से०मी० दूरी तक विस्फोट करके हानि पहुंचाता है। कुछ चिट्ठी बम में परतदार प्लास्टिक विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है। चिट्ठी के आकार का पतला कार्ड बोर्ड का टुकड़ा लेकर विस्फोटक को उसमें प्लास्टिक या रबड़ के साथ मिलाकर परतदार बनाकर बिछा दिया जाता है। बीच में लम्बी लम्बी धारी बनाकर डिटोनेटर फिट कर पेंसिल बैटरी या बटन बैटरी से विस्फोटक को चार्ज किया जाता है। स्विच के रूप में स्प्रिंग लीवर का उपयोग होता है। जैसे ही चिट्ठी या पार्सल खोला या फाड़ा जाता है स्प्रिंग का खिंचाव ढीला होने से सर्किट पूरा हो जाता जो डिटोनेटर को चार्ज कर विस्फोट पैदा कर देता है।

(vi) किताब बम (Book Bomb)—इस प्रकार के बम में किताब के अंदर बम को छिपाकर रखा जाता है। इसकी बनावट इस प्रकार होती है कि जैसे ही किताब के ऊपर के कभर को उठाया जाता है, उसमें विस्फोट हो जाता है। किताब बम में उच्च श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर एवं टार्च के बैटरी का प्रयोग किया जाता है।

(vii) ट्रांजिस्टर बम (Transister Bomb)—यह देखने में साधारण ट्रांजिस्टर रेडियो की तरह ही होता है। साधारणतया साधारण ट्रांजिस्टर रेडियो के अन्दर, उच्च श्रेणी के विस्फोटक, इलेक्ट्रीक डिटोनेटर को फिट कर सर्किट के लिए बैट्री, टार्च की बैट्री का प्रयोग किया जाता है। बैट्री का स्विच ट्रांजिस्टर के ऑफ ऑन स्विच से जुड़ा होता है। जैसे ही ट्रांजिस्टर के स्विच को चालू किया जाता है, उसमें

विस्फोट हो जाता है। इस प्रकार के बम का उपयोग उग्रवादी, सार्वजनिक स्थल, पार्क, रेल, बस आदि में करते हैं।

(viii) आग लगने के उपकरण— निम्नलिखित प्रकार के ज्वलनशील उपकरणों का उपयोग अपराध कर्मियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है

• **मोलटोव कॉक टेल**—एक खाली शीशे के बोतल को लेकर उसमें थोड़ा गन्धक का अम्ल लिया जाता है। उस बोतल को पेट्रोल से भरकर उसे कॉक (डॉट) द्वारा अच्छी तरह बंद कर देते हैं। इसके पश्चात् गाढ़ी लेई, पोटेशियम क्लोरेट, चीनी और गोद मिलाकर, उसके ऊपर लपेट देते हैं। लेई जब अच्छी तरह सूख जाती है तब उसे कागज से अच्छी तरह लपेट कर रखा जाता है। इस प्रकार तैयार बोतल को कहीं ठोस आधार पर फेंकने से वह टूट जाती है एवं बोतल में उपस्थित अम्ल का मेल पोटेशियम क्लोरेट और चीनी के मिश्रण से होने पर उसमें विस्फोट होकर पेट्रोल में आग पकड़ लेती है।

इस प्रकार की बोतल को कहीं भी जब्त करने पर उसे तुरन्त पानी में डाल देना चाहिए। पानी में डालने से चीनी और क्लोरेट का घोल, पानी में घुल जाता है और उपकरण को अप्रभावी बना देता है।

• **रासायनिक उपकरण**—मोलटोव कॉक टेल की तरह ही शीशे के बल्ब में ग्लिसरीन भरकर उसे अच्छी तरह बंद कर देते हैं। ऊपरी सतह पर गोंद की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट चिपकाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का ग्लिसरीन से सम्पर्क होता है, उसमें तुरन्त आग पकड़ लेती है। इस प्रकार के उपकरण का उपयोग ज्वलनशील पदार्थों में आग लगाने के लिए किया जाता है।

(ix) एसिड बल्ब—गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि तेज अम्ल को बिजली के बल्ब में भरकर लोगों के ऊपर फेंका जाता है। इसमें किसी विस्फोटक का उपयोग नहीं किया जाता है। किसी के ऊपर फेंकने से बल्ब फूटकर एसिड का सम्पर्क शरीर के चमड़े से होने पर उसे जला देता है। एसिड बल्ब को जप्त करने पर उसे किसी बर्तन में पानी भरकर डुबोकर रखना चाहिए। धातु के बर्तन में नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। विशेषज्ञ के पास पानी से भरे बर्तन में डालकर भेजा जाना चाहिए।

(x) सेना के गोला बारूद सेना के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले बम एवं अन्य आयुध उसकी बनावट एवं सेना द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले चिन्हों द्वारा पहचाने जाते हैं। आमतौर पर पुलिस को, सेना का ग्रेनेड एवं रायफल ग्रेनेड उपयोग में लाये जाने वाले चिन्हों द्वारा पहचाने जाते हैं। आमतौर पर पुलिस को, सेना का ग्रेनेड एवं रायफल ग्रेनेड नं० ३६ स्थल पर प्राप्त होता है। इस प्रकार का ग्रेनेड धातु के कटावदार खोल में टी० एन० टी० (उच्च श्रेणी का विस्फोटक) भरकर तैयार किया जाता है नहीं फटे हुए ग्रेनेड के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए अन्यथा यह खतरनाक हो सकता है। सेना द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले बम या आयुध मिलने पर उसकी जाँच एवं निष्क्रिय करने के लिए सेना के विस्फोटक दस्ते को सूचित कर उनकी सहायता ली जा सकती है।

घटनास्थल पर पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विस्फोटक

विस्फोटक पदार्थ, ठोस, तरल एवं गैस तीनों अवस्था में हो सकते हैं। निम्नलिखित प्रकार के विस्फोटक पदार्थ आम तौर पर विभिन्न घटनास्थल पर मिल सकते हैं—

- A. ब्लास्टिंग विस्फोटक : जलरोधी कागज या प्लास्टिक में लपेटा हुआ बेलनाकार, जिसमें कम्पनी का नाम एवं व्यापारिक चिन्ह अंकित रहता है। जैसे जिलेनार्ड डायनामाईट आदि। इनका व्यापारिक उत्पादन होता है।
- B. गन पाउडर : कालामूरा या मटमैला रंग का बेलनाकार, दानेदार या पाउडर के रूप में।
- C. गन कॉटन : देखने में साधारण रूई की तरह होता है।
- D. फलमिनेट्स : सफेद या भूरे रंग के पाउडर के रूप में अत्यंत ही खतरनाक हो सकते हैं।
- E. पिकरिक एसिड एवं पिकरेट्स : पीला या सफेद खादार।

- F. एमोनल : चांदी की तरह चमकदार भूरा पाउडरा
- G. क्लोरेट या पोटेश : सफेद खादार या पाउडर।
- H. आरसेनिक सल्फाईड : पीला या नारंगी रंग का पाउडर।
- I. डिटोनेटर एवं टोपी : धातु की पतली नली जिसमें फ्यूज या दो बिजली के तार निकले रहते हैं।
- J. बम : बोतल जिसमें विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ है, टिन के डिब्बे में पतले पतले तार लपेटे हुए, नारियल के खोल में लोहे के पाईप में सुतली या कपड़े में लपेटे हुए, गोलाकार रूप में।
- K. बम के अवशेष : फटे हुए बम के खोल के टुकड़े, सुतली या तार के टुकड़े, अधजले कागज के टुकड़े, लोहा, शीशा, कांटी या पत्थर के टुकड़े जले, अधजले बारूद के कण, आदि अवशेष के रूप में प्राप्त हो सकते हैं।

विस्फोटक की जप्ती (Seizure of Explosives)

किसी भी स्थान पर विस्फोटक पाये जाने की सूचना मिलने पर, पुलिस को अविलम्ब वहाँ पहुँचकर आसपास के लोगों को सावधानीपूर्वक वहाँ से दूर हटा देना चाहिए। उस स्थान को आरक्षी बल की सहायता से घेरकर सुरक्षित रख लेना चाहिए। तत्पश्चात् खोजने की कार्यवाही की जानी चाहिए। विस्फोटक पदार्थों को उठाने एवं हटाने के समय आम लोगों को दूर रखा जाना चाहिए। गंभीर विस्फोटक के काण्डों में घटनास्थल की जाँच के लिए विस्फोटक नियंत्रक (Controller of explosive) या विस्फोटक विशेषज्ञों को सूचित कर उनकी सहायता ली जा सकती है।

विस्फोटक विशेषज्ञ, विस्फोटक पदार्थों की जप्ती तथा उनको निष्क्रिय बनाने में पुलिस की सहायता कर सकते हैं।

यदि अधिक मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जप्त किये जाते हैं तब उसे आबादी से दूर निर्जन स्थान में सुरक्षा के कड़े प्रबंध के साथ निगरानी में रखा जाना चाहिए।

यदि जब्त किया गया विस्फोटक पदार्थ ठोस अवस्था में है, तब उसकी थोड़ी मात्रा साफ बोतल में लेकर उसमें पानी भरकर उसे कार्क की सहायता से अच्छी तरह बंद कर दे। लकड़ी का छोटा बक्सा लेकर उसमें कॉटन वूल से बोतल को अच्छी तरह पैक कर जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा सकता है।

यदि जब्त किया गया विस्फोटक द्रव या तरल रूप में है, तब उसमें से 10 से 5 एम०एल० निकालकर एक साफ शीशे के बोतल में लेकर कार्क से बंद कर लकड़ी के छोटे पैकिंग बॉक्स में कॉटन वूल की सहायकता से पैक कर विशेषज्ञ के पास जाँच के लिए भेजा जाना चाहिए।

यदि जब्त किया गया विस्फोटक पदार्थ, ब्लास्टिंग विस्फोटक डिटोनेटर, परकसन कैप, फ्यूज, कारतूस, पटाका, रॉकेट आदि है। तब इन्हें किसी भी अवस्था में डाक द्वारा जाँच के लिए विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को विशेषज्ञ के पास जाँच के क्रम में भेजने के लिए, विशेष दूत का हमेशा उपयोग करना आवश्यक है। उपरोक्त प्रकार के विस्फोटकों के कुछ नमूने निकालकर उन्हें लकड़ी के पैकिंग बॉक्स में पैक कर जाँच के लिए भेजना चाहिए। पैकिंग के समय यह ध्यान में रखना है कि वैसे विस्फोटक जैसे डिटोनेटर एवं डायनामाईट या फ्यूज आदि एक साथ पैक नहीं हो, क्योंकि दोनों के संबंध में भयानक विस्फोट हो सकता है।

घटनास्थल पर बम, मिलिट्री ग्रेनेड, सोडावाटर बोतल, टीन के डिब्बे, नारियल के खोल, पाईप एवं सुतली के गोलाकार बॉल के रूप में मिल सकते हैं। जब तक उस बम के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाये उसे किसी भी हालत में उठाया या हटाना नहीं चाहिए। इस प्रकार के देशी बम की पूरी जानकारी लेकर उसे सावधानीपूर्वक पहले उसमें पानी डालकर अच्छी तरह गीला करने के पश्चात् सावधानीपूर्वक उठाकर पानी एवं बालू से भरे बर्तन में रखकर कहीं ले जाया जा सकता है। किसी भी

प्रकार के बम को जब तक निष्प्रभावी या निष्क्रिय नहीं किया गया है, उसे जाँच हेतु किसी भी परिस्थिति में विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा जाना चाहिए।

यदि विशेष प्रकार के विस्फोटक पदार्थ की जानकारी मिलती है जिसमें बिजली के डिटोनेटर या फ्यूज वायर आदि का प्रयोग किया गया है तब विस्फोटक नियंत्रक एवं विशेषज्ञ को बुलाकर उसे निष्क्रिय कराना चाहिए। स्वयं छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। फास्फोरस मिलने पर पानी भरे बोतल में डालकर पैक कर भेजा जाना चाहिए।

गैसों को साधारणतः किसी सिलेंडर में ही पाया जाता है। जप्त सिलेंडर को आग से दूर ठण्डे स्थान पर रखना चाहिए और विस्फोटक नियंत्रक को बुलाकर उसकी जाँच करायी जा सकती है।

आर०डी०एक्स (Research & Development Explosive)—इसका रासायनिक नाम ट्राइसाइक्लो मिथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन है। यह बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक है। इसे हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। यह नाइट्रीन विस्फोटक है। इसमें तीन नाइट्रोजन परमाणु एक चक्र में होते हैं तथा नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन समूह उपस्थित रहता है।

विस्फोटक पता करने के यंत्र (Explosive Detector)— पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पता करने के यंत्र जो वाष्पीय दबाव (Vapour Pressure) एवं आयन गतिशीलता (Ion Mobility) के सिद्धान्त पर आधारित हैं, प्रयोग में लाये जाते हैं।

फोरेक्स जाँच यंत्र (Forex Search Instruments)— उक्त उपकरणों का उपयोग खान एवं दूसरे प्रकार के दूरस्थ विस्फोटकों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह उपकरण पानी में 30 मीटर तक की गहराई में छिपा कर रखे विस्फोटकों का पता लगाने में सहायक है। यह यंत्र डिफरेंशियल फील्ड मापने वाले उपकरणों के सहयोग से खान एवं पानी में छिपे विस्फोटकों के आवश्यक अंग फेरोमैग्नेटिक वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न प्रभाव की मात्रा (Degree) को मापता है।

डेटोनेटर (Detonator)—डेटोनेटर (ब्लास्टिंग कैप), ताँबे अथवा अल्यूमीनियम की छोटी नलिकाएं आमतौर पर लम्बाई 1/5" व्यास 1/4" जिसमें थोड़ी मात्रा में अतिसंवेदनशील विस्फोटक पदार्थ जैसे मरकरी फुलमिनेट और लैंड आक्साइड भरे होते हैं। यह बड़े तीव्रता से फटते हैं और इनसे सदमा वाली तीव्र तरंगें निकलती हैं। इन्हें संभालने में सावधानी से काम लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को विद्युतधारा से चालित किया जाता है। डेटोनेटर को अन्य विस्फोटक वस्तुओं के साथ न तो ले जाएँ और न उनके साथ रखें। इन्हें अलग अलग पैक कर विशेष संवाहक के साथ जाँच हेतु भेजना चाहिए।

विस्फोट (Explosion)

- घटना स्थल एवं आहत अथवा मृत व्यक्तियों के शरीर से विस्फोट के सभी संभावित अवशेष संकलित किये जाने चाहिये।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वस्तुतः किस स्थान पर सर्वाधिक क्षति हुई है, संभवतः वही विस्फोटक रखे जाने का हो स्थान सकता है।
- विस्फोट आरंभ करने की सामग्री जैसे बैटरी, फ्यूज तार, कैमरे की फ्लश गन, रिमोट आदि की सूक्ष्मता से खोज की जानी चाहिये जिससे अपराध का तरीका (Modus Operandi) ज्ञात हो सके।
- जीवित बम मिलने पर सर्वप्रथम घटना स्थल से लोगों को एक निश्चित दूरी तक हटा देना चाहिये। बम को रेत की बोरियों से घेर कर सुरक्षित कराया जाना चाहिये तत्पश्चात् बम निरोधक दस्ते को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही करायी जानी चाहिये।

IED का पूरा अर्थ है **Improvised Explosive Device** अर्थात् विस्फोट कराने के लिये एक तकनीकी का प्रयोग कर वांछित स्थान पर वांछित समय पर वांछित कार्य को अन्जाम देने के लिये **Device** तैयार की जाती है जिसे **IED** कहा जाता है। **High Explosive** को प्राइमर **Explosive** से बने डेटोनेटर की

मदद से Explode कराये जाने के लिये एक बैटरी से वांछित समय पर टाइमर की सहायता से डेटोनेटर को विद्युत प्रवाह से Detonate कर मूल क्षमताधारक विस्फोटक को विस्फोटित किया जाता है जिससे प्रोपर्टी, जनहानि क्षणभर में हो जाती है। इनको बम भी कहते हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 11- RIOT (Day-14) (Session-84)

Paper- 13- Practical Hands-on (Session-12)

नोट:— प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक कक्षा कक्ष में रॉयट कन्ट्रोल पर निम्नांकित पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना है।

- FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) का मसौदा तैयार करना।
- विभिन्न पंचनामा तैयार करना।
- साक्ष्य एकत्र करना (जैसे— CCTV फुटेज आदि)।
- आरोपी को घेरने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया।
- FSL (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) को पत्र और चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखना।
- गवाहों के बयान दर्ज करना।
- आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया।
- रिमांड रिपोर्ट तैयार करना।
- केस डायरी लिखना।
- चार्जशीट (आरोप पत्र) तैयार करना

Case Laws-

➤ Ramlila Maidan Incident V/S Home Secretary, Union of India and Others (2012)

1. केस का परिचय— Ramlila Maidan Incident (2012)- सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोर्ट्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था।

घटना का विवरण (जून 2011)— बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को रामलीला मैदान में केवल प्योग शिविर आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बाद में इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और अनशन में बदल दिया गया, जिसमें 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए।

मध्यरात्रि की कार्रवाई— 4 जून 2011 की रात लगभग 11.30 बजे पुलिस ने अनुमति रद्द कर दी और रात 12.30 बजे (जब लोग सो रहे थे) बलपूर्वक मैदान खाली कराने के लिए बत्ख की धारा 144 लागू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे अफरा-तफरी मची, कई लोग घायल हुए और एक महिला की मृत्यु हो गई।

2. मुख्य कानूनी मुद्दे—

धारा 144 का औचित्य— क्या सोते हुए नागरिकों पर अचानक धारा 144 लागू करना और बल प्रयोग करना कानूनी रूप से सही था? क्या वहां सार्वजनिक व्यवस्था (जिसपर बलवत्कमत) बिगड़ने का कोई तत्काल खतरा था?

मौलिक अधिकारों का टकराव— क्या पुलिस की इस कार्रवाई ने नागरिकों के शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(इ)) और बोलने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(अ)) का उल्लंघन किया?

जीवन का अधिकार और निजता— क्या मध्यरात्रि में सोते हुए लोगों पर कार्रवाई करना अनुच्छेद 21 (Right to Life and Personal Liberty) का उल्लंघन है?

3. सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

न्यायालय ने इस मामले में हितों के संतुलन (Balancing of Interests) का सिद्धांत लागू किया और निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय दिए—

अ. धारा 144 CrPC के प्रयोग पर सख्त गाइडलाइंस

अंतिम विकल्प— न्यायालय ने कहा कि धारा 144 एक निवारक शक्ति है, इसका उपयोग नागरिकों के वैध अधिकारों को दबाने के लिए पहले हथियार के रूप में नहीं, बल्कि अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए।

आसन्न खतरा— इस धारा को लागू करने के लिए केवल आशंका काफी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक शांति को तत्काल और गंभीर खतरा (material facts of imminent threat) होना चाहिए।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा— पुलिस ने रात में प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा ठीक से नहीं की। आदेश लागू करने और बल प्रयोग करने से पहले लोगों को वहां से हटने की पर्याप्त चेतावनी और समय दिया जाना चाहिए था।

ब. सोने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है—

जस्टिस बी. एस. चौहान ने अपने पूरक निर्णय में एक अभूतपूर्व बात कही कि सोने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

नींद एक जैविक आवश्यकता है। सोते समय व्यक्ति अर्ध-चेतन अवस्था में होता है और उस समय उस पर अचानक बल प्रयोग करना मानवीय गरिमा और निजता का घोर उल्लंघन है।

स. आयोजकों की भी जवाबदेही— अदालत ने केवल पुलिस को दोषी नहीं माना, बल्कि बाबा रामदेव और आयोजन समिति को भी योगदानकर्ता लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया।

आयोजकों ने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया (योग शिविर के नाम पर राजनीतिक अनशन किया) और पुलिस के आदेशों का पालन करने में सहयोग नहीं किया, जिससे टकराव बढ़ा।

4. प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लिए सीख—

भविष्य के अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षणार्थियों को इस केस से निम्नलिखित प्रशासनिक सिद्धांत सीखने चाहिए—

समानुपात का सिद्धांत (Doctrine of Proportionality)— यदि भीड़ को हटाना जरूरी भी था, तो पुलिस की कार्रवाई खतरे के अनुपात में होनी चाहिए थी। सोते हुए लोगों पर आधी रात को लाठीचार्ज असमानुपाती बल प्रयोग था।

नैतिक और कानूनी कर्तव्य— कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को कुचलना लोकतंत्र के खिलाफ है।

मिश्रित जिम्मेदारी और हर्जाना— सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि तय की और इसकी 75 प्रतिशत जिम्मेदारी राज्य (पुलिस) पर और 25 प्रतिशत जिम्मेदारी आयोजकों पर डाली। यह सिखाता है कि कानून का उल्लंघन करने पर अधिकारियों की व्यक्तिगत और विभागीय जवाबदेही तय होगी।

➤ Irfan Khan V/S State (NCT of Delhi) 2024 Live Law (SC) 945

1. केस का परिचय— Irfan Khan v- State (NCT of Delhi) 2024 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिसंबर 2024 में सुनाया।

तथ्य— 9 जुलाई 2022 को दिल्ली के गोविंदपुरी थाना पुलिस ने इरफान खान नाम के युवक को प्रवासी पार्क में संदिग्ध रूप से घूमते हुए पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक बटनदार चाकू बरामद हुआ।

चाकू का माप— कुल लंबाई 31.5 सेमी (ब्लेड 14.5 सेमी और हैंडल 17 सेमी) तथा चौड़ाई 3 सेमी थी।

पुलिस की कार्रवाई— पुलिस ने इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25, 54 और 59 के तहत एफआईआर दर्ज की और जांच के बाद अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी।

2. कानूनी पेच और विवाद का मुख्य बिंदु –

केंद्रीय कानून (Arms Rules 2016)— नियम 3 और अनुसूची I (भाग I) की श्रेणी V के तहत केवल उस चाकू को प्रतिबंधित श्रेणी में माना जाता है जिसकी ब्लेड की लंबाई 9 इंच (22.86 सेमी) से अधिक और चौड़ाई 2 इंच (5.08 सेमी) से अधिक हो। (आरोपी के चाकू का माप इससे कम था)।

दिल्ली सरकार की अधिसूचना (DAD Notification 29 October 1980)— दिल्ली प्रशासन ने 1980 में एक विशेष अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश में 7.62 सेमी से लंबी और 1.72 सेमी से चौड़ी ब्लेड वाले बटनदार या स्प्रिंगदार चाकुओं को प्रतिबंधित किया गया था।

मूल विवाद— आरोपी के पास मिला चाकू दिल्ली सरकार की 1980 की अधिसूचना के दायरे में तो आता था, लेकिन क्या केवल उसे जेब में रखकर घूमना अपराध की श्रेणी में आता था? दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

3. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एफआईआर और चार्जशीट को पूरी तरह से रद्द कर दिया। न्यायालय ने इसके पीछे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किए—

अ. अधिसूचना की भाषा का सख्त विश्लेषण— न्यायालय ने कहा कि 1980 की डीएडी अधिसूचना की भाषा को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित आकार से बड़े बटनदार चाकुओं का केवल निर्माण, बिक्री, बिक्री के लिए पास में रखना या परीक्षण ही प्रतिबंधित है। इस अधिसूचना में व्यक्तिगत उपयोग या केवल साधारण रूप से पास में रखने को सीधे तौर पर अपराध नहीं माना गया है, जब तक कि उसका उद्देश्य बिक्री या निर्माण न हो।

ब. चार्जशीट की बुनियादी कमी—

एक भी शब्द न होना — सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट का अवलोकन किया। कोर्ट ने पाया कि चार्जशीट में पुलिस ने कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया था कि आरोपी उस चाकू को बेचने, निर्माण करने या टेस्ट करने के उद्देश्य से ले जा रहा था। न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों से यह दूर-दूर तक साबित नहीं होता कि आरोपी ने अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन किया।

स. अभियोजन पक्ष बाद में अपनी कहानी नहीं सुधार सकता

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि आरोपी चाकू बेचने जा रहा था या नहीं, यह ट्रायल (मुकदमे) के दौरान तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष को चार्जशीट में दर्ज अपनी मूल कहानी को बाद में सुधारने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर बुनियादी अपराध के तत्व चार्जशीट में ही गायब हैं, तो

आरोपी को मुकदमे की अग्निपरीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

4. फील्ड पुलिसिंग और जांच अधिकारियों के लिए व्यावहारिक सबक—

अधिसूचनाओं का गहन अध्ययन— किसी भी स्थानीय या विशेष कानून के तहत कार्रवाई करने से पहले उसकी भाषा और शर्तों को हूबहू समझें। केवल चाकू मिला सोचकर केस दर्ज न करें, यह देखें कि कानून किस विशिष्ट कृत्य को प्रतिबंधित करता है।

अपराध के तत्वों को साबित करना— यदि आप दिल्ली जैसी जगह पर किसी को बटनदार चाकू के साथ पकड़ते हैं, तो आपकी जांच और चार्जशीट में स्पष्ट साक्ष्य होने चाहिए कि वह चाकू बेचने, सप्लाई करने या किसी अवैध निर्माण का हिस्सा था।

यांत्रिक चार्जशीट से बचें— केवल जब्ती का नक्शा बना देने से अपराध साबित नहीं होता। चार्जशीट ड्राफ्ट करते समय धारा के कानूनी तत्वों और बरामदगी के उद्देश्य के बीच की कड़ी को जोड़ना अनिवार्य है।

➤ Kuldeep Sharma V/S UT of Jammu and Kashmir 2024

1. केस का परिचय— Kuldeep Kumar Sharma And Others v- UT of J&K And Others यह मामला मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के बाद जारी किए गए मुआवजा पुरस्कार और उसकी कानूनी वैधता को चुनौती देने से जुड़ा है।

तथ्य— केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लोक कल्याण या विकास कार्यों के लिए याचिकाकर्ताओं (कुलदीप शर्मा व अन्य) की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था।

विवाद का कारण— भूमि स्वामियों का आरोप था कि सक्षम प्राधिकारी/कलेक्टर द्वारा भूमि का जो मूल्यांकन और मुआवजा पुरस्कार तय किया गया, उसमें प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं और वह उचित बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं था।

2. मुख्य कानूनी मुद्दे—

रिकॉर्ड पेश करने का दायित्व— क्या प्रशासनिक विभाग या कलेक्टर बिना किसी ठोस कारण के भूमि अधिग्रहण से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों और अवार्ड फाइलों को कोर्ट में पेश करने से रोक सकते हैं?

प्रक्रियात्मक पारदर्शिता— क्या प्रभावित भूमि स्वामियों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी भूमि के मुआवजे का आकलन किस आधार पर किया गया है?

कंडोनेशन ऑफ डिले— इस मामले में एक सह-याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद उनके कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर लाने में हुई देरी और उसके कानूनी समाधान पर भी न्यायालय ने विचार किया।

3. उच्च न्यायालय का निर्देश और कानूनी व्याख्या— माननीय उच्च न्यायालय (जस्टिस संजय धर और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी की पीठों द्वारा विभिन्न तारीखों पर दिए गए आदेशों) ने इस मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सख्त रुख अपनाया और निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

अ. कलेक्टर को आधिकारिक रिकॉर्ड पेश करने का सख्त आदेश— अदालत ने पाया कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी-कलेक्टर द्वारा विवादित अवार्ड से संबंधित मूल दस्तावेज और जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा था।

न्यायालय की टिप्पणी— न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों में जहां नागरिकों की आजीविका और संपत्ति का अधिकार शामिल है, वहां प्रशासनिक अधिकारी रिकॉर्ड छिपा नहीं सकते या प्रक्रिया को लटका नहीं सकते।

ब. याचिकाकर्ताओं को रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति—

उच्च न्यायालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि सरकारी प्रतिवादी (राजस्व विभाग) याचिकाकर्ताओं के वकीलों को उस प्रासंगिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करें। यह निर्देश प्रशासनिक पारदर्शिता के लिहाज से मील का पत्थर है। यह स्थापित करता है कि पीड़ित पक्ष को यह जानने का पूरा अधिकार है कि प्रशासनिक फाइल में क्या दर्ज है।

स. राइट टू प्रॉपर्टी और निष्पक्ष प्रक्रिया

भले ही अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक संवैधानिक अधिकार है। कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी नागरिक को उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता।

4. राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए व्यावहारिक सबक—

रिकॉर्ड कीपिंग में मुस्तैदी— भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान प्रारंभिक अधिसूचना से लेकर अंतिम अवार्ड जारी होने तक की प्रत्येक फाइलिंग, आपत्तियों का निपटारा और दर-निर्धारण का रिकॉर्ड बिल्कुल स्पष्ट और व्यवस्थित होना चाहिए।

न्यायालय के प्रति जवाबदेही— यदि कोई अधिग्रहण मामला अदालत में चुनौती के अधीन है, तो संबंधित कलेक्टर या प्रशासनिक अधिकारी को बिना देरी किए रिकॉर्ड प्रस्तुत करना चाहिए। टालमटोल की नीति अपनाने पर कोर्ट सख्त दंडात्मक आदेश या व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश जारी कर सकता है।

पारदर्शिता से कम होता है लिटिगेशन— यदि अधिग्रहण के समय ही किसानों और भूमि स्वामियों को मुआवजे की गणना पारदर्शी तरीके से समझा दी जाए और उन्हें रिकॉर्ड देखने की अनुमति मिले, तो अदालती मुकदमों की संख्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

PTS Kherwara, Udaipur

➤ Ranjan Mandal V/S State of Bihar 2024

1. प्रस्तावना और मामले की पृष्ठभूमि—

- **केस का परिचय—** Ranjan Kumar Mandal v- State of Bihar & Ors- जिसका निर्णय माननीय पटना उच्च न्यायालय (जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ) द्वारा 27 नवंबर 2024 को दिया गया।
- **मामले के तथ्य—** याचिकाकर्ता (रंजन कुमार मंडल) एक पूर्व सैनिक हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपनी आजीविका के लिए खगड़िया जिले में एक पेट्रोल पंप चला रहे हैं। उन्होंने 2013 में जिला मजिस्ट्रेट, खगड़िया के समक्ष रिवाल्वर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
- **अधिकारियों की रिपोर्ट—** अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी ने जांच के बाद अपनी सकारात्मक रिपोर्ट भेजी थी। इसके बावजूद, जिला मजिस्ट्रेट ने 2018 में उनका आवेदन खारिज कर दिया। बाद में मुंगेर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त ने भी 2019 में अपील को खारिज करते हुए डीएम के आदेश को बरकरार रखा।

2. मुख्य कानूनी मुद्दे और प्रशासनिक त्रुटि—

- **खारिज करने का आधार—** डीएम और कमिश्नर ने आवेदन को केवल इस एक आधार पर खारिज कर दिया कि पिछले तीन वर्षों में आवेदक के जीवन पर कोई स्पष्ट या आसन्न सुरक्षा खतरा नहीं देखा गया है।
- **कानूनी चुनौती—** क्या आर्म्स एक्ट, 1959 और आर्म्स रूल्स, 2016 के तहत श्रेट परसेप्शन (जान का खतरा) न होना, लाइसेंस की अर्जी खारिज करने का एक वैध और एकमात्र आधार हो सकता है?
- **कानून का उद्देश्य—** क्या हथियार का लाइसेंस केवल तभी दिया जाना चाहिए जब किसी पर हमला होने वाला हो, या व्यक्ति अपने व्यवसाय और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर भी इसकी मांग कर सकता है?

3. उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय और व्याख्या—

पटना उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और प्रमंडलीय आयुक्त दोनों के आदेशों को अवैध पाते हुए रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजा। कोर्ट ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्थापित किए—

अ. श्रेट परसेप्शन का न होना खारिज करने का वैध आधार नहीं —

- **अदालत का फैसला—** न्यायालय ने पूर्व के खंडपीठ के निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी आवेदक को विशिष्ट सुरक्षा खतरा या आसन्न खतरा न होना, उसका लाइसेंस आवेदन खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। ऐसा करना कानून की मूल भावना के विपरीत है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति पर पहले हमला हो या उसे कोई धमकी मिले, तभी वह हथियार का हकदार होगा।

ब. व्यापार और पेशे की प्रकृति पर विचार (Arms Rules, 2016)

- **नियम 12(3)(a) का महत्व—** कोर्ट ने आर्म्स रूल्स, 2016 के नियम 12(3)(a) का उल्लेख करते हुए कहा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवेदक के व्यापार, व्यवसाय और पेशे की प्रकृति पर विचार करना चाहिए। चूंकि आवेदक एक पेट्रोल पंप चला रहा था (जहां भारी मात्रा में नकदी का लेनदेन होता है और लूटपाट की संभावना बनी रहती है), इसलिए केवल कोई तात्कालिक खतरा नहीं है कहकर आवेदन खारिज करना गलत था।

स. विवेक का मनमाना इस्तेमाल प्रतिबंधित है—

आर्म्स एक्ट की धारा 13 और 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह विवेक कानून के दायरे में और तार्किक होना चाहिए, न कि मनमाना।

4. जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के लिए व्यावहारिक सबक—

- **यांत्रिक आदेशों से बचें—** अक्सर जिला स्तर पर आर्म्स लाइसेंस के आवेदनों को कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है या थाना ने अनुशंसा नहीं की है जैसी एक लाइन की टिप्पणी लिखकर खारिज कर दिया जाता है। ऐसे आदेश अदालत में टिक नहीं पाते। आदेश हमेशा विस्तृत और तार्किक होने चाहिए।
- **व्यापक मूल्यांकन—** जब आपके पास कोई आवेदन आए, तो केवल पुलिस रिपोर्ट में खतरे की बात न ढूँढ़ें। यह भी देखें कि क्या आवेदक पूर्व सैनिक है? क्या उसका आचरण साफ है? क्या उसका व्यवसाय (जैसे बैंक, पेट्रोल पंप, आभूषण की दुकान) ऐसा है जिसमें सुरक्षा की आवश्यकता है?
- **पुलिस रिपोर्ट का सही विश्लेषण—** पुलिस की रिपोर्ट केवल यह बताने के लिए होती है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है या वह समाज के लिए खतरा तो नहीं है। पुलिस रिपोर्ट का उपयोग खतरे की अनुपस्थिति साबित करने के लिए नकारात्मक रूप से नहीं किया जाना चाहिए।